Tuesday, 12 June, 1962

लोक-सभा
वाद-विवाद

तृतीय माला

खण्ड ५, १९६२/१८८४ (शक)

[८ से २२ जून १९६२/१८ ज्येष्ठ से १ आषाढ़ १८८४ (शक)]

3rd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
14-5-92
Fumigated
On 3-12-83
Parliament Library

पहला सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड ५ में अंक ४१ से ५१ तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय सूची

(तृतीय माला खण्ड ५—अंक ४१ से ५१—८ से २२ जून, १९६२)/१८ ज्येष्ठ से १ आषाढ़, १८८४ (शक)

अंक ४१—शुक्रवार, ८ जून, १९६२/१८ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

पृ०

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न* संख्या १३५३ से १३५५, १३५७ से १३६५, १३६७ से १३७१ और १३७३ . . ४४८५—४५१०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३५६, १३६६, १३७२ और १३७४ . ४५११–१२

अतारांकित प्रश्न संख्या २७८७ से २८६० और २८६२ से २८६९ . ४५१२–४८

दिनांक १८-५-६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५९३ के उत्तर में शुद्धि

अविलम्बनीय लोक महत्व क विषयों की ओर ध्यान दिलाना . .

(१) साल्ट कोटर्स रेलवे माल शैड, मद्रास में, माल उतारने का काम अस्थव्यस्त हो जाने का कथित समाचार . . ४५४८–४९

(२) दिल्ली में परमाणु बंम विरोधी सम्मेलन में प्रतिनिधि भेजने के लिये जनवादी चीन गणराज्य को निमंत्रण . . ४५४९–५०

सभा पटल पर रखा गया पत्र

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें, (रेलवे) १९५९–६० . . . ४५५०

सभा का कार्य ४५५०–५१

विदेशी मुद्रा स्थिति के बारे में वक्तव्य . . ४५५१—५३

समिति के लिये निर्वाचन ४५५३

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड

अधिवक्ता (दूसरा संशोधन) विधेयक— पुरःस्थापित . . . ४५५३

लाभ पदों संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव . . ४५५४–५५

अनुदानों की मांगें . . . . . ४५५५—६८

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ४५५५

राजनैतिक पीड़ित सहायता विधेयक [श्री स० चं० सामन्त का] ४५६८

हिन्दु विवाह (संशोधन) विधेयक (धारा २३ का संशोधन) [श्री ज० ब० सिंह का] . ४५६८–६९

विधान परिषद् (रचना) विधेयक—परिचालित

परिचालित करने का प्रस्ताव . . . . ४५६९—७३

भारतीय डाक-घर (संशोधन) विधेयक (धारा ६८ और ६९ का संशोधन) [श्री स० च० सामन्तका]—अस्वीकृत . . ४५७४—७८

विषय	पृष्ठ
विचार करने का प्रस्ताव	
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४०५ और ४०६ का संशोधन) [श्री दीवान चन्द शर्मा का]	
विचार करने का प्रस्ताव , . .	४५७८–७९
अंक ४२—सोमवार, ११ जन, १९६२/२१ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १३७६, १३७७, १३८२ से १३८४, १३८६, १३८८, १३९० से १३९४ और १३९७ से १४०१ .	४५८७–४६११
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १३७५, १३७८ से १३८१, १३८५, १३८७, १३८९, १३९५, १३९६, १४०२, १४०३ और १४०५ .	४६१२–१७
अतारांकित प्रश्न संख्या २८७० से २८९७, २८९९ से २९१५, २९१७ से २९३१ और २९३३ से २९३५ . . .	४६१७–४४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	४६४४–४८
(१) केरल में एनाथ में ट्यूबरक्युलिन परीक्षण की प्रतिक्रिया से उत्पन्न स्थति	४६४४–४४
(२) नागपुर–टाटानगर यात्री गाड़ी का पटरी से उतर जाना .	४६४५–४८
सभा पटल पर रखा गया पत्र	
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुप स्थति सम्बन्धी समिति	
पहला प्रतिवेदन . .	४६४८
अनुदानों की मांगें	४६४८–६२
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . . .	४६४८–६२
वित्त मंत्रालय	४६६२–९२
सभा की बैठक के दिन में परिवर्तन	४६७४–९२
कार्य मंत्रणा समिति	४६७५–९२
दूसरा प्रतिवेदन	४६९२
दैनिक संक्षेपिका . . .	४६९३–९७
अंक ४३—मंगलवार, १२ जून, १९६२/२२ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्यां १४०६, १४०७, १४०९, १४११ से १४१३, १४१५ १४१६, १४१९ से १४२४ और १४२६ और १४२८ .	४६९९–४७२३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ से १६	४७२३–२८

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १४०८, १४१०, १४१४, १४१७, १४१८, १४२५, १४२७, और १४२९	४७२८—३२
अतारांकित प्रश्न संख्या २९३६ से ३०४३	४७३२—८०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना	४७८०—८४
(१) गुंटूर में तम्बाकू के लिये एक मार्क की पर्चियां देने में सरकार की कथित असफलता	
(२) पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्र पर कथित कब्जा	
(३) साम्भर झील के निकट सवारी गाड़ी और बस के बीच हुई टक्कर	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	४७८४
सैन्ट्रल प्रोविंसेस मैंगनीज और कम्पनी लिमिटेड के साथ हुए करार के बारे में वक्तव्य	४७८४—८५
ब्रिटेन और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच चल रही बातचीत के बारे में वक्तव्य	४७८४—८६
कार्य मंत्रणा समिति	
दूसरा प्रतिवेदन	४७८६—४८०९
अनुदानों की मांगें	४७८६
वित्त मंत्रालय	४७८६—४८०९
विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६२, पुरःस्थापित तथा पारित	४८१०—११
वित्त (वित्त संख्या २) विधेयक, १९६२	
विचार करने का प्रस्ताव	४८११—१५
दैनिक संक्षेपिका	४८१६—२२
अंक ४४—गुरुवार, १३ जन, १९६२/२३ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १४३०, १४३१, १४३३ से १४४०, १४४२, १४४४, १४४५, और १४४७ से १४४९	४८२३—४५
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १४३२, १४४१, १४४३, १४४६ और १४५० से १४६४	४८४५—५३
अतारांकित प्रश्न संख्या ३०४४ से ३१३५, ३१३७ से ३१४१, २१४३ और ३१४४	४८५३—९९
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७	४८९९
स्थगन प्रस्ताव	४९००
रेलवे फाटक पर रेल गाड़ी और बस में हुई टक्कर	४९००

विषय	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना	४६००—०६
(१) उत्तरी लद्दाख में चीनियों द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्र में चीनी टैंकों और बख्तर बन्द गाड़ियों का कथित आवागमन	४६००—०१
(२) नेफा में नियुक्त कुछ वरिष्ठ सेना अधिकारियों की कथित भर्त्सना	४६०१—०४
(३) वेस्ट विनय नगर, दिल्ली में साफ किये हुए पानी की कमी	४६०५—०६
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति-	
दूसरा प्रतिवेदन	४६०६
वित्त (संख्या २) विधेयक, १९६२	४६०७—४३
विचार करने का प्रस्ताव	४६०७—४३
दैनिक संक्षेपिका	४६४४—५०

अंक ४५—शुक्रवार, १५ जून, १९६२।२५ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के लिखित उत्तर	४६५१—७५
तारांकित प्रश्न संख्या १४६५, १४६७ से १४७३ और १४७५ से १४८०	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १४६६, १४७४ और १४८१ से १४८८	४६७५—८०
अतारांकित प्रश्न संख्या ३१४५ से ३२१३	४६८०—५०१३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	५०१३—१७
सदर बाजार में विस्फोट	५०१३—१७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५०१७—१८
अनुपस्थिति की अनुमति	५०१८
विधेयक पुरःस्थापित	५०१९
१. सीमा शुल्क विधेयक	५०१९
२. विशिष्ट सहायता विधेयक	५०१९
वित्त (संख्या २) विधेयक, १९६२	५०१९—३७
विचार करने का प्रस्ताव	५०१९—३७
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
दूसरा प्रतिवेदन	५०३७
अस्पृश्यता निवारण सम्बन्धी संकल्प	५०३८—५४
मजदूरों संघों के प्रतिनिधित्वरूप के बारे में संकल्प	५०५४—५८
दैनिक संक्षेपिका	५०५९—६४

विषय	पृष्ट
अंक ४६—शनिवार, १६ जून, १९६१/२६ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १४८९ से १४९१, १४९३ से १४९६, १४९८ से १५०३, १५०५ और १५०७ से १५०९ .	५०६५—८८
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १४९२, १४९७, १५०४ और १५०६ . .	५०८९—९१
अतारांकित प्रश्न संख्या ३२१४ से ३२९३ . .	५०९१—५१२६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .	५१२६—२९
राजशाही जिले से आने वाले व्यक्तियों पर पाकिस्तानी सशस्त्र पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना . .	५१२९
सभा पटल पर रखा गया पत्र	५१२९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ५१३ के उत्तर मे शुद्धि . — .	५१२९
सभा का कार्य	५१३०
वित्त (संक्या २) विधेयक १९६२ . . .	५१३०—५८
खण्ड २ से १९ और १, तथा अनुसूची . .	
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . .	
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) १९५९–६० .	५१५८—६९
दैनिक संक्षेपिका	५१७०—७४
अंक ४७—सोमवार, जून १८, १९६२/२८ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर . . . ज.	
तारांकित प्रश्न संख्या १५१० से १५१८, १५२०, १५२१ और १५२३	५१५७—९८
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १८ .	५१९८—९९
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १५१९, १५२२ और १५२४ से १५३७ .	५१९९—५२०५
अतारांकित प्रश्न संख्या ३२९४ से ३३००, ३३०३ से ३३७०, ३३७३ से ३३९१ और ३३९३ से ३४२२ . .	५२०५—५९
प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य	
राजसाहा जिले के निष्क्रमणार्थियों पर पाकिस्तानी सशस्त्र पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना	५२५९—६३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	

विषय	पृष्ठ
प्रोफैसर जे० बी० एस० हाल्डेन द्वरा भारतीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक परिषद् छोड़ने का कथित निर्णय . . .	५२६३—६५
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५२६६
तारांकित प्रश्न संख्या २१६ के उत्तर में शुद्धि	५२६६
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) १६५६–६० . . .	५२६६—६७
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) १६५६–६० . .	५२६७—७१
राष्ट्रपति की पेन्शन (संशोधन) विधेयक, १६६२ . . .	
विचार करने के प्रस्ताव	५२७१—८२
खण्ड २ से ४ तथा १	
पारित करने का प्रस्ताव . . .	५२८२—८५
रेलवे दुर्घटनाओं के बारे में प्रस्ताव	५२८६—६६
बाग नदी परियोजना के बारे मे आधे घंटे की चर्चा . . .	५३००—.०१
दैनिक संक्षेपिका	५३०२—०६
अंक ४८—मंगलवार, १६ जून, १६६२/२६ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १५३८ से १५४६, १५५१ और १५५२ .	५३११—३३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १६ और १६क . .	५३३४—३८
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १५५३ और १५५४ से १५६२ . .	५३३८—४२
अतारांकित प्रश्न संख्या ३४२३ से ३४८६, ३४८८ से ३४६७, ३५०० और ३५०१.	५३४२—७७
अविलम्बनीय लोक कहत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना .	५३७८—८०
(१) मालदा जिले में पक्षाघात का महामारी के रूप मे फैलना .	५३७८—७६
(२) दिल्ली स्टेशन और फिरोजशाह कोटला, दिल्ली में पानी की कमी	५३७६—८०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५३८१—८३
तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के वर्ष १६६०–६१ के प्रतिवेदन के बारे मे वक्तव्य	५३८३—८४
विधेयक पुरःस्थापित —	
(१) प्रत्यर्पण विधेयक	५३८४
(२) विनियोग (संख्या ३) विधेयक १६६२ . . .	५३८५
(३) विनियोग (रेलवे) संख्या ३, विधेयक १६६२	५३८५
अधिवक्ता (दूसरा संशोधन) विधेयक . . .	५३८६—८८
विचार करने का प्रस्ताव	५३८६

विषय	पृष्ठ
खंड २ और १	५३८८
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	५३८८
श्री विभूधेन्द्र मिश्र	५३८८
निर्वाचनों के संचालन नियमों के बारे में प्रस्ताव . . .	५३८८—५४०३
सीमा शुल्क विधेयक	५४०३—१०
प्रवर समिति को सौपने का प्रस्ताव	५४०३—१०
रिहान्द की बिजली को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश मे बांटने के बारे में आधे घंटे की चर्चा	५४१०—१४
दैनिक संक्षेपिका	५४१५—२३
अंक ४९—बुधवार, २० जून १९६२/३० ज्येष्ठ १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १५६३ से १५७५ . . .	५४२३—४५
अल्प सूचना प्रश्न संख्या २० और २१ . . .	५४४५—४७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १५७६ से १५९० .	५४४७—५४
अतारांकित प्रश्न संख्या ३५०२ से ३५१४, ३५१६ से ३५७०, ३५७२ से ३६३३, ३६३५, ३६३६ और ३६३६-क से ३६३६छ .	५४५४—५५१८
दिनांक २२-५-६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७४८ के उत्तर मे शुद्धि	
स्थगन प्रस्ताव	५५१८
भारतीय राज्य क्षेत्र मे चीनियों द्वारा कथित अतिक्रमण का समाचार .	५५१८—१९
सभा पटल पर रखे गए पत्र	५५१९—२०
राज्य सभा से सन्देश	५५२०
गैर सरकारी सस्दयों के विधयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . .	५५२०
तीसरा प्रतिवेदन	५५२०
हिन्दू दत्तक ग्रहण तथा पोषण (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . .	५५२१
विनियोग (संख्या ३) विधेयक १९६२—पारित . .	५५२१
विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक १९६२—पारित . . .	५५२२
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . .	५५२२—४७
पश्चिम बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के बारे में आध घंटे की चर्चा	५५४७—५४
दैनिक संक्षपिका	५५५५—६३
अंक ५०—गुरुवार, २१ जून, १९६२/३१ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १५९१ से १५९९ १६०१ और १६१४ १६०२ १६०४ और १६०५	५५६५—८८

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर . . . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या १६००, १६०३, १६०२—ए, १६०६ से १६१० १६१२, १६१३ और १६१५ से १६२० . . ५५८८—९३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३७ से ३६९० ३६९२ से ३७१२, ३७१४ से ३७२३, ३७२५ से ३७४२, ३७४४ से ३७५२, ३७५४ से ३७६७, ३७६७क, ३७६७ख और ३७६७ ग . ५५९४—५६५२

दिनांक २८ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०४६ के उत्तर में शुद्धि ५६५२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . . ५६५२—५४

(१) ब्रिटेन के राष्ट्रमंडलीय सम्बन्धों के राज्य सचिव के साथ यूरोपीय साझा बाजार के बारे में बातचीत . . . ५६५२—५३

(२) त्रिपुरा के कमलपुर और अन्य भागों मे भारी बाढ़ . ५६५३—५४

जानकारी प्राप्त करने के बारे में प्रश्न ५६५४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ५६५४—५६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति . ५६५७

कार्यवाही सारांश ५६५७

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति . . ५६५७

कार्यवाही सारांश ५६५७

तारांकित प्रश्न संख्या १३६३ के उत्तर मे शुद्धि . . . ५६५७

सौलवीन प्रतिनिधिमण्डल के प्रतिवेदन के बारे मे वक्तव्य . . ५६५७

भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम—अस्वीकृत . . . ५६५८—६४

भेषज (संशोधन) विधेयक ५६६४

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ५६६५—७३

खण्ड २ से २२ तथा १ . . . . . ५६६४—७७

पारित करने का प्रस्ताव . . . . . ५६६४—७७

राज्यों को लोहे की नालीदार चादरों के दिये जाने के बारे में आधे घण्टे की चर्चा ५६७८—८०

दैनिक संक्षेपिका . . . . ५६८१—९१

अंक ५१—शुक्रवार, २२ जून, १९६२/१ आषाढ़, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर . . . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या १६२१, १६२३, १६२६ और १६२८ से १६३७ अल्प सूचना प्रश्न संख्या २२ और २३ . . . . ५६९३—५७२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर . . . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या १६२२, १६२४, १६२५, १६२७, १६३७क, १६३८ और १६३९ . . ५७२०—२३

विषय	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या २७६८ से ३८३३ और ३८३५ से ३८४५	५७२३–५८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . .	५७५८–६५
(१) चीनियों द्वारा नेफा में भारतीय राज्य क्षेत्र पर कथित कब्जा	५७५८–६०
(२) आई० एफ० स्टेशन बपरौला दिल्ली में एक० ई० एस० के दो मेहतरों की मृत्यु	५७६०–६२
(३) पूर्वोत्तर रेलवे के तिलरथ स्टेशन के निकट रेल गाड़ी और ट्रक की टक्कर . . .	५७६२–६५
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५७६५–६७
राज्य सभा से सन्देश	५७६७
निर्वाचनों के संचालन नियमों में संशोधन के बारे में याचिका . .	५७६७
विधेयक पुरःस्थापित	५७६७–६८
(१) आसाम राइफल्स (संशोधन) विधेयक . . .	५७६८
(२) महाप्रशासक विधेयक	५७६८
(३) ईसाई विवाह और वैवाहिक कारण विधेयक . .	५७६८
तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में कमी के बारे में प्रस्ताव . .	५७६९–७८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . .	५७७८
तीसरा प्रतिवेदन	५७७८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुरस्थापित . . .	५७७९–८४
(१) अखिल भारतीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक [**श्री अ० त्रि० शर्मा** का]	५७७९
(२) बीमा (संशोधन) विधेयक (धारा ३१क और ४०ग का संशोधन) [**श्री इन्द्रजीत गुप्त** का] . . .	५७७९
(३) बीड़ी और सिगार श्रमिक विधेयक [**श्री अ० क० गोपालन का**]	५७७९–८०
(४) खाद्य तेलों पर प्रतिबन्ध (साबून बनाने के लिए) विधेयक [**श्री वी० चं० शर्मा का**]	५७८०
(५) परिवहन समन्वय विधेयक [**श्री दी० चं० शर्मा** का]	५७८०
(६) दूकानदार (मुल्यों की पर्चीयां लगाना) विधेयक [**श्री ज० ब० सिं० बिष्ट का**]	५७८०–८१
(७) विधि व्यवसायी (संशोधन) विधेयक (धारा १४ और १५ का संशोधन) [**श्री हेम राज का**] . . .	५७८१
(८) हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक (धारा ३० का संशोधन [**श्री हेम राज का**] . .	५७८१
(९) भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक (धारा ११ और १२ का संशोधन) [**श्री हेम राज का**]	५७८१–८२

विषय	पृष्ठ
(१०) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद २२६ का संशोधन) [श्री दी० चं० शर्मा का] . .	५७८२
(११) संविधान (संशोधन) विधेयक (आठवीं अनुसूची का संशोधन) [श्री उ० मू० त्रिवेदी का] . . .	५७८४
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, (धारा ४०५ और ४०६ का संशोधन) [श्री दी० चं० शर्मा का] —वापिस लिया गया .	५७८२–८४
विचार करने का विचार	
हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन विधेयक (नई धारा २३क का रखा जाना) [श्री ज० ब० सिं० बिष्ट का]—परिचालित . . .	५७८५–९४
परिचालित करने का प्रस्ताव . . .	
अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन विधेयक (धारा ३ और ४ का संशोधन) [श्री सिद्ध्या का] .	५७९४
परिचालित करने का प्रस्ताव . . .	५७९४–९९
नरियमंगलम् में फायटोकेमिकल प्लांट के बारे में आधे घण्टे की चर्चा	५७९९–५८०२
विदाई भाषण .	५८०२
दैनिक संक्षेपिका . .	५८०३—१३, १—१०
पहले सत्र का कार्यवाही संक्षेप . . .	

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

मंगलवार, १२ जून, १९६२
२२ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

रांची एक्सप्रेस दुर्घटना के पीड़ितों को प्रतिकर

+

†*१४०६. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घाटशिला के पास रांची एक्सप्रेस दुर्घटना के पीड़ितों को कोई प्रतिकर दिया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो कितना धन दिया गया है ; और

(ग) कितने व्यक्तियों को प्रतिकर दिया गया है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** . (क) जी हाँ,

(ख) और (ग). १२ मृत तथा सात आहत व्यक्तियों के लिये अब तक १६,६५० रुपये की रकम प्रतिकर के रूप में दी गई है । यह रकम उस रकम के अतिरिक्त है जो १६ मृत तथा १३७ घायल व्यक्तियों के सम्बन्ध में उप-दान के रूप में दी गई थी ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या सभी दावेदारों के प्रतिकर को समान रूप दिया गया था अथवा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी के यात्रियों में कोई भेदभाव रखा गया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

1226 (Ai) LSD—1

†**श्री शाहनवाज खां** : दावा आयुक्त का अपना काम करने का अपना ढंग है। एक विशेष प्रतिक्रिया के अनुसार वह अपना काम करते हैं।

†**श्री सुबोध हंसदा** : प्रतिकर के भुगतान के लिये सरकार को कितने दावे मिले हैं? कितनी रकम का भुगतान कर दिया गया है तथा कितनी का भुगतान अभी शेष ह ?

†**श्री शाहनवाज खां** : १४६ दावे मिले है। अब तक केवल एक दावा निबटाया गया है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या मंत्रालय को ऐसी कोई शिकायत मिली है कि जिन व्यक्तियों को प्रतिकर दिया गया था जो अस्पताल में भरती रहे उनको मूल्यवान दवाइओं के पैसे देने पड़े हैं ?

†**श्री शाहनवाज खां** : ऐसी किसी शिकायत की मुझे जानकारी नहीं है। परन्तु रेलवे मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया था कि ऐसे व्यक्तियों के इलाज के लिये खर्च किया गया धन तथा मूल्यवान दवाओं के लिये व्यय रेलवे वहन करेगी। हम उसके लिये तैयार हैं।

†**श्री मोहसिन** : क्या ऐसे सभी मामलों में प्रतिकर दिया गया है अथवा यह विशेष मामला था जिसमें प्रतिकर दिया गया था ?

†**श्री शाहनवाज खां** : रेल दुर्घटनाओं में सर्वदा दिया जाता है।

†**श्री स० मो० बनर्जी**: इस जाँच के परिणाम स्वरूप व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? वह व्यक्ति कौन कौन हैं तथा क्या उनमें प्रथम श्रेणी का भी कोई कर्मचारी है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : अभी उसको अन्तिम रूप देना है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : ड्राइवर के परिवार को तथा इंजन चलाने वाले अन्य कर्मचारियों के परिवारों को क्या कोई प्रतिकर दिया गया था ?

†**श्री शाहनवाज खां** : मैं बता चुका हूं कि हम उपदान दे चुके हैं अर्थात परिवारों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये तदर्थ भुगतान कर चुके हैं। अन्य प्रतिकर पर दावा आयुक्त को निर्णय करना है तथा उस पर अभी तक निर्णय नहीं किया गया है।

श्री अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि क्या कारण है कि पिछले कुछ महीनों से आये दिन रेल के ऐक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह दूसरा सवाल है।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कोई आधार श्रेणीबद्ध किये हैं कि मरे को या अपंगों को या चोट लगने वालों को किस रेट से कम्पेन्सेशन दिया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : कम्पन्सेशन देने के लिये रूल्स हैं जिन के अनुसार इन्स्पेक्टर लोग इसे तय करते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

"पैकेज प्रोग्राम"

+

†*१४०७. {
श्री भक्त दर्शन :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री शिवनजप्पा :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री प्र० च० बरुआ :
श्री मे० क० कुमारन :
श्रीमती मिनीमाता :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ समय पहले खाद्योत्पादन का जो कार्यक्रम (पेकेज प्रोग्राम) स्वीकृत किया गया था उसे किन किन स्थानों में चालू किया गया है ;

(ख) उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) इस कार्यक्रम को अन्य किन जिलों में चालू करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव (श्री शिन्दे) : (क) से (ग). सभा की पटल पर एक विवरण रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १७]**

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, मैं जो मुख्य बात जानना चाहता हूं यह है कि इन सात जिलों को कितना रुपया इस विभाग की ओर से लगेगा और उससे कितना उत्पादन बढ़ेगा और जो उत्पादन बढ़ेगा क्या वह इन रुपयों के अनुपात के अनुकूल होगा ; यानी जितना रुपया लगेगा उसके अनुसार उत्पादन बड़ेगा या नहीं ?

†**श्री शिन्दे** : आशा है कि आगामी पाँच वर्षों में लगभग ७ करोड़ रुपया व्यय होगा और ४० से ६० प्रतिशत उत्पादन बढ़ जाने की आशा है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, यह जो सात राज्यों में सात जिलों को छांटा गया है, उनके छांटने का आधार क्या था ? उनको किस तरीके से छांटा गया ? अर्थात् कौनसी कसौटी है जिनके अनुसार उनको छांटा गया है ?

†**श्री शिन्दे :** विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव माँगे गये थे तथा विभिन्न जिलों का चुनाव करने के लिये विशेषज्ञों का परामर्श लिया गया था। विशेषज्ञों तथा कृषि अर्थशास्त्रियों के परामर्श के अनुसार पेकेज प्रोग्रामों के लिये जिलों को छांटा गया था।

†**श्री सुबोध हंसदा :** विवरण से पता लगा है कि ७ जिलों में १३५०० प्रदर्शन किये गये थे तथा उनके परिणाभ बड़े प्रोत्साहन रहे हैं। क्या उन प्रदर्शन वाले क्षेत्रों के उत्पादन लागत का कोई निर्धारण किया गया है तथा यदि हाँ तो किसानों द्वारा सामग्री, बीज, उर्वरक आदि की खरीद का स्तर उत्पादन लागत के अनुपात में है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० क० थामस)** : विस्तृत कृषिकार्यक्रम का उद्देश्य अच्छे खेतों को बुरा खेत बनाने के लिए नहीं है। उद्देश्य यह है कि अच्छे खेतों को उत्तम तथा उत्तम खेतों को सर्वोत्तम खेत बनाया जाये। इस प्रयोग के निर्धारण के सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि परिणाम बड़े उत्साहजनक हैं। शाहाबाद ज़िले में १९६१-६२ के वर्ष में प्रदर्शन के खेतों में रबी का उत्पादन ४९ से २४४ प्रतिशत हो गया है। पश्चिम गोदावरी में अधिकतम वृद्धि ८३ प्रतिशत थी। तंजौर में वृद्धि ८ से ५० प्रतिशत थी। अलीगढ़ में वृद्धि २९ से ८२ प्रतिशत थी। इस प्रकार परिणाम बड़े उत्साहजनक हैं। उर्वरक की खपत के बारे में आप विवरण में देख सकते हैं कि इसकी खपत १९६१–६२ में ५४,००० टन से ९०,००० टन हो गई है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : विवरण से मालूम होता है कि मिट्टी की जांच की शोधनशाला प्रत्येक पैकेज ज़िले में स्थापित होगी। क्या किसानों को इसके लिए कुछ देना होगा। क्या राज्य सरकारें इन सुविधाओं के लिए कुछ धन ले रही हैं ?

†**श्री अ० म० थामस** : मेरी जानकारी यह है कि मिट्टी की जांच के लिए कुछ नहीं लिया जायेगा ।

†**श्री प्र० च० बरूआ** : इस योजना की क्रियान्विति के परिणामस्वरूप इन ज़िलों में कितनी उत्पादन क्षमता बढ़ जायेगी तथा उत्पादन में कितनी अनुमानित वृद्धि है ?

†**श्री अ० क० थामस** : मेरे साथी सभा सचिव बता चुके हैं कि ४० से ६० प्रतिशत वृद्धि की आशा है। देश में आगामी पांच वर्षों में उत्पादन सामान्यतः ३१.५ प्रतिशत बढ़ जाने की आशा है। जबकि इन ज़िलों में उत्पादन ४० से ६० प्रतिशत बढ़ जाने की आशा है।

†**श्री मे० क० कुमारन** : इस सत्र में हमें पहले बताया गया था कि केरल के दो ज़िलों में कार्यक्रम आरम्भ नहीं किया गया था। क्या वहां पर कार्यक्रम की क्रियान्विति में कोई विशेष कठिनाई है ?

†**श्री अ० म० थामस** : केरल के पालघाट तथा अलप्पि के दोनों ज़िलों में विभिन्न प्रारम्भिक कार्यवाहियां की गई हैं ।

†**श्री रा० गि० दुबे** : क्या यह सच है कि मद्रास के श्री सन्थानम ने योजना का बड़े ध्यान से अध्ययन किया था और कुछ रचनात्मक सुझाव दिये थे तथा यदि हां, तो उसके बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री अ० म० थामस** : उचित कार्यवाही की जा रही है ।

†**श्री तुलसीदास जाधव** : जो अनाज की बढ़ोत्तरी होनी है वह ज्यादा एवरेज के कारण होती है या कि पर एकड़ उसका उत्पादन ज्यादा होता है ?

†**श्री शिन्दे** : घनी खेती से उत्पादन बढ़ जाने की आशा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशों के पर्यटक

†*१४०६. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत दर्शन के लिये आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या पर कोई प्रतिबन्ध है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रतिबन्ध प्रत्येक देश के पर्यटकों पर समान रूप से लागू होता है;

(ग) क्या अमरीकी और रूसी पर्यटकों पर समान प्रतिबन्ध है; और

(घ) यदि नहीं, तो सच्चे वास्तविक पर्यटकों को बिना किसी प्रतिबन्ध के प्रवेश अनुमति न देने के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालयम में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या यह सच नहीं है कि रूस अथवा अन्य पूर्व यौरोपीय देशों से आने वाले पर्यटकों की संख्या पर अमरीका अथवा इंगलैंड से आने वालों की तुलना में प्रतिबन्ध है ?

†**श्री राज बहादुर** : हम ने कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया है मामला यह है कि रूस में इस देश को आने वाले रूसियों का संगठन करने वाला एक विभाग 'इन-टूरिस्ट' इस बात पर बल देता है कि वह इसके लिए उत्सुक भी है कि कितने रूसी भारत आयें उतने ही रूसमें भारतीय भी जाने चाहिए। हमारी विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण ऐसा करना कठिन है।

†**श्री अन्सार हरवानी** : क्या पर्यटन में भी विनिमय पद्धति है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति।

†**श्री राज बहादुर** : विदेशी मुद्रा पर प्रतिबन्ध होने के कारण पर्यटन में ऐसा करना हमारे लिए सम्भव नहीं है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : मैं नहीं जानता कि उसका क्या प्रभाव है।

†**श्री राज बहादुर** : हम तो रूस से असीमित संख्या में पर्यटकों का स्वागत करेंगे परन्तु हमारे लिए विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण यह सम्भव नहीं है कि उतने ही देशवासियों को वहां पर भेजें ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि रूस से आने वाले पर्यटकों की संख्या १९६१ की अपेक्षा अधिक हुई है या कम हुई है ?

†**श्री राज बहादुर** : यह निश्चित आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् क्या कोई ऐसा उदाहरण है कि रूस से आने वाले यात्रियों को किसी प्रकार रोका गया हो ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री राज बहादुर : जी नहीं, आने पर कोई प्रतिबन्ध या रुकावट नहीं है।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या भारतीय पर्यटक विभाग रूस के 'इन-टूरिस्ट' संगठन से सम्बन्ध बनाये हुए है तथा क्या भूतकाल में हम ने भारत में आये रूसी पर्यटकों के स्थान पर अपने यहां के पर्यटकों को रूस भेजा है ?

†**श्री राज बहादुर** : हमारा पर्यटन विभाग सम्बन्ध बनाये हुए है। १९५८ में उन्होंने ५०० पर्यटकों के दल को भारत भेजा था। १९५७ में हम ने विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के कारण पर्यटकों पर प्रतिबन्ध लगा दिया था। १९५८–५९ में 'इन-टूरिस्ट' का एक शिष्टमंडल यहां आया था और वह चाहते थे कि एक ऐसा समझौता हो जाये कि उनके यहां पर आये ५०० रूसियों पर १००० भारतीय रूस आने चाहिए। ऐसा निश्चित नियम बनाना हमारे लिए उचित नहीं था।

भूमि अर्जन

†*१४११. **श्री शिवचरण गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों से अपने लिये भूमि अर्जन अधिनियमों के अन्तर्गत भूमि अर्जित करने की प्रार्थना करती रही हैं और अनेक कम्पनियों ने इस प्रकार भूमि अर्जित कर ली है;

(ख) क्या यह सच है कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने १५ दिसम्बर, १९६१ को एक निर्णय दिया है जिस से उत्तर प्रदेश के कलैक्टर द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम की धारा ६ के अधीन जारी की गई अधिसूचना रद्द हो गई है और तब से भूमि अर्जन की इस प्रकार की सारी अग्रेतर कार्यवाहियां रुक गई हैं; और

(ग) सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है कि पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां भूमि अजूंन द्वारा अथवा अन्यथा कारखाने / उद्योग स्थापित करने के लिये भूमि अर्जित कर सकें ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). उच्चतम न्यायालय ने १५ दिसम्बर, १९६१ के अपने निर्णय में भूमि अर्जन अधिनियम की धारा ६ के अधीन अधिसूचना को रद्द कर दिया है। निर्णय के फलस्वरूप उत्पन्न मामलों पर विचार किया जा रहा है।

†**श्री शिवचरण गुप्त** : क्या राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर भूमि अर्जन अधिनियम की धारा ४० तथा ४१ को न मानने वाले मामलों की सूची बनाई है; यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन समझौतों को पूरा करने के लिए कोई कार्यवाही करने का है ?

†**श्री अ० म० थामस** : इस समय हमें कुल मामलों का पता नहीं है परन्तु राज्य सरकारों ने ऐसी आशंका जाहिर की है कि इस निर्णय से उद्योगों के आयोजित विकास में बहुत कठिनाई होगी। उन्होंने सिफारिश की है कि केन्द्र आवश्यक विधान पारित कर दे। हमने विधि मंत्रालय तथा अटोरनी जनरल का परामर्श लिया है। उनकी राय हमें मिल गई है और हम समझते हैं कि विधान में संशोधन करना पड़ेगा और आवश्यक उपबन्ध करने पड़ेंगे जिनके अनुसार कम्पनियों आदि के लिए सरकार भूमि का अर्जन कर सकेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब्र० बि० महरोत्रा** : क्या मंत्री जी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में भूमि का अर्जन बहुत सस्ते मूल्य पर किया जाता है ?

†**श्री अ० म० थामस** : इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्तमान अधिनियम के भाग (७) के उपबन्ध का उल्लंघन करके वस्त्र बनाने की मशीनों के पुर्जे बनाने का कारखाना बनाने के लिए कम्पनी के लिए भूमि का अर्जन किया था। उसी मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि कम्पनी के लिए भूमि का अर्जन कर सके।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : क्या सरकार का विचार समस्त भारत में भूमि अर्जन को समान विधि बनाने का तथा विभिन्न राज्यों की सभी विधियों को अन्तिम तिथि तक संशोधित करने का है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह दूसरा प्रश्न है।

†**श्री अ० म० थामस** : १८९४ का वर्तमान भूमि अर्जन अधिनियम, जिसके सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय का निर्णय हुआ है, समस्त देश में लागू है।

"इण्डियन शिपर" में आग

+

†*१४१२. **श्री श्रीनारायण दास** :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री गौरी शंकर :
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "इण्डियन शिपर" में, जब कि वह कलकत्ता से लिवरपूल जा रहा था, आग लग गई;

(ख) यह घटना किन परिस्थितियों में हुई; और

(ग) कितने मूल्य के सामान की हानि हुई ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां। कलकत्ता से लिवरपूल जाते हुए स्वेज नहर के पास ६ मई, १९६२ को भारतीय मालवाही जहाज 'इंडियन शिपर' के हैच संख्या ४ में आग लग गई थी।

(ख) और (ग). जहाज के नुकसान तथा आग के कारणों का इस समय पता नहीं है। जनहानि नहीं हुई है। जहाज को समुद्र में चलाये जाने योग्य घोषित कर दिया गया था और वह पश्चिम में लिवरपूल तथा एवनमाउथ को चल दिया था।

†**श्री गोरी शंकर** : उसमें जो सामान था उसकी क्षति के बारे में भी जांच की गयी ?

†**श्री राज बहादुर** : जिस हैच में अग्नि मिली उसमें आइल केक्स थे और कुछ जूट फाइवर का कारगो वगैरह था।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : आग दुर्घटना की क्या जांच की गई तथा उससे कितनी हानि हुई ?

†**श्री राज बहादुर** : जहाज जब बम्बई लौट आयेगा तब दुर्घटना की आरम्भिक जांच होगी। आशा हैं कि यह जुलाई में यहां आ जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : अब तक कितनी हानि का पता लगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री रघुनाथ सिंह ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : यह जहाज इण्डियन स्टीम शिप नैवीगेशन कम्पनी का हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कारण हैं कि इस कम्पनी के जहाजों में साल भर में तीन चार बार आग लग चुकी हैं और इनमें से एक जहाज तो समाप्त प्राय हो चुका हैं ? क्या सरकार की तरफ से इसकी कोई एंक्वायरी होगी क्योंकि ये जहाज हमारे यहां मारगेज्ड ?

†**श्री राज बहादुर** : यह बिल्कुल आकस्मिक घटना हैं कि आग लग जाती हैं । वैसे तो उसके बारे में नियम बने हुए हैं और एक्सप्लोसिव वगैरह लादने के भी नियम हैं । जब कभी ऐसी घटना होती है तो उसकी जांच होती है और अगर प्रेलिमिनरी जांच के समय ऐसे तथ्य मिलते हैं जिनके आधार पर फारमल जांच आवश्यक हो तो वैसा भी किया जाता है ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : हमारा सवाल यह था कि इसी कम्पनी के जहाजों में क्यों एक साल में तीन चार बार आग लगी ? क्या इसकी कोई एनक्वायरी हुई कि केवल इसी कम्पनी के जहाजों में क्यों आग लगती है क्योंकि ये जहाज हमारे पास मारगेज्ड हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : जहाज तो सभी मरगेज्ड हैं और इसके अलावा वे इंश्योर्ड भी होते हैं । तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इससे कोई दूसरा नतीजा निकाला जा सकता है । और कम्पनियों के जहाजों में भी आग लग जाती है । दुर्घटना तो सभी जगह होती है ।

†**श्री हेडा** : जहाज तथा माल का कितने का बीमा था तथा कम्पनी को कितना नुकसान होगा ?

†**श्री राज बहादुर** : इसी विषय की जांच होगी । जैसा मैंने बताया कि जैसे ही जहाज जुलाई में लौटेगा त्यं ही आरम्भिक जांच होगी और तभी कितनी हानि हुई है अथवा जहाज के ढांचे को कितना नुकसान हुआ है इन सभी प्रश्नों की जांच की जायेगी ।

जल संभरण योजनाएं

†*१४१३. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष (१) शहरों में जल सम्भरण और (२) गांवों में जल सम्भरण पर कितनी रकम खर्च की गयी है ;

(ख) क्या ग्रामीण जल सम्भरण योजनाओं के सम्बन्ध में सरकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं है और वह केवल नगरीय जल सम्भरण योजनाओं के लिये ही सहायता देती है ;

(ग) यदि हां, तो ग्रामीण जनता के साथ इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का सरकार क्या कारण बताती है ?

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू)** : (क) जानकारी इकट्ठा की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) नगरीय जल सम्भरण योजनाओं की देखभाल के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई सहायता नहीं दी गई है ।

(ग) उपरोक्त भाग (ख) के आधार पर प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : नगरीय तथा ग्राम्य जल सम्भरण योजनाओं के लिये किस आधार पर केन्द्रीय सहायता दी गई है ? क्या सरकार नहीं जानती कि नगरीय क्षेत्रों में जल सम्भरण को राज्य सहायता दी जाती है ?

†**डा० द० स० राजू** : नगरीय योजनाओं के लिये कोई सहायता नहीं दी जाती है । सम्भवतया माननीय सदस्य जानते हैं कि नगरीय योजनाओं को शत प्रतिशत ऋण सहायता दी जाती है जबकि ग्राम्य योजनाओं को ५० प्रतिशत अनुदान दिया जाता है ।

†**डा० गोविन्द दास** : जबकि शहराती क्षेत्र में शत प्रतिशत सबसिडी दी जाती है तो देहाती क्षेत्र में केवल ५० प्रतिशत देने का क्या कारण है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : लोन दिया जाता है सबसिडी नहीं ।

†**डा० गोविन्द दास** : जब नगरीय क्षेत्रों के लिये शत प्रतिशत ऋण दिया जाता है तो ग्राम्य क्षेत्रों के लिये केवल ५० प्रतिशत क्यों दिया जाता है ?

†**डा० द० स० राजू** : ऋण पर ४ अथवा ४।। प्रतिशत सूद दिया जाता है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : कुछ दिन पहले ही माननीय मन्त्री ने वक्तव्य दिया था कि नगरीय क्षेत्रों के लिये १९६१–६२ के लिये २०.२२ करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जबकि ग्राम्य क्षेत्रों के लिये ४.५ करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। १९६२–६३ में नगरीय क्षेत्रों के लिये १८.१५ करोड़ रुपये हैं जबकि ग्राम्य क्षेत्रों के लिये ३.२९ करोड़ रुपये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ग्राम्य क्षेत्रों के लिये कम आवंटन का क्या औचित्य है जबकि वहां की अधिक आवश्यकता है और जनसंख्या भी कुल का ०.८२ प्रतिशत है ?

†**डा० द० स० राजू** : ग्राम्य क्षेत्रों के लिये ५० प्रतिशत अनुदान दिया गया है तथा राज्य सरकारों और जनता द्वारा शेष ५० प्रतिशत इकट्ठा करने की आशा है ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या सरकार का विचार जल सम्भरण योजनाओं को प्रादेशिक आधार पर चलाने का है जिससे इसके अन्तर्गत अधिक क्षेत्र तथा अधिक जनता आ जाये ?

†**डा० द० स० राजू** : यह आधार नहीं है । वास्तव में राज्य सरकारें योजनाओं को प्रस्तुत करती हैं । वास्तव में राज्य सरकारों पर इसकी जिम्मेदारी है ?

†**श्री त्यागी** : राज्य सरकारों के अतिरिक्त यह सरकार भी सन्तोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे पाई है कि नगरीय भाइयों तथा ग्रामवासियों के बीच यह भेदभाव क्यों किया गया । किस कारण से ऐसा जनसंख्या अथवा आवश्यकता के आधार पर नहीं किया गया ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति शान्ति । वह तर्क कर रहे हैं । क्या माननीय मन्त्री उत्तर देना चाहते हैं ?

†**श्री द० स० राजू** : मुझे कोई भेदभाव मालूम नहीं पड़ता है । वास्तव मे उनके साथ पक्षपात किया गया है । क्योंकि उनको बिना सूद वाला ५० प्रतिशत अनुदान दिया गया है ।

†**श्री ओझा** : क्या केन्द्रीय सरकार को अपने उन वायदों की याद है जो उन्होंने नगरीय तथा ग्राम्य जल सम्भरण योजनाओं के लिये किए थे तथा क्या सरकार का विचार उन वायदों को पूरा करने का है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० द० स० राजू** : वह उन वायदों को पूरा करने को तैयार है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या भारत में ६००,००० के लगभग गांवों का सही तथा सही से कुछ कम अनुमान लगाया गया था कि दो पंचवर्षीय योजनाओं के पूरा हो जाने के बाद भी उनमें स्वच्छ तथा लगातार जल सम्भरण नहीं हो रहा है ? क्या यह ५० प्रतिशत है ?

†**श्री द० स० राजू** : भारत के गांवों का वास्तविक सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : कितने प्रतिशत गांवों में स्वच्छ तथा लगातार पीने के पानी का सम्भरण करने की व्यवस्था नहीं हैं ?

†**डा० द० स० राजू** : काफी बड़ी प्रतिशतता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह प्रतिशतता नहीं बता सकते हैं ।

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी** : क्या यह सच है कि एक गांव की योजना के लिये ११००० रुपये की सीमा निश्चित कर दी गई है ?

†**डा० द० स० राजू** : गांव के लिये दस हजार की जनसंख्या का आधार बनाया गया है ।

†**श्री मान सिंह पटेल** : क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के राज्य सरकारों को सहायता न दिये जाने के कारण वह दूसरी योजना में आरम्भ की गई योजनाओं को तीसरी योजना में बन्द कर रहे हैं ?

†**श्री द० स० राजू** : मुझे इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

†**श्री द० स० राजू** : क्या मैं यह समझूं कि माननीय मन्त्री को यह मालूम नहीं है कि ग्राम्य जल सम्भरण योजना को चलाने के लिये कोई सहायता नहीं दी जाती है जबकि नगरीय जल सम्भरण योजना जैसे दिल्ली की जल सम्भरण योजना सहायता प्राप्त हैं । ऐसा हाल में ही माननीय मन्त्री ने बताया था । मैं जानना चाहता हूं कि जनसंख्या जल सम्भरण के मामल में नगरीय क्षेत्रों तथा राज्य ग्राम्य क्षेत्रों में ऐसा भेदभाव क्यों रखा जाता है ?

†**डा० द० स० राजू** : सहायता को मैं नहीं समझा हूं .....

†**अध्यक्ष महोदय** : वह कह रहे हैं कि नगरीय जल सम्भरण को जब सहायता दी जा रही है तो ग्राम्य जल सम्भरण को सहायता क्यों नहीं दी जा रही है । इस भेदभाव के क्या कारण हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : हाल में ही हमें बताया गया था कि दिल्ली में जल सम्भरण में नुकसान हो रहा है । वह आठ आने की दर पर सम्भरण कर रहे थे और उनको २० लाख रुपया अथवा १८ लाख रुपये का नुकसान है । इसलिये उन्होंने इसको १२ आने कर दिया है । अभी भी इतना नुकसान है । इस नुकसान से सहायता देकर पूरा किया जा रहा है जबकि ग्राम्य जलसंभरण योजनाओं को एक पाई भी नहीं दी जा रही है । इस भेदभाव का क्या कारण है जबकि जल सम्भरण के मामले में बड़ी कठिनाई है ?

†**डा० द० स० राजू** : ग्राम्य योजनाओं को ५० प्रतिशत अनुदान दिया जाता है । यह पर्याप्त है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

---

†मूल अंग्रेजी में

छूत के रोगों का अस्पताल, दिल्ली

†*१४१५. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किंग्जवे कैम्प, दिल्ली के छूत के रोगों के अस्पताल में बहुत ही गन्दी और अस्वास्थ्यकर स्थिति विद्यमान है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू)** : (क) और (ख). इस मामले में एक रिपोर्ट दिल्ली की नगरपालिका निगम से मांगी गई है, जो इन अस्पतालों को चलाता है और अपेक्षित सूचना जब प्राप्त हो जायेगी तो यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या यह सच है कि स्थानाभाव के कारण, रोगियों को बरांडों में रखा जाता है, और वहां उन पर मक्खियां आती हैं तथा गर्द पड़ती हैं और यदि हां, तो क्या ५० पलंग के वार्ड का निर्माण मंजूर किया गया था और यदि हां, तो इसकी प्रगति क्या है ?

†**डा० द० स० राजू** : मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि मैं आज प्रातः अस्पताल में गया था । वहां कुछ अच्छी बातें भी हैं और बुरी बातें भी हैं । आज बरांडों में कोई रोगी नहीं था । कुछ वार्ड स्वच्छ हैं और कुछ इतने साफ नहीं रखे गये थे । कुछ वार्ड १९५४ में बनाये गये थे । वे अच्छी हालत में रखे हुए हैं । कुछ वार्ड १९३० में बनाये गये थे । उसकी हालत बुरी है, उनमें सफेदी और मरम्मत आदि की आवश्यकता है । यह मामला नगरपालिका निगम के विचाराधीन है । वे उत्तरदायी लोग हैं । उन्हें इसका निपटारा करना पड़ता है और मामले की सूचना उनको दे दी गई है ।

†**श्री जयपाल सिंह** : इस प्रश्न की सूचना दस दिन पहले दी गई थी । किन्तु मौके पर हमें रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी पड़ती है । ऐसा क्यों होने दिया जाता है ?

†**डा० द० स० राजू** : उत्तर देने में उनकी अपनी कठिनाइयां हैं । हम उत्तर मांग रहे हैं । हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा, हम उसे सभा के समक्ष रख देंगे ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या कर्मचारियों की भारी त्रुटियां, उदाहरणार्थ गलत शीशियों में गलत दवाइयां भर देने की बातें, सरकार को मालूम हुई हैं और यदि हां, तो क्या कोई कार्रवाई की गई है ?

†**डा० द० स० राजू** : हमें इसकी सूचना नहीं मिली ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : आज उपमंत्री हस्पताल किस कारण गये थे, सूचना दस दिन पहले दी गई थी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसमें क्या आपत्ति है ? वह केवल यह कह सकते थे कि क्या उनको पूर्व सूचना देकर गये थे । वह ऐसा कह सकते हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : यदि वह वहां पहले गये होते तो उनको सूचना मिल जाती ।

†**डा० द० स० राजू** : मैं पिछले दस दिनों से हस्पतालों में जा रहा हू ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली-श्रीनगर दूर-संचार सेवा

†*१४१६. **श्री अब्दुल गनी गोनी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और श्रीनगर के बीच दूर-संचार सेवा अक्सर बिगड़ जाती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि २५ मई, १९६२ से यह सेवा कुछ दिनों तक के लिये बन्द रही ; और

(ग) यदि हां, तो इस सेवा का अक्सर बन्द होना रोकने के लिये सरकार क्या उपाय करने वाली है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) :** (क) नहीं। तथापि दिल्ली और श्रीनगर के बीच खुली तार लाइनों पर जो तार संचार सर्कट लगाये गये हैं, उनमें समय समय पर अन्तर्बाधा होती है ।

(ख) नहीं ।

(ग) कई बार अन्तर्बाधा इसलिए होती है कि लाइन टूट जाती है, जो सर्वथा रोकी नहीं जा सकती। वैल्पिक संचार सर्किट, टेलीफोन और टेलीग्राफ, दोनों की व्यवस्था बेतार के तार द्वारा दिल्ली और श्रीनगर के बीच की गई है ।

†**श्री अब्दुल गनी गोनी :** दिल्ली और श्रीनगर के बीच कुल कितने घंटे तार संचार लाइन बन्द रही ?

†**श्री भगवती :** २५ मई से २७ मई १९६२ तक तीन दिन अन्तर्बाधा रही। दो टेलीफोन सर्किट—कुल २३ घंटे। किन्तु रेडियो टेलीफोन सर्किट तीन घंटों के अतिरिक्त हमेशा चलता रहा।

श्री रघुनाथ सिंह : श्रीनगर और दिल्ली के बीच कितनी लाइनें वर्क करती हैं ? दो सर्किट हैं या तीन साकट हैं ?

†**श्री भगवती :** इस समय दो ओवर हैड लाइनें काम करती हैं और बेतार सर्किट इनकी सहायता करते हैं ।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** कितनी लाइनें हैं, दो या तीन ?

†**श्री भगवती :** दो टेलीफोन लाइन । दो टेलीग्राफ लाइन ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ :** क्या यह रेडियो टेलीफोन लाइन साधारण व्यक्तियों को साधारण उपयोग के लिये मिल सकती है ?

†**श्री भगवती :** यह सब के लिये खुली है। प्रायः सभी टेलीफोन संचार बेतार सर्कट पर भेजे जाते हैं ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ :** पिछले सप्ताह ही टेलीफोन काल लगभग एक हफ्ते के लिये उपलब्ध नहीं थी ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह सूचना दी जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चिकित्सा के स्नातक

†*१४१९. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चिकित्सा स्नातकों द्वारा उपाधि प्राप्त करने के बाद ही ग्रामीण क्षेत्रों में उनसे कुछ समय तक काम कराने की किसी योजना पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू)** : (क) और (ख). इस प्रश्न का उत्तर गृह-कार्य मंत्री बाद में देंगे ।

†**श्री विभूति मिश्र** : मुझे उत्तर सुनाई नहीं पड़ा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उत्तर यह है कि इस प्रश्न का जवाब बाद में किसी दिन गृह-कार्य मंत्री द्वारा दिया जायेगा । क्या माननीय सदस्य को इसकी सूचना मिल गई थी ?

†**श्री विभूति मिश्र** : जी नहीं, मुझे नहीं मिली ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि कार्यालय के पास सूचना थी, तो यह सम्बद्ध सदस्य को क्यों नहीं दी गई ?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** इस प्रश्न को गृह-कार्य मंत्रालय को हस्तांतरित करने के क्या कारण है ? यह ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा स्नातको के काम करने का मामला है । यह अखिल भारतीय सेवा आदि का प्रश्न नहीं है । इसका स्वास्थ्य मंत्री ने उत्तर क्यों नहीं दिया ?

†**डा० द० स० राजू** : इसमें कुछ विधि सम्बन्धी उलझनें हैं और इस कारण प्रश्न पर गृह कार्य मंत्रालय को विचार करना था ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मेरा औचित्य प्रश्न है कि आपने पहले आदेश दिया था कि मंत्रालय बदले जाने पर सम्बद्ध सदस्य को सूचना दी जानी चाहिए, किन्तु इस प्रश्न के बदले जाने की सूचना नहीं दी गई ।

†**अध्यक्ष महोदय** : पिछली बार मैंने मंत्रियों को कहा था कि ऐसी अवस्था में उन्हें दफ्तर को सूचना दे देनी चाहिए । जो शुद्धिपत्र जारी किया गया है उसमें सूचना दे दी गई है ।

†**श्री दाजी** : श्रीमती रेणु चक्रवर्ती के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया कि यह प्रश्न क्यों गृह-कार्य मंत्रालय को हस्तांतरित किया गया ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उत्तर आने पर हम फैसला करेंगे कि इसका वास्तव में किस मंत्रालय से सम्बन्ध है और क्या इसमें कुछ उलझनें हैं या नहीं ।

†**श्री बड़े** : अब भी, विद्यार्थी को जो फार्म भरना पड़ता है, उसमें यह शर्त लिखी होती है कि उसे ग्राम्य क्षेत्रों में काम करना पड़ेगा, और यह फार्म स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** उत्तर आने पर देखेंगे कि क्या इसका हस्तांतरण ठीक था या नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भुवनेश्वर स्टेशन

†*१४२०. **श्री महेश्वर नायक** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भुवनेश्वर में एक नये रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य कार्यक्रम के अनुसार नहीं चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस काम की जितनी शीघ्र आवश्यकता है उसको शीघ्रतापूर्वक पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) और (ख). योजना को अन्तिम रूप देने में अपेक्षित से अधिक समय लग गया क्योंकि सब संगत पहलुओं, विशेषकर वस्तुओं सम्बन्धी बातों की ध्यानपूर्वक जांच करनी थी, ताकि राज्य सरकार के परामर्श के साथ भुवनेश्वर की विशेष वस्तुकला के साथ मेल खाये ।

(ग) योजनाओं को अन्तिम रूप देने के लिये और इस वर्ष के अन्दर काम आरम्भ करने के लिये विशेष प्रयत्न किया जा रहा है ।

†**श्री महेश्वर नायक** : क्या यह सही है कि जिस ठेकेदार को भुवनेश्वर का नया स्टेशन बनाने का काम दिया गया है, उसने वह सामान जो उसको दिया गया है, अपने दूसरे काम में लगा दिया है ?

†**श्री शाह नवाज खां** : मैं नहीं कह सकता कि ठेकेदार ने उसका क्या किया है ।

†**श्री महेश्वर नायक** : क्या यह देखना रेलवे प्रशासन की ज़िम्मेवारी नहीं है कि उनके पास जो ठेकेदार काम कर रहा है वह अनुसूची के अनुसार काम कर रहा है और विशिष्ट परियोजना के उपयोग के लिये सामान का उपयोग करता है ?

†**श्री शाह नवाज खां** : जैसा मैंने बताया, कुछ विलम्ब हुआ था क्योंकि राज्य सरकार और रेलवे के वस्तुकला भिज्ञ के बीच परामर्श होना था । किन्तु अब हम अन्तिम निर्णय पर पहुंच रहे हैं और आशा है कि इसी वर्ष के अन्दर काम आरम्भ कर देंगे ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या मैं यह समझूं कि निर्माण के लिये कोई ठेकेदार नियुक्त नहीं किया गया है ?

†**श्री शाह नवाज खां** : टैंडर मांगे गये हैं और ऐसे काम करवाने का यही सामान्य तरीका है । इसी का निस्संदेह पालन किया जायेगा ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने वर्षों से इस डिज़ाइन पर विचार किया जा रहा है और अब कितने वर्ष इस के पूरा होने में लगेंगे ।

श्री शाहनवाज खां : जैसा कि म ने अर्ज़ किया है, इसी साल काम शरू हो जायेगा ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : कितने वर्षों से यह काम चल रहा है ?

श्री बड़े : मनानीय मंत्री ने पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि कितने वर्षों से यह काम चल रहा है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य का स्वाल यह था कि कितने वर्षों से यह काम चल रहा है और कितने वर्ष लगेंगे ।

श्री शाहनवाज खां : दो तीन साल से जारी है और इसी साल काम शरू हो जायेगा ।

श्री भक्त दशन : श्रीमन्, मेरे प्रश्न का जवाब अभी भी नहीं दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या मिनिस्टर साहब कोई आइडिया नहीं दे सकते कि इस काम को कम्मल होने में कितने साल लगेंगे ? माननीय सदस्य बार बार यही बात पूछ रहे हैं ।

श्री शाहनवाज खां : मैं यहाँ नहीं कस सकता, लेकिन बहुत जल्दी, साल डेढ साल में, कम्मल हो जायेगा ।

श्री बागडी : मैं यह जानना चाहता हूं कि.....

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर । क्या माननीय सदस्य को लाइसेन्स है कि वह जब चाह खड़े हो जायें और सवाल करने लगें ?

†**श्री महेश्वर नायक** : कब तक निर्मात कार्य पूरा होने की संभावना है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वह इसका जितना उत्तर दे सकते थे, दे चुके हैं अगला प्रश्न ।

श्री बागडी : मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि ....

अध्यक्ष महोदय : अब मैं ने नैक्स्ट कवैश्चन बुला लिया है ।

दिल्ली के अस्पताल

+

†*१४२१. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली के अस्पतालों की हालत के सम्बन्ध में मई, १९६२ के अन्तिम सप्ताह में 'टाइम्स आफ़ इंडिया' में प्रकाशित लेख माला की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने उसमें की गई शिकायतों की ओर ध्यान दिया है ; और

(ग) उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) :** (क) जी हाँ, । उल्लिखित लेख दिल्ली नगरपालिका निगम द्वारा चलाये गये दिल्ली के कुछ सरकारी अस्पतालों की हालतों के बारे में है ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) उपर्युक्त कार्यवाई के लिए इस मामले की ओर निगम का ध्यान आकर्षित किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री हरिविष्णु कामत :** क्या सरकार को पता है कि रोगी मनष्यों की सेवा की भावना जो डाक्टरों और नर्सों में होनी चाहिए, पिछले दस वर्षों में जो सेवा की भावना थी, उस की तुलना में गिर गई है और अस्पतालों के अन्य कर्मचारियों में अनुशासन तथा स्वच्छता का भाव स्पष्टतः कम हो गया है ? यदि हाँ, तो इन मामलों को सुधारने के लिए सरकार क्या उपाय करने का विचार करती है ?

†**डा० द० स० राजू :** मैं समझता हूं कि डाक्टरों और नर्सों में सेवा की भावना वृद्धि पर है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** अगर बढ़ी है तो ठीक है । किन्तु दूसरी बात का क्या उत्तर है ?

†**डा०द० स० राजू :** डाक्टरों और नर्सों तथा पलंगों की कमी है । इन बातों को ध्यान में रखते हुए उस प्रकार की स्वच्छता और सफाई सही है ।

†**श्री हेम बरूआ :** अतः यह बात स्वीकार कर ली गई है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या सरकार को समाचार प्राप्त हुए है कि न केवल दिल्ली में अपितु समूचे देश में कुछ हस्पतालों में कुछ सर्जन अप्रेशन करने से इनकार कर देते हैं और अपने रोगियों को मेज पर ही छोड़ देते हैं यदि उन को नगद फीस नहीं दी जाती ।

†**डा० द० स० राजू :** कुछ इक्का दुक्का घटनाएं हो सकती हैं । यदि माननीय सदस्य मुझे ऐसे मामलों की सूचना दें, तो इसे ठीक किया जा सकता है । किन्तु यह सामान्य बात नहीं है ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या यह तथ्य है कि बहुत से रोगियों को डाकटर की मंत्रणा प्राप्त करने के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है ? तो क्या सरकार इन हस्पतालों में डाक्टरों की संख्या बढ़ाने का विचार करेगी ?

†**डा० द० स० राजू :** यह विचराधीन है । डाक्टरों की सामान्यतः कमी है और बाहर के रोगियों को प्रतीक्षा करनी पड़ती है । यह स्थिति समूचे देश में हैं ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, चूंकि कई वर्षों से इन अस्पतालों के सम्बन्ध में शिकायतें आ रही हैं और दिल्ली म्यूनिसिपल कार्पोरेशन ने अभी तक इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं की है, इस लिए क्या केन्द्रीय सरकार इन को सीधे अपने हाथ में लेने का विचार कर रही है ?

†**डा० द० स० राजू :** यह कार्रवाई का सुझाव है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या केन्द्रीय सरकार इन को अपने हाथ में लेने का विचार कर रही है । यह सजेस्टियन नहीं है ।

†**डा० द० स० राजू :** इस पर विचार करना होगा । इस समय यह नहीं हो रहा ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या दिल्ली में इस आशय की फैली हुई कुछ खबरों में कोई सत्यता है कि वरिष्ठ मंत्री व उपमंत्री— वह उपस्थित नहीं हैं —को स्वयं मंत्री बनने से पूर्व इस का दुखद अनुभव हुआ था कि रोगियों के प्रति कुछ डाक्टरों का रवैया इस बात पर निर्भर होता है कि क्या रोगी मंत्रियों या अन्य बड़े अफसरों से संबंध रखता है या नहीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** यह सब अनुमान है।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** यह अनुमान नहीं है सच्चाई है।

†**अध्यक्ष महोदय :** संभवत : इस मंत्री को यह अनुभव न हुआ हो।

†**श्री हरि विष्णु कामत:** मंत्री को यह अनुभव है।

†**श्री शिवचरण गुप्त :** क्या यह सही है कि कुछ हस्पतालों में आप्रेशन थियेटर वातानुकुलित नहीं है जिसका परिणाम यह होता है कि अप्रेशन कई महीनों तक स्थगित किये जाते हैं ?

†**डा० द० स० राजू :** यह सही है कि गर्मी के मौसम में, बड़े अप्रेशन करना कठिन होता है, जबतक कि अप्रेशन यिटर वातानकूलित न हो। कुछ हस्पतालों में ऐसा हुआ है।

श्री तुलसी दास जाधव : अभी कहा गया है कि फीस अदा न होने की सूरत में डाक्टर पेशंट को आपरेशन न करके ही छोड़ कर चले गए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह के ग्रीवेंसिस सरकार के कानों तक आए हैं और अगर आए हैं तो उनकी गिनती कितनी है।

†**डा० द० स० राजू :** हमें इस का पता नहीं है।

श्री बड़े : क्या यह सच है कि दिल्ली में पहले नर्सों को दिन में आठ आठ घंटे ही काम करना पड़ता था जबकि अब उनको बारह बारह घंटे काम करना पड़ता है ; क्या इसलिए वे अच्छा काम नहीं करती हैं, ठीक काम नहीं करती हैं ?

†**श्री बड़े :** क्या मैं अंग्रेज़ी में पूछूं, क्योंकि कोई उत्तर नहीं दिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय अंग्रेज़ी में सवाल करने की यह बात नहीं है। मैं समझा था कि यह सवाल जनरल है। लेकिन आप नर्सों में चले गए ..... (**अन्तर्बाधा**) शान्ति शान्ति। चूंकि सवाल जनरल था इसलिए मैंने उनको जवाब देने के लिए नहीं बुलाया।

†**श्री हेम राज :** दिल्ली के जो हस्पताल हैं, क्या यह सच है कि उनके एम्प्लायीज़ में वहाँ आपस में जांच की है, इसलिए वहाँ जो पेशेंटस् होते हैं, उनका इलाज दुरुस्त तौर पर नहीं किया जाता है ?

†**डा० द० स० राजू :** जी नहीं। हमें इस की सूचना नहीं मिली।

पर्यटक कारों का आयात

+

†*१४२२. { **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री प्र० च० बरूआ :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इंडिया भारत में लग्जरी' पर्यटकारों के आयात के लिये एक अमरीकीधर्म के साथ एक वस्तु-विनिमय करार के लिए बातचीत कर रहा है ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्तावित करार का वित्तीय दायित्व क्या होगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी नहीं। इस आशय का एक प्रस्ताव एयर इंडिया से कुछ महीने हुए प्राप्त हुआ था और उस की जांच वित्त एवं वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालयों द्वारा की जा रही है ।

(ख) प्रस्ताव के वित्तीय पहलू अभी एयर इंडिया से मालूम नहीं किये गए ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : इस प्रस्ताव का अन्तिम रूप से जांच किये जाने में कितना समय लगेगा और परस्पर विनियम सौदे की अवस्था क्या है ?

†**श्री राज बहादुर** : निश्चित समय अवधि बता सकना संभव नहीं कि कब तक अन्तिम निर्णय कर लिया जाएगा ?

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : अमरीका से विलासमय कारों के बदले कौन सी भारतीय वस्तुएं हमें देने का विचार कर रहे हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : जो प्रस्ताव प्राप्त हुआ है वह यह है कि कुछ दलों के लिए प्रथम श्रेणी की यात्रा की व्यवस्था की जाएगी जो इन कारों का भारत में निर्यात करेगी ।

†**श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या कुछ अन्य अमरीकी फार्में हैं जिन्होंने आदान-प्रदान के आधार पर कारों का निर्यात करने की पेश कश की है और यदि हां तो इन के नाम क्या हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : जहां तक परिवहन मंत्रालय का सम्बन्ध हैं, एयर इंडिया ने पूछताछ की हैं। हमने प्रस्ताव का अध्ययन किया है सरकार ने इस पर विचार किया हैं तथा वार्तालाप आरंभ हैं और संभवत: एयर इंडिया से केवल एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ हैं ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से विदेशी मुद्रा में कोई लाभ होगा ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं समझता हूं कि वित्त एवं वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालयों के विचार का निष्कर्श का अनुमान इस समय मेरे लिए लगभग उचित नहीं है ।

†**श्री शं० न० चतुर्वेदी** : क्या ये लक्जरी कारे भारत में नहीं बनाई जा सकती ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं ऐसा नहीं समझता । इस समय इन कारों के आयात पर प्रतिबंध है और इन को आयात करने का विचार है ।

†**श्री त्यागी** : मा० मंत्री के उत्तर से प्रतीत होता है कि परिवहन तथा संचार मंत्रालय ने इन विलासमय कारों के आयात का प्रस्ताव सिद्धांत रूप में स्वीकार किया है। जब मंत्रालय सहमत हो जायेगा तब यह प्रस्ताव अन्य मंत्रालयों के पास जांच के लिए जाएगा। इस मंत्रालय का क्या रुख हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : सरकार का निर्णय समूहिक और संयुक्त उत्तरदायित्व के आधार पर किया जाता हैं। अत: यह कहना सर्वथा सत्य नहीं होगा कि परिवहन मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया हैं या नहीं । वाणिज्य तथा उद्योग एवं वित्त मंत्रालयों की मंत्रणा प्राप्त होने के बाद हम विचार करेंगे ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी कितनी कारों के आयात के लिए सरकार के पास प्रस्ताव आया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर** : मैं गिनती तो नहीं बता सकता हूं कि कितनी कारों के लिए आया था लेकिन उन्होंने एक उसूल की बात पूछी थी कि क्या इस आधार पर कोई नेगोशियेशन चालू की जा सकती हैं ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मेरे सवाल का आशय यह है कि जो सुझाव एयर इंडिया से आया होगा तो उसके जवाब में सरकार मे कोई गिनती मांगी होगी कि कितनी कारों की आवश्यकता पड़ेगी और कितनी कारों की उसने मांग रखी है ?

श्री राज बहादुर : जो प्रस्ताव मेरे सामने हैं उसमें गिनती नहीं है ।

†**डा० मा० श्री० अणे** : क्या सरकार के लिए भारत में पर्यटक कारें बनाना संभव नहीं हैं ? यदि यह अब संभव नहीं हैं तो उनको के यह करना कब संभव होगा ?

†**श्री राज बहादुर** : यह प्रश्न इस्पात तथा भारी उद्योग मंत्री को पूछना चाहिये ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या एयर इंडिया इन्टरनेशनल ने अमरीकी फर्मों के नाम बताए हैं जिन के साथ ऐसा आदान प्रदान का समझौता होना संभव हैं और जिन के साथ प्रयोगात्मक बात चीत हो चुकी है ?

†**श्री राज बहादुर** : फर्म का नाम हमको बताया जा चुका हैं, किन्तु मेरे लिए इस हालत में उस फर्म का नाम बताना उचित नहीं हैं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस बात की दृष्टि से कि हमें बहुत सी ज़रूरी मशीनरी की ज़रूरत हैं, और हमें कभी कभी यह आदान-प्रदान समझौता करना पड़ता हैं, जो बड़ा संतोषजनक सम्झौता नहीं माना जाता, क्या मैं यहजान सकता हूं कि विलासयुक्त पर्यटक कारों का आयात करने की क्या शीघ्रता है जो प्राथमिता की सूची में बहुत नीचे होंगी ?

†**श्री राज बहादुर** : शीघ्रता यह है कि बहुत से पर्यटनक जो अमरीका से आते है, उनको उन बड़ी कारों का शौक हैं और यदि हम इन लोगों का भारत में भ्रमण बढ़ाने को प्रोत्साहन देना नहीं चाहते है और यदि हम उन के अधिक ठहरने को प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो हमें वे कारें खरीदनी पड़ेंगी । इसलिए पर्यटक विभाग यह अनुभव करता हैं कि हमारे पास पर्यटकों की आवश्यकताओं को पुरा करने के लिए ऐसी बहुत सी कारें रखनी चाहिएं । अथवा समूचे प्रस्ताव फे संतोषजनक स्वरूप का अन्यथा स्वरूप पर निर्भर करता है ।

हावड़ा स्टेशन पर सन्दूक में व्यक्ति का मिलना

†*१४२३. { **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री हेम बरूआ :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि २२ मई, १९६२ को हावड़ा स्टेशन पर एक सन्दूकसे पटसन मिल का एक कर्मचारी मिला था ;

---

†मूल अंग्रेजी मे

(ख) यदि हां, तो क्या उसने कोई बयान दिया है ;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा हैं ; और

(घ) क्या इस मामले में पुलिस ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रास्वामी)** :(क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) उसने पुलिस को बताया हैं कि कार्मिक संघ का सदस्य होने के नाते उसे कार में कुछ अज्ञात लोगों ने फंसाया, किस अधिकारी ने उसे बुलाया था। वह यह नहीं कह सकता कि उसे कहां बन्द रखा गया उसे कैसे ट्रंक में ताला बन्द करके रखा गया ।

(घ) अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच हैं कि यह श्रमिक, नूर-उल-हसन मजूरी बोर्ड के सामने साक्ष्य देना चाहता था और उसने मजूरी बोर्ड के सामने यह साक्ष्य दिया और पटसन मिल मालिकों की इच्छाओं के विरुद्ध कुछ कहा और इसी कारण पटसन मिल मालिकों ने उसे इस प्रकार बाधा और दूर भेज दिया ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : यह ऐसा प्रतीत होता है कि उसने पुलिस के सामने यह कहा था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह अनुमान लगाते हैं कि पटसन मिल मालिकों ने उसे बक्स में बंद कर दिया था ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या उसका साक्ष्य केवल पुलिस अफसरों की उपस्थिति में लिखा गया या अन्य अधिकारी भी वहां थे ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : मुझे यह सब ब्योरा मालूम नहीं है । मेरे पास उस वक्तव्य की बातें हैं जो उसने तहकीकात के दौरान पुलिस के सामने कही हैं ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : जिस मामले का मेरे मा० मित्र श्री स० मो० बनर्जी ने उल्लेख किया है उस की पृष्ठ भूमि की दृष्टि से, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस मामले की तहकीकात करते समय रेलवे पुलिस पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को श्रम विभाग तथा मिल के अधिकारियों का सहयोग प्राप्त कर रही है । अथवा दोषी व्यक्ति को पकड़ना संभव नहीं होगा ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी**: समूची तहकीकात सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा की जा रही है और वह राज्य की पुलिस है ।

†**श्री हेम बरूआ** क्या यह सही नहीं है कि उस व्यक्ति ने मजूरी बोर्ड के सामने साक्ष्य दिया, उसे बरखास्त कर दिया गया और तब केवल कार्मिक संघ द्वारा हस्तक्षेप करने पर उस पुनः काम पर लगाया गया ? क्या यह सही नहीं है कि वक्तव्य में उसने कुछ लोगों के विरुद्ध भारी आरोप लगाये हैं, जिन में श्रम निरीक्षक शामिल हैं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : यह सब कुछ इस प्रश्न से पैदा नहीं होता ।

†**श्री दाजी** : क्या यह सही है कि अपने वक्तव्य में उसने मिल के श्रम अफसर के बारे में यह कहा था कि उसने उसके द्वारा वक्तव्य दिये जाने के तुरन्त पश्चात उसे धमकी दी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

कुछ मा० सदस्य उठे——

†**अध्यक्ष महोदय** : शाँति, शाँति ।

†**रेलवे मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** जहाँ तक तहकीकात के ब्योरे का सम्बन्ध है, यह पूर्णतया राज्य सरकार तथा सरकारी रेलवे पुलिस, यद्यपि इसे रेलवे पुलिस कहा जाता है, राज्य पुलिस के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, बल्कि उसका ही अंग है, क्यों कि विधि और व्यवस्था कायम रखना उनकी जिम्मेवारी है। इस मामले में, अब तक हुई तहकीकात से पता चला है कि केवल रेलवे कर्मचारी या उन से संबद्ध कोई व्यक्ति का इसके साथ सम्बन्ध नहीं है। यह एक साधारण अपराध है और यदि और कुछ सूचना माँगी जाती है, उसके लिये यह उचित स्थल नहीं है।

†**श्री नम्बियार** : क्या रेलवे में, एक सी० आई० डी० रेलवे विभाग है ? इस प्रकार का एक विभाग है जिसका रेलवे प्रशासन के साथ संबंध है। क्या रेलवे की सी० आई० डी० ने इस हत्या का मूल कारण जानने का कोई प्रयत्न किया है और राज्य सरकार को सूचना दी है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह हत्या है ? एक ओर वह सी०आई०डी० के बारे में उत्तर चाहते हैं और दूसरी ओर हत्या की बात करना चाहते हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह मालूम किया गया है कि वह कुल कितने घंटे बक्स में रहा और क्या उसने इस आशय का कोई साक्ष्य दिया है ?

†**श्री स्वर्ण सिंह** : हमें ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई।

उड़ीसा में रेलवे द्वारा अयस्क का परिवहन

†*१४२४. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कलकत्ता पत्तन से निर्यात के लिये उड़ीसा से १९६१–६२ में खनिज अयस्कों की ढुलाई के निर्धारित लक्ष्य को पूरा कर सकी है ; और

(ख) खनन उद्योग की कुल माँग क्या है और इस समय उड़ीसा में विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर ढुलाई के लिये कितना अयस्क पड़ा है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शहानवाज खां)** (क) कलकत्ता पत्तन से निर्यात के लिये उड़ीसा से १९६१–६२ में खनिज अयस्कों की ढुलाई निर्धारित लक्ष्य पूरे नहीं किये जा सके क्योंकि बदामपहाड़ और जजपुर के ओनझर रोड क्षेत्र में पर्याप्त इन्डेन्ट नहीं थे और बराजमदा क्षेत्र के इन्डेन्ट वर्ष के उत्तरार्ध में इकट्ठे कर दिये गये और साथ ही इस क्षेत्र से रूरकेला इस्पात संयंत्र को अयस्क भेजने को उच्च पूर्ववर्तिता देनी पड़ी।

(ख) १–५–६२ को बराजमदा में पड़े हुये अयस्क की ढुलाई के लिये २७१३ बीजी वैगन आवश्यक थे और बदामपहाड़ में पड़े हुये अयस्क की ढुलाई के लिये दो बीजी बैगन की माँग की गयी थी। जाजपुर के आनेझार रोड में ढुलाई के लिये कोई अयस्क नहीं था।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : जितना लौह अयस्क जमा हो गया है उसे ढोने के लिये कितना समय लगेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शाहनवाज खां :** आम तौर पर जब काम ज्यादह होता है तो स्टाक जमा हो जाता है और जब काम कम होता है तब रेलवे के पास ज्यादह वैगन होते हैं और जमा हुआ स्टाक गंतव्य स्थानों को पहुंचा दिया जाता है ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** मंत्री महोदय ने सामान्य उत्तर दिया है । मैं जानना चाहता हूं कि रेलवे इकट्ठा हुये स्टाक को कब तक ढो लेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय :** भविष्य में जब काम कम होगा तबरे लवे स्टाक का परिवहन कर देंगी ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** काम कब कम होगा ? क्या यह स्टाक इस वर्ष में पहुंचा दिया जायेगा ?

†**श्री शाहनवाज खां :** बारिश का मौसम शुरू होने पर काम कम हो जाता है । इसलिये हमें उम्मीद है कि बारिश के मौसम में स्टाक हटा लिया जायेगा । मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि कलकत्ता पत्तन में ही कोई २६५५० टन लोह अयस्क पड़ा हुआ है और वह बढ़ता जा रहा है किन्तु कोई असाधारण स्थिति उत्पन्न नहीं हुई ।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल :** उड़ीसा में जितने बैगन माँगे गये हैं उनमें से किने राज्य व्यापार निगम ने माँगे और कितने अन्य लोगों ने ?

†**श्री शाहनवाज खां :** इसके लिये मुझे अलग से सूचना चाहिये ।

हिन्द महासागर अभियान

†*१४२६. **श्री सुबोध हंसदा :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक तथा तार विभाग १९६२–६४ के अन्तर्राष्ट्रीय हिन्द महासागर अभियान में हिस्सा ले रहा है ;

(ख) यदि हाँ तो क्या यह अभियान में शामिल हो गया है ;

(ग) इसके लिये आय-व्ययक में क्या उपबन्ध किया गया है ; और

(घ) क्या अभियान का समस्त व्यय सरकार वहन करेगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

भारत में टेलीफोन सेवा

+

†*१४२८. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री मोहसिन :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में, विशेषतया बम्बई क्षेत्र में, टेलीफोन सेवा में हाल में बड़ी अकुशलता आ गई है ,

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हाँ तो ऐसा किन परिस्थितियों में हुआ ; और

(ग) स्थिति को ठीक करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) और (ख). जी, नहीं। ट्रंक काल में होने वाला विलम्ब बढ़ गया है क्योंकि ट्रंक की लाइनें अपर्याप्त है और ट्रंक काल की संख्या काफी बढ़ गयी है। बम्बई में वर्तमान एक्सचेंजों के विस्तार तथा नये एक्सचेंज खोलने की योजनायें कार्यन्वित की जा रही हैं और इन योजनाओं के कार्यान्वित होने पर बम्बई में टेलीफोन सेवा में सुधार होगा। बम्बई के एक्सचेंज इस समय बहुत काम कर रहे हैं।

(ग) भारत के मुख्य शहरों के बीच अधिक क्षमता वाले भूमिगत केवल बिछाने की योजना तैयार कर ली गई है और उसके तीसरी पंचवर्षीय योजना में पूरे कर लिये जाने की संभावना है। उपलब्ध संसाधनों से स्थानीय टेलीफोन व्यवस्था के विस्तार तथा पुराने उपकरणों के स्थान पर नये उपकरण लगाने की योजना मंजूर की जा रही है।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : इस बात को देखते हुये कि टेलीफोन और तार की कुशलता के ह्रास के बारे में समाचार पत्र और जनता शिकायत कर रही है तो सरकार यह व्यवस्था करने में इतनी शिथिल क्यों है ?

†**परिवहन तथा सचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : सरकार शिथिल नहीं है। कुछ क्षेत्रों में शिकायत की गई है और टेलीफोन तथा तार सेवा की कुशलता बढ़ाने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या यह सच है कि टेलीफोन काल्स का "ओवरलोडिंग" दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता रहा है ; और यदि हाँ, तो क्या इसके लिये कर्मचारियों की ढिलाई उत्तरदायी है अथवा दोषपूर्ण मशीनें ?

†**श्री भगवती** : काल्स की संख्या में बहुत वृद्धि हो जाने से ऐसा होता है। कर्मचारी कोई ढिलाई नहीं करते।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या यह सच है कि पिछले कुछ महीनों में देशभर में टेलीफोन सेवा की कुशलता के बारे में असंख्य शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

†**श्री जगजीवन राम** : मेरा ख्याल है कि इस सम्बन्ध में इस प्रकार का सामान्य कथन सही नहीं है। कुछ जगहों में स्थानीय सेवा के बारे में शिकायत है जब कि ट्रंक की व्यवस्था ठीक है। कुछ अन्य स्थानों में स्थानीय सेवा ठीक है किन्तु ट्रंक काल्स के बारे में शिकायतें हैं। इस लिये यह नहीं कहा जा सकता कि देशभर में शिकायतें की जा रही हैं। कुछ क्षेत्रों में कठिनाइयाँ तो हैं और जब तक विदेशी मुद्रा की स्थिति में सुधार न हो जाये और जब तक हम केवल और अन्य उपकरण आयात करने की स्थिति में न हो जायें, तब तक ये कठिनाइयाँ बनी रहेंगी।

†**श्री मोहिसन** : क्या सरकार को विदित है कि कुछ समय पूर्व "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित हुआ था कि विशेषकर बम्बई क्षेत्र में टेलीफोन व्यवस्था में बहुत अकुशलता आ गयी है और सेवा में सुधार होने में कई वर्ष लग जायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जगजीवन राम :** "टाइम्स आव इंडिया" के बारे में तो मैं नहीं जानता। "हिन्दुस्तान टाइम्स" ने पिछले दो मास से एक विशेष फीचर शुरू किया है। जहां तक बम्बई की स्थानीय टेलीफोन सेवा का सम्बन्ध है, स्थिति में कुछ सुधार हुआ है किन्तु बम्बई से दिल्ली और कलकत्ता के लिये ट्रंक काल बुक करने में कठिनाई होती है।

श्री विभूति मिश्र : क्या यह सही है कि टेलिफोन एक्स्चेन्ज से बम्बई से कलकत्ता को ट्रंक लाइन नहीं मिलती है और बम्बई से दिल्ली को मिलने में कठिनाई होती है ?

श्री जगजीवन राम : जी हां, मैं ने कहा कि जहां तक बम्बई का सवाल है, हालत कुछ सुधर रही है, लेकिन नई दिल्ली से कलकत्ता ट्रंक टेलिफोन करने में कठिनाई है और दिल्ली से भी कलकत्ता को ट्रंक टेलिफोन करने में कठिनाई है।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है कि टेलीफोन का किराया और काल की दरें बढ़ने के साथ ही कुशलता कम हो गयी है और यदि हां, तो क्या सरकार ने इन दो चीजों के बीच क्या अदृश्य सम्बन्ध है यह जानने की कोशिश की है ?

†**श्री जगजीवन राम उठे—**

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति।

†**श्री हेम बरूआ :** श्रीमन्, माननीय मंत्री उत्तर देने के लिये तैयार थे।

†**अध्यक्ष महोदय :** चूंकि वह सम्बन्ध अदृश्य है इसलिये उसे स्पष्ट भी नहीं किया जा सकता।

†**श्री उ० मू० त्रिवदी :** माननीय मंत्री ने इस बात को अस्वीकार किया है कि कुशलता का ह्रास हुआ है और उनकी राय में स्थिति में सुधार हुआ है। क्या मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात लायी गई है कि बम्बई क्षेत्र में १४ और २० मील की दूरी के स्थानों के लिये बुक किये गये ट्रंक काल मिलने में कम से कम ८ घंटे लग जाते है ? यदि हां, तो क्या उनकी राय में यह कुशलता का ह्रास नहीं है ?

†**श्री जगजीवन राम :** मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य संभवत: मेरी बात समझ नहीं सके है। मैं ने बताया है कि बम्बई में स्थानीय सेवा में तो कुछ सुधार हुआ है किन्तु ट्रंक काल की स्थिति में काफी सुधार अपेक्षित है। जब ट्रंक काल्स की संख्या बहुत बढ़ जाये और ट्रंक लाइनों की संख्या में उसी अनुपात में वृद्धि न हो तो ट्रंक काल मिलाने में देर तो होगी ही। बम्बई में यही हुआ है। जैसा कि मैं कह चुका हूं, जब तक हम नई लाइनें स्थापित न करें और केबल आदि की व्यवस्था न करें तब तक ये कठिनाइयां विद्यमान रहेंगी। किन्तु इस सम्बन्ध में बनाई गयी योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है।

†**श्री रा० शि० पाण्डय :** हर साल बारिश की वजह से बम्बई के भूमिगत केबल खराब हो जाते हैं। सरकार इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

†**श्री जगजीवन राम :** मेरा ख्याल है कि अनुसंधानकर्ता इस सम्बन्ध में जांच कर रहे हैं। अन्य देशों को भी इस कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या शिकायतों को दूर करने की प्रक्रिया और व्यवस्था में सुधार करने और शिकायतों के सम्बन्ध में आपरेटर मनमाने ढंग से कार्यवाही करते हैं इस स्थिति को

---

†मूल अंग्रेजी में

दूर करने के लिये कोई कार्यवाही की जायेगी ? वे चाहें तो काल दें और उनकी इच्छा न हो तो काल न मिले और हमें सही स्थिति का पता नहीं चलता ।

†**श्री जगजीवन राम** : शिकायतों की जांच के लिये एक यूनिट है किन्तु काल्स की संख्या में बहुत वृद्धि हो गयी है जबकि ट्रंक की लाइनें उतनी नहीं बढ़ीं इसलिये लाइनें सदा व्यस्त रहती हैं। आपरेटर कर्मचारियों का भी कुछ अभाव है। मैं इन कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के प्रश्न की जांच कर रहा हूं ताकि शिकायतें किसी हद तक कम की जा सकें ।

अल्प-सूचना प्रश्न और उत्तर

कलकत्ता में उत्पत्तिशास्त्र तथा आयु-विज्ञान सम्बन्धी अनुसन्धान एकक[1]

+

१४. †**अल्प सूचना प्रश्न संख्या** { **श्री प्रभात कार** : **श्री ही० ना० मुकर्जी** :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान विश्वविख्यात वैज्ञानिक प्रोफेसर जे० बी० एस० हाल्डेन के उस पत्र की ओर गया है जो दिनांक ३० मई, १९६२ के "अमृत बाजार पत्रिका" (कलकत्ता संस्करण) में प्रकाशित हुआ है;

(ख) उनके मंत्रालय के १९६१-६२ के प्रतिवेदन में १६वें पृष्ठ पर उत्पत्ति शास्त्र और आयुविज्ञान सम्बन्धी एकक (यूनिट) के बारे में जो वक्तव्य है वह सही नहीं है;

(ग) इस एकक के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि प्रोफेसर हाल्डेन को इस यूनिट के प्रधान के रूप में नियुक्ति की जानकारी नहीं थी; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) जी, हां।

(ख) जी नहीं ।

(ग) से (ङ). प्रोफेसर हाल्डेन को उत्पत्तिशास्त्र और आयु-विज्ञान यूनिट का १ नवम्बर, १९६१ से प्रधान नियुक्त करने के बारे में आदेश ३० नवम्बर, १९६१ को जारी किये गये थे और उन्होंने अप्रैल, १९६२ के महीने का वेतन ले लिया है । मैं यहां यह भी बता दूं कि उन्होंने पहली बार वेतन ६ दिसम्बर, १९६१ को प्राप्त किया था और भविष्य में हर तीसरे महीने वेतन प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की थी । इस यूनिट में एक सीनियर साइंटिफिक आफिसर ग्रेड १, एक जूनियर साइंटिफिक आफिसर और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी गयी है । प्रोफेसर हाल्डेन ने अनुसंधान के बारे में एक अस्थायी कार्यक्रम की रूपरेखा बताई है ।

†**श्री प्रभात कार** : क्या मैं प्रोफेसर हाल्डेन के पत्र के कुछ अंश उद्धृत कर सकता हूं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य पत्र के कुछ अंश उद्धृत कर सकते हैं किन्तु उन्हें मंत्री महोदय से जानकारी प्राप्त करनी होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

1 Genetics and Biometry Research Unit

†**श्री प्रभात कार :** उन्होंने पत्र में कहा है—

"यदि मुझे इस संस्था का पता सूचित किया जाये तो बड़ी कृपा होगी ।"

प्रोफेसर हाल्डेन इस संस्था के प्रधान समझे जाते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वे अपना वेतन सरकार से प्राप्त कर रहे हैं ।

†**श्री प्रभात कार :** क्या प्रोफेसर हाल्डेन द्वारा यह पत्र लिखे जाने के बाद वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय ने इन बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिये उन से सम्पर्क स्थापित किया ?

†**श्री हुमायून कबिर :** मंत्रालय का इस से कोई सम्बन्ध नहीं है । इस से वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् सम्बन्धित है । माननीय सदस्य की जानकारी के लिये मैं बता दूं कि प्रोफेसर हाल्डेन ने अपनी सभी शिकायतें जिन कागजों पर लिख कर भेजी हैं, उन पर निम्नलिखित पता होता है :—

"वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् उत्पत्तिशास्त्र और आयुविज्ञान यूनिट"

†**श्री हेम बरुआ :** क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में चित्र के साथ छपे इस समाचार की ओर गया है कि प्रोफेसर हाल्डेन को अपने एक गुसलखाने को प्रयोगशाला बनाना पड़ा क्योंकि मंत्रालय ने उन्हें कार्यालय अथवा किसी अन्य बात की सुविधा प्रदान नहीं की ?

†**श्री हुमायून कबिर :** माननीय सदस्य को यह ज्ञात होना चाहिये कि मेरे पास कोई अलादीन का चिराग़ नहीं है । वह मकान प्रोफेसर हाल्डेन को १ नवम्बर, १९६१ से दिया गया था । वे किसी विशिष्ट मकान में रहना चाहते थे । वह अर्जित कर लिया गया और मार्च, १९६१ में हमें उसका कब्जा मिला है । उस मकान में प्रोफेसर हाल्डेन की इच्छानुसार मरम्मत की जा रही है । इस बीच उन्होंने कहा कि वे अपने मकान में काम करेंगे । वे अपना काम गुसलखाने में करें या बैठक के कमरे में यह उनकी मर्ज़ी है ।

†**श्री प्रभात कार :** क्या माननीय मंत्री का ध्यान प्रोफेसर हाल्डेन द्वारा १० जून को दिये गये वक्तव्य की ओर गया है जो "स्टेट्समैन" में प्रकाशित हुआ है ? उन्होंने कहा है कि उनके यूनिट को कलकत्ता की किसी संस्था में कार्यालय के लिये स्थान दिया गया यह बात उन्हें समाचार पत्रों से ज्ञात हुई और उन्हें इस बारे में सम्बन्धित अधिकारियों से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई ?

†**श्री हुमायून कबिर :** मैं ने माननीय सदस्य को अभी बताया है कि हमारे पास प्रोफेसर हाल्डेन के लिखे पत्र हैं जिन में उन्होंने वेतन-प्राप्ति की सूचना दी है । उन्होंने वेतन देने के लिये कोई और तरीके का सुझाव दिया है । उन्होंने हमें लिखा है कि वे अपने यूनिट के नाम में कुछ लेख आदि प्रकाशित करना चाहते हैं । उन्होंने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के प्रतिनिधि की हैसियत से किसी सम्मेलन में भाग लिया है । इस से ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता ।

†**श्री प्रभात कार :** श्रीमन्, मैं ने प्रोफेसर हाल्डेन के निवास तथा कार्यालय के स्थान के बारे में कुछ जानकारी मांगी किन्तु मंत्री महोदय उनके वेतन की जानकारी दे रहे हैं ।

†**श्री हुमायून कबिर :** मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि प्रोफेसर हाल्डेन के यूनिट को इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बायोकेमिस्ट्री एंड एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन में जगह दिलायी गयी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कलकत्ता—अगरतला माल सेवा

+

†**अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १५.** { **श्री दशरथ देव :**
श्री बीरेन दत्त :

क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है मालवाहक हवाई जहाजों के अभाव के परिणामस्वरूप कलकत्ता से अगरतला भेजने के लिये बुक की गई अत्यावश्यक वस्तुएं मई १९६१ के अन्तिम सप्ताह से कलकत्ता में पड़ी हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उड़ानों की संख्या अचानक क्यों कम हो गयी ; और

(ग) इन कठिनाइयों को तुरन्त दूर करने के लिये सरकार क्या कदम उठाने का इरादा रखती है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) से (ग) इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन ने सूचित किया है कि मई, १९६२ के उत्तरार्द्ध में मालवाहक विमानों के अभाव तथा खराब मौसम होने के कारण वह कलकत्ता और अगरतला के बीच माल ढुलाई की मांग की पूर्ति नहीं कर सका है। उसने बताया है कि १८ मई, १९६२ के बाद स्थिति में सुधार हुआ है और एक और सप्ताह के बाद एक और विमान उपलब्ध होने की सम्भावना है जिससे स्थिति में और सुधार होने की आशा है ।

†**श्री दशरथ देव** : इस क्षेत्र में कितने मालवाहक विमानों की आवश्यकता है और रोज कुल कितने विमान चलते हैं ?

श्री मुहीउद्दीन : २० मई से ५ जून, १९६२ तक विमानों की ७३ उड़ानें हुईं जबकि १९६१ में इसी अवधि में ७२ उड़ानें हुई थीं ।

†**श्री दशरथ देव** : कलकत्ता में इस समय कुल कितने किलोग्राम अथवा कितने मन माल पड़ा हुआ है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : मैं जानकारी नहीं दे सकता क्योंकि जो लोग किराये पर विमान लेते हैं वे अपनी मांग आम तौर पर बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। आई० ए० सी० ने सूचित किया है कि गत महीने कलकत्ता से अगरतला माल भेजने की मांग रही है और आशा है कि माल जल्दी ही भेज दिया जायेगा।

†**श्रीमती रेणुचक्रवर्ती** : इस बात को देखते हुए कि अगरतला का रेल से शेष भारत से सम्बन्ध नहीं है क्या मन्त्रालय ने इस बात का पता लगाने की कोशिश की है कि कलकत्ता में इस तरह जो माल सदा पड़ा रहता है उसे ढोने के लिये और कितने मालवाहक विमानों की आवश्यकता है और क्या सरकार ऐसे नये अथवा पुराने विमान प्राप्त करने का इरादा रखती है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : यह कथन सही नहीं है कि माल सदा पड़ा रहता है। माल किसी विशिष्ट में पड़ा रहता है। क्योंकि मांग अचानक बढ़ जाती है। अब आई० ए० सी० इस मांग के बढ़ने का अनुमान तो नहीं लगा सकती। उदाहरण के तौर पर उसे मालूम रहता है कि पूजा के दिनों में मांग बढ़ जाती है और वह इस मांग को पूरा करने की व्यवस्था करती है। इसी तरह वह अन्य मौसमों में व्यवस्था करती

---

†मूल अंग्रेजी में

है । आशा है कि इस मार्ग पर एक और विमान चलाने की व्यवस्था हो जायेगी और वर्तमान कठिनाई दूर हो जायेगी ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या परिवहन तथा संचार मन्त्रालय त्रिपुरा और मनीपुर की आवश्यकताओं की हर साल उपेक्षा नहीं करता और यदि हां तो क्या सरकार इस तरह के भ्रामक वक्तव्य देने के बजाय स्थिति में सुधार करने का इरादा रखती है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : स्थिति में सुधार करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

†**श्री दशरथ देव** : ८ मई, १९६२ को मेरे अतारांकित प्रश्न संख्या ८३९ के उत्तर में उपमन्त्री ने बताया था कि अगरतला-कलकत्ता क्षेत्र में जनवरी-फरवरी, १९६२ में मालवाहक विमानों का कुछ समय के लिये अभाव रहा है । उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि इस कठिनाई को दूर करने के लिये सभी सम्भव कार्यवाही की जायेगी । उनके आश्वासन के बावजूद एक ही सप्ताह में यह कठिनाई फिर कैसे उत्पन्न हुई ? मन्त्री महोदय ने उसे दूर करने के लिये क्या विशेष कदम उठाये ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : यह कठिनाई इसलिये उत्पन्न हुई कि इस सेवा से एक विमान को मरम्मत आदि के लिये हटाना पड़ा । जैसे ही ये विमान उड़ान के लिये योग्य प्रमाणित कर दिये जायेंगे उन्हें उस मार्ग पर सेवा के लिये भेज दिया जायेगा ।

पूना-बंगलौर एक्सप्रेस का पटरी से उतरना

+

†**अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १६.** { **श्री मोहसिन :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूना-बंगलौर एक्सप्रेस के ४ जून, १९६२ को कुन्दगोल और सौंशी के बीच पटरी से उतरने के क्या कारण हैं ;

(ख) कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए ;

(ग) रेल पटरी से किस समय उतरी ;

(घ) कितने घायल व्यक्तियों को अस्पताल ले जाया गया ;

(ङ) रेलवे-सहायता गाड़ी दुर्घटना के स्थान पर किस समय पहुंची ;

(च) मृत व्यक्तियों के आश्रितों और घायल व्यक्तियों को क्या सहायता दी गई है ;

(छ) क्या रेल के पटरी से उतरने के कारणों की किसी ऐसे अधिकारी द्वारा, जो रेलवे में नहीं है, अथवा किसी गैर-सरकारी व्यक्ति द्वारा जांच की जायेगी ;

(ज) क्या सरकार को ज्ञात है कि बेन्नीहलमा ने जहां रेल पटरी से उतरी, रेल के डिब्बों के अक्सर खतरा पैदा किया है और पहले इसी स्थान में गाड़ियां पटरी से उतरी हैं ; और

(झ) क्या भविष्य में इस स्थान में इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिये कोई स्थायी उपाय सोचा जा रहा है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)**: (क) रेल के पटरी से उतरने के कारणों की जांच की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ५ व्यक्तियों की मृत्यु हुई जिनमें से एक की अस्पताल ले जाते समय और एक की अस्पताल में मृत्यु हो गयी; १५ व्यक्तियों को, जिनमें अस्पताल में मरा व्यक्ति शामिल है, गम्भीर चोटें आईं जबकि ४७ व्यक्तियों को मामूली चोटें आईं।

(ग) ४–६–६२ को लगभ ०६.०० बजे।

(घ) ४–६–६२ को ९.०५ बजे।

(ङ) ४–६–६२ को ७.२५ बजे।

(च) मृत व्यक्तियों के आश्रितों और घायल व्यक्तियों को अनुग्रहात् ५,७०० रुपये दिये गये हैं।

(छ) रेलवे सुरक्षा सम्बन्धी अतिरिक्त आयुक्त, बंगलौर द्वारा दुर्घटना की संविहित जांच की जा रही है।

(ज) गत ४ वर्षों में एक मालगाड़ी पटरी से एक बार उतरी थी और यह दुर्घटना ११/११ मील पर हुई थी।

(झ) रेलवे सुरक्षा सम्बन्धी अतिरिक्त आयुक्त की सिफारिशें प्राप्त होने पर इस मामले पर विचार किया जायेगा।

†**श्री मोहसिन** : क्या सरकार मृत व्यक्तियों के आश्रितों और घायल व्यक्तियों को कुछ और मुआवजा देने के बारे में विचार करेगी ?

†**श्री शाहनवाज खां** : दावों के निपटारे के लिये एक आयुक्त नियुक्त किया जायेगा जो प्रत्येक को दी जाने वाली राशि निर्धारित करेगा।

†**श्री मोहसिन** : क्या दुर्घटना तोड़-फोड़ के कारण हुई इस बात का पता लगाने के लिये पुलिस के कुत्ते दुर्घटना स्थान पर लाये गये थे और यदि हां, तो क्या उससे कोई उपयोगी जानकारी हासिल हुई ?

†**श्री शाहनवाज खां** : दुर्भाग्यवश पुलिस के कुत्ते विशेष उपयोगी सिद्ध नहीं हुए क्योंकि जिन फिशप्लेटों को हटाने का आरोप लगाया गया था उन्हें कई व्यक्ति छू चुके थे। यदि उन्हें किसी ने छुआ न होता तो कुत्ते उपयोगी सिद्ध होते।

†**श्री नम्बियार** : इस बात को देखते हुए कि यह एक्सप्रेस गाड़ी के पटरी से उतरने की दुर्घटना है जिसमें कई व्यक्तियों की मृत्यु हुई और कई अन्य घायल हुए, क्या सरकार अधिकृत जांच कराने के बजाय सार्वजनिक जांच कराने का इरादा रखती है क्योंकि सार्वजनिक जांच के फलस्वरूप अधिक जानकारी प्राप्त हो सकती है और ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकना सम्भव होगा ?

†**रेलवे मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : जो जांच इस समय की जा रही है वह एक स्वतन्त्र अधिकारी द्वारा की जा रही है। मेरी समझ में नहीं आता कि "सार्वजनिक जांच" से मानीय सदस्य का क्या अभिप्राय है। यह जांच सार्वजनिक जांच ही है और जिस किसी के पास कोई उपयोगी जानकारी हो उसे वह जांच करने वाले अधिकारी के समक्ष अवश्य रख सकता है।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि पुलिस के कुत्ते रेल की पांतें सूंघने के बाद पास के एक गांव में गये और अपराधियों का पता लगाने वाले थे किन्तु जिन लोगों ने कुत्तों का पीछा किया उन्होंने अपराधियों को नहीं पकड़ा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स्वर्ण सिंह** : मैं इस बात का कोई जवाब नहीं दे सकता ।

†**श्री दाजी** : यह जांच कौन कर रहा है ?

†**श्री स्वर्ण सिंह** : जांच रेलवे सुरक्षा सम्बन्धी अतिरिक्त आयुक्त द्वारा की जा रही है ।

†**श्री दाजी** : इस अफसर का नाम क्या है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : उसका नाम मिस्टर हार्ट है ।

†**श्री दाजी** : क्या मन्त्रालय रेलवे के अधिकारी की जांच के अतिरिक्त किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा जांच करायेगा ?

†**श्री नम्बियार** : जांच सार्वजनिक होनी चाहिये ।

†**श्री स्वर्ण सिंह** : सार्वजनिक जांच आवश्यक नहीं है क्योंकि जैसा कि सभा में कई बार बताया गया है, यह अधिकारी एक स्वतन्त्र और न्यूनाधिक न्यायिक अधिकारी की तरह ही काम करता है ।

†**श्री दाजी** : यह पूर्ण रूप से स्वतन्त्र नहीं होता ।

†**श्री हनुमन्तैया** : जहां तक रेलवे दुर्घटनाओं का सम्बन्ध है, जांच करने वाला अधिकारी किसी अन्य मन्त्रालय का होता है । मेरा ख्याल है कि वह परिवहन तथा संचार मन्त्रालय का होता है । इसलिये जिस प्रकार की जांच कराने पर जोर दिया जा रहा है .....

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं ?

†**श्री हनुमन्तैया** : जांच का यह जो तरीका है क्या वह स्वतन्त्र नहीं है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

राजस्थान में जल सम्भरण

*१४०८. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में जिन स्थानों पर केवल खारा पानी उपलब्ध है वहां मीठे पानी का सम्भरण करने की व्यवस्था के लिये भारत सरकार ने क्या योजना बनाई है :

(ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना अवधि में राजस्थान में कितने नल कूप लगाने का विचार है ; और

(ग) पीने के पानी की समस्या का पूर्ण रूप से समाधान कब तक हो जाने की आशा है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) राजस्थान में जिन स्थानों पर केवल खारा पानी उपलब्ध है वहां मीठे पानी का सम्भरण करने की व्यवस्था के लिये राज्य सरकार ने अभी तक कोई योजना नहीं बनाई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) राजस्थान में पीने के पानी की समस्या का समाधान कब तक होगा इसका निर्धारण नहीं हो पाया है।

कोयला वैगन

†*१४१०. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, १९६२ में रेलवे द्वारा कोयला–वैगनों का वहन कम हो गया हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस का क्या ब्यौरा और कारण हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) मई, १९६१ की तुलना में मई, १९६२ में (२६ मई तक) औसतन प्रति दिन लगभग १२७ माल डिब्बों में कोयला लादा गया। गत अप्रैल महीने की तुलना में लगभग २१३ माल डिब्बे कम थे।

(ख) हरसाल गर्मी के कारण जब कि माल डिब्बों के आने जाने में कुछ ढिलाई हो जाती हैं, मई और जून में पिछले महीनों की तुलना में कुछ कमी हो जाती है। इस साल मई में वह संख्या पिछले वर्ष १७५ की तुलना में लगभग २१३ थी। यदि हुगली नाव-चालकों की हड़ताल न होती तो यह संख्या और भी कम हो जाती क्योंकि हड़ताल के कारण बन्दरगाह में माल डिब्बों के जमा हो जाने के अलावा रेल मार्ग द्वारा दक्षिणी और पश्चिमी भारत में कोयला पहुंचाने के लिए काफी संख्या में माल डिब्बे इस्तेमाल करने पड़े।

टेलीफोन एक्स्चेंज में स्वचालित समय सूचक यंत्र

†*१४१४. **श्री बालकृष्णन :** क्या **परिवहन तथा संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या टेलीफोन एक्सचेन्ज दफ्तरों में स्वचालित समयसूचक यंत्रों की व्यवस्था की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो कितने स्थानों पर अभी तक समय सूचक यंत्रों की व्यवस्था की गयी हैं; और

(ग) क्या इन समय-सूचक यंत्रों का काम सफल पाया गया हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) :** (क) जी हां।

(ख) निम्नलिखित छः एक्सचेन्जों में ट्रंक समय-सूचक यंत्रों की व्यवस्था की गयी हैं :—

इलाहाबाद, बम्बई, कलकत्ता, कोयम्बटूर, मद्रास और नागपुर।

(ग) जी हां।

मद्रास और रंगून के बीच चलने वाले जहाज

†*१४१७. **श्री कोया :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास और रंगून के बीच सीधी जहाज सेवा, जो १९५५ में बन्द कर दी गयी थी, पुनः आरम्भ न करने के क्या कारण हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस सेवा को, जो लगभग एक शताब्दी तक जारी रही, क्यों बन्द कर दी गयी हैं;

(ग) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि दक्षिण से जो लोग बर्मा जाते हैं उन्हें कलकत्ता हो कर जाने के फलस्वरूप काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है; और

(घ) क्या सरकार मद्रास-रंगून सेवा को पुनः आरम्भ करने का इरादा रखती है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख). सिंधिया स्टीम नेविगेशन कम्पनी लिमिटेड, बम्बई, ने जो अच्छे मौसम में मद्रास और रंगून के बीच एक सेवा चला रही थी, १९६१ से बन्द कर दी क्योंकि आर्थिक दृष्टि से यह सेवा चलाना लाभदायक नहीं था ।

(ग) सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ हैं क्योंकि मद्रास और रंगून के बीच सीधी सेवा न होने की दशा में कलकत्ता होकर बर्मा की यात्रा अनिवार्य है ।

(घ) सरकार अभी ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है ।

गंगा क्षेत्र बाढ़ नियंत्रण गोष्ठी

†*१४१८. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा क्षेत्र बाढ़ नियंत्रण गोष्ठी हाल में नैनीताल में हुई थी;

(ख) यदि हां, तो गोष्ठी में क्या सिफारिशें की गयी; और

(ग) सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगशन) :** (क) जी हां ।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने यह गोष्ठी आयोजित की थी । उसकी रिपोर्ट जिसमें गोष्ठी की सिफारिशें दी हुई हैं, अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पोस्टल सील्स इंडस्ट्रियल को-आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, अलीगढ़

*१४२५. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोस्टल सील्स इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड अलीगढ़ के कुछ सदस्यों ने आमरण अनशन आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो आमरण अनशन करने वाले सदस्यों की क्या मांगें है; और

(ग) इन मांगों के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भगवती) : (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण-पत्र रखा जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

(क) जी हां, पोस्टल सेल्स इंडस्ट्रियल को-आपरेटिव सोसाइटी के पांच सदस्य २८ मई, १९६२ से ६ जून, १९६२ तक भूख हड़ताल पर थे ।

(ख) (१) सोसाइटी के प्रेसीडेंट की बर्खास्तगी ।

(२) निर्वाचित प्रेसीडेंट की व्यवस्था करने के लिए सोसाइटी के विधान में संशोधन ।

(३) तैयार माल स्वीकार किया जाना चाहिए ।

(४) सरकार को अपनी आवश्यकता की तमाम मोहर और मुद्राएं आदि केवल सोसाइटी से ही खरीदनी चाहिए ।

(५) अदायगी महीने की किसी निश्चित तारीख को होनी चाहिए ।

(ग) डाक-तार विभाग का सम्बन्ध मद (३) से (५) तक की मांगों से हैं । तैयार माल यदि वह अपेक्षित स्तर का हैं तो उसे स्वीकार किया जा रहा हैं । चूंकि सोसाइटी डाक-तार विभाग की सभी मांगों को पूरा करने के लिए माल तैयार करने में असमर्थ हैं और पिछली मांगों का बहुत सा काम भी अभी पूरा नहीं हो पाया हैं अतः मोहरों और मुद्राओं को बनवाने के लिए दूसरे जरिये ढूंढे जा रहे है । ३० मई, १९६२ तक स्वीकार किये गये माल के सम्बन्ध में अदायगी की जा चुकी हैं ।

पत्तन न्यास

†*१४२७. **श्री बी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापटनम, कोचीन और कांडला के बन्दरगाहों में भी कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के समान ही पत्तन न्यास बनेंगे; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किये गये निर्णय का ब्यौरा क्या हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहनमंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां ।

(ख) निर्णय यह हैं कि यथाशीघ्र एक विधेयक संसद् में प्रस्तुत किया जाये । इस विधेयक के उपबन्ध सामान्यतया कलकत्ता, बम्बई और मद्रास बन्दरगाहों पर लागू पत्तन न्यास अधिनियमों के उपबन्धों के अनुसार ही होंगे ।

दिल्ली में रेल संग्रहालय

†*१४२९. **श्री बी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में शीघ्र ही एक रेल संग्रहालय बनाने का विचार हैं; और

(ख) यदि हां, तो इससे क्या प्रयोजन सिद्ध होंगे ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) नई दिल्ली में मथुरा रोड पर एग्जीबिशन ग्राउन्ड्स पर जो स्थायी प्रदर्शनी काम की जा रही हैं उसके एक भाग के तौर पर एक रेल संग्रहालय और प्रदर्शनी कायम करने का विचार हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस प्रदर्शनी का आशय यह बताना हैं कि देश के विकास में रेलवे का, रेलवे की सफलता और उसके तकनीकी पहलू पर जोर देते हुए, क्या अंशदान हैं ।

स्टेशनों पर पीने का पानी

†२९३६. **श्री कर्णी सिंह जी : क्या रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता हैं कि उत्तर रेलवे की कैनाल लूप लाइन पर स्टेशनों पर पीने का उपयुक्त जल न होने के कारण यात्रा करने वाले लोगों को बड़ी असुविधा होती हैं; और

(ख) यदि हां, तो यात्रा करने वाले लोगों के लिये इस मूल सुविधा की व्यवस्था करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये है या उठाने का विचार किया हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). कैनाल लूप सेक्शन के स्टेशनोंपर यात्रा करने वाले लोगों के लिये पीने के जल के संभरण की व्यवस्था हैं। इसके अतिरिक्त, गाड़ियों में यात्रियों को पीने का जल देने के लिये गर्मी के मौसम में साथ चलने वाले पानी पिलाने वाले लोगों की भी व्यवस्था की गई हैं ।

एक कार्यक्रम के आधार पर संभरण को और सुधारने के उक्त सैक्शन के कुछ स्टेशनों पर जल शोधन संयंत्रों की व्यवस्था करने का भी विचार हैं ।

अखिल भारतीय केन्द्रीय मसाला और काजू समिति

†२९३७. **श्री मलाइछामी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २७ अप्रैल, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४३ के उत्तर के सम्बन्ध में हाल में ही बनाई गई अखिल भारतीय केन्द्रीय मसाला और काजू समिति के निर्देश निबंध सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : भारतीय केन्द्रीय मसाला और काजू समिति के निर्देश निबंधन भारत सरकार के संकल्प क्रमांक 'एफ' २७–१२।६०–ए-३, दिनांक ७ सितम्बर, १९६१ की कंडिका ३ में दिये गये है, जो २३ सितम्बर, १९६१ के भारत में राजपत्र में प्रकाशित हुए हैं, जिस की एक प्रति संलग्न हैं । **[पुस्तकालय में रख गये । देखिये संख्या एल० टी० १९२।६२]**

केन्द्रीय प्रादेशिक तथा नगरीय आयोजन संगठन

†२९३८. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि केन्द्रीय प्रादेशिक तथा नगर आयोजन संगठन ने नवीन औद्योगिक केन्द्रों का विकास करने के लिये केरल में मध्यम और छोटे कस्बों का अध्ययन किया है ;

(ख) क्या संगठन ने इस सम्बन्ध में कोई सिफारिश की है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसका ब्योरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). केन्द्रीय प्रादेशिक तथा नमरीय प्रायोजना संगठन ने सब राज्य सरकारों (जिसमें केरल सरकार शामिल है) का ध्यान उन मध्यम और छोटे कस्बों का अध्ययन करने की वाछनीयता की ओर दिलाया है, जिसके लिये विकास योजनाएं बनाने की दृष्टि से जो औद्योगिक केन्द्रों के रूप में विकसित किये जाने के लिये उपयुक्त हों । मामला केरल सरकार के विचाराधीन है ।

त्रिवेन्द्रम शहर के विकास के लियें बृहद योजना

†२६३६. श्री में क० कुमारन : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने त्रिवेन्द्रम शहर के विकास के लिये वृहद योजना को कार्यान्वित करने के लिये केन्द्र से कोई सलाह या सहायता माँगी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) वृहद योजनाओं की तैयारी के लिये केन्द्रीय सहायता की योजना के अन्तर्गत, भारत सरकार द्वारा (केरल सरकार समेत) राज्य सरकारों को, तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल उनकी परियोजनाओं के लिये, दिये जाने का विचार है । त्रिवेन्द्रम के लिये वृहद योजना बनाने का काम उस योजना में आ जाता है ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

विदेश भेजे गये डाक्टर

†२६४०. श्री मे० क० कुमारन : क्या स्वास्थ्य मंत्री एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि जिसमें यह दिखाया गया हो कि पिछले पाँच वर्षों में कोलम्बो योजना, अन्तर्राष्ट्रीय विकास तथा विश्व स्वास्थ्य संघ की सहायता के लिये अमरीकी अभिकरण के अन्तर्गत प्रशिक्षण के लिये विदेश भेजे गये डाक्टरों की कुल संख्या के राज्यवार आँकड़े क्या हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १८]**

उत्तर प्रदेश में मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

†२६४१. श्री सरजू पांडेय : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६२–६३ के लिये उत्तर प्रदेश के अभावग्रस्त क्षेत्रों में कितनी मध्यम सिंचाई परियोजनाएं मंजूर की गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं और उनकी अनुमानित लागत कितनी है ?

†सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बनारस के लोकोशेड के कर्मचारी

२९४२. **श्री सरजू पांडेय :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बनारस कैंट स्टेशन पर अवस्थित लोकोशेड के कर्मचारियों को प्रतिकर (नगर) भत्ता नहीं दिया जाता है ; और

(ख) यदि हाँ तो क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

कुड्डलूर में ऊपरी पुल

†२९४३. **श्री रामभद्रन :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कुडड्लूर एन० टी० में एक ऊपरी पुल के लिये कुड्डलूर के लोगों की चिरकाल की आवश्यकता की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में तुरंत कार्रवाई न किये जाने के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) जी हाँ। कुड्डलूर नगरपालिका के अधिकारियों ने सड़क का एक ऊपरी लेवल क्रासिंग्स बनाने के लिये कहा है ।

(ख) वर्तमान लेवल क्रासिंग्स के स्थान पर ऊपर के ऊपरी या नीचे के पुलों की योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा की जाती हैं । रेलवे उन कामों को फौरन आरम्भ करती है जब राज्य सरकारें सिफारिश कर दें और नियमों के अनुसार कामों की लागत का अपना अंश देने के लिये राज्य की भी योजना में आश्यक धन की व्यवस्था कर दें । अभी तक मद्रास सरकार की ओर से तीसरी योजना अवधि के लिये कुड्डलूर एन० टी० के समीप वर्तमान समतल पारण के स्थान पर सड़क के ऊपर के पुल के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

मद्रास राज्य में पुल

†२९४४. **श्री शिव शंकरन :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह बात मालूम है कि मद्रास राज्य में नुंगम्बक्कम और मेलनम्बक्कम जैसे बहुत से स्टेशनों पर केवल एक तरफ ही ऊपर के पुल हैं ;

(ख) क्या दूसरी ओर ऊपर के पुल बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हाँ, तो कब ; और

(घ) विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** (क) यह अनुमान लगाया जाता है कि माननीय सदस्य मद्रास शहर के उपनगरीय स्टेशनों का उल्लेख कर रहे हैं। यदि हाँ, तो उत्तर 'हाँ' है ।

(ख) से (घ). मूल निर्माण के समय, स्टेशन पर केवल एक ओर से पहुंचना पर्याप्त था । तब से दोनों ओर बस्तियाँ बस चुकी हैं और इन मामलों में कार्यक्रमित आधार पर उपरी पुलों का विस्तार करके दूसरी ओर से पुल की व्यवस्था कर रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नूनसम्बकम में काम की मजूरी दे दी गई है और काम आरम्भ किया जा रहा है। वीनम-बाकम के लिये भी इस प्रकार के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

सेंट थामस माउंट और मीनमबक्कम के बीच नये स्टेशन

†२९४५. **श्री शिव शंकरन :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट थामस माँऊंट और मीनमबक्कम के बीच एक नया स्टशन खोलने के लिये पत्रावंथाकल के नागरिकों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जाने का विचार है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी हाँ।

(ख) सेंट थामस माँडंट और मीनमबक्कम स्टेशनों के बीच एक फ्लैग स्टेशन बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया गया था किन्तु उसकी पर्याप्त औचित्य न होने के कारण वह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया।

मछली पकड़ने की नावें

†२९४६. **श्री सेझेयान:** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निम्नलिखित के राज्यवार आँकड़े क्या हैं :

(१) पंजीकृत मछली पकड़ने की नावें,

(२) पंजीकृत मछली पकड़ने वाली नावों के द्वारा समुद्र से प्रति वर्ष कितनी मछली पकड़ी जाती हैं, और

(३) अब कितने गहरे समुद्र मत्स्यग्रहण पत्तन प्रयोग में आते हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (१) १९६१ के अन्त तक विविध राजयों में पंजीकृत मत्स्यग्रहण नावों की संख्या इस प्रकार थी :

१.	महाराष्ट्र	१३७४
२.	केरल	१९७
३.	मैसूर	५९
४.	उड़ीसा	१७
५.	आन्ध्र प्रदेश	३७
६.	पश्चिम बगाल	६
७.	मद्रास	९०
८.	गुजरात	३३०
	योग	२११०

(२) पंजीकृत मत्स्यग्रहण नावों के द्वारा वर्ष में पकड़ी गई कुल मछलियों सम्बन्धी आँकड़े प्राप्त नहीं हैं। प्रत्येक पंजीकृत मत्स्यग्रहण नाव के द्वारा साधारण नाव की अपेक्षा तीन गुना मछली पकड़ी जाती है।

†मूल अंग्रेजी में

(३) अब उपयोग में आने वाले गहरे समुद्र मत्स्यग्रहण पत्तन ये हैं :

१. वेरावल (गुजरात)
२. बम्बई (महाराष्ट्र)
३. कोचीन (केरल)
४. टूटीकोरिन (मद्रास)
५. विशाखापटनम (आन्ध्र प्रदेश)

लेवल क्रासिंग

†२९४७. **श्री मानसिंह पु० पटेल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे की अहमदाबाद-दिल्ली मीटर गेज लाइन पर अहमदाबाद से सिद्धपुर तक नियंत्रित एवं अनियंत्रित समतल पारण कितने हैं ;

(ख) क्या आगामी चार वर्षों में प्रत्येक समतलपारण पर अतिरिक्त व्यक्ति बढ़ाने की कोई योजना है ; और

(ग) स्टेशन या गाँव के समीप ऐसे समतरपारणों के द्वारा साधारणतया कितनी देर बन्द रहते हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) केवल ७३ ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) साधारणतया एक समय से दस मिनट से अधिक नहीं । स्टेशनों के समीप महत्वहीन सड़कों पर कुछ समतल पारण राशि को सड़क यातायात के लिये बने रहते हैं क्योंकि सड़क पर कोई यातायात नहीं होता । किसी ही मामले में जब समतल पारण को रात्रि के समय खुला रखना अनिवार्य होता है सड़क उपभोक्ता को समतल पारक खुलवाने के लिये स्टेशन मास्टर से प्रार्थना करनी पड़ती है ।

मूंगफली के आटे के लिये संयंत्र

†२९४८. **श्री राम हरख यादव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि खाने वाला मूंगफली का आटा बनाने के लिये दो अग्रिम संयंत्र इस वर्ष बम्बई और कोयम्बटूर में उत्पादन आरम्भ करने वाले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसका वनस्पति उत्पादकों के निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां, प्रबन्ध किया जा रहा है ।

(ख) सीधे वनस्पति से सम्बन्ध नहीं । तथापि खाने वाले मूंगफली के आटे के उत्पादन की अवस्था में जो तेल प्राप्त होगा वह साधारण मूंगफली के तेल से गुण प्रभाव में बढ़िया होगा, जो वनस्पति निर्माण में प्रायुक्त होने वाला एक कच्चा माल है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पूर्व रेलवे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की नियुक्ति

†२९४९. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे में विभिन्न श्रेणियों की वर्ग ३ सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षित रिक्त स्थानों की कमी १९६१–६२ में पूरी की जा चुकी है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह कमी पूरी करने के लिये कोई आन्दोलन किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो वह अन्दोलन किस प्रकार का था ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). अधिकतर श्रेणियों में कोई कमी नहीं है ; केवल कुछ मामलों में अनुसूचित जातियों। आदिम जातियों की अधिक भरती हुई है। फिर भी पदोन्नति-रिक्त स्थानों की कुछ कमी है जहां पदों को रक्षित रखने का निश्चय अभी हाल में किया गया है। यहां आरक्षण कोटा उसी समय पूरी तौर से भरा जा सकता है जब कि इन जातियों से भरती किये जाने वाले लोग इतना अनुभव प्राप्त करलें कि वे पदोन्नति के लिये उपयुक्त हो जायें।

(ग) जी हां।

(घ) रक्षित स्थानों में भरती करने के लिये विशेष चुनावों की व्यवस्था की गयी थी। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के मामले में चुनाव बोर्डों को कम स्तर के मानक लागू करने की हिदायत दी गयी थी। इन जातियों के उम्मीदवारों को दूसरों के स्तर तक लाने के लिये अतिरिक्त प्रक्षिण भी दिया जाता है।

अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों के लिये रक्षित पदों का काफी प्रचार भी किया जाता है ताकि सभी योग्य उम्मीदवारों को आकर्षित किया जा सके।

तीसरे सामान्य निर्वाचनों में डाक तथा दूर संचार की सुविधायें

†२९५०. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरे सामान्य निर्वाचनों में जनता ने किस प्रकार की और कितनी डाक तथा दूरसंचार सम्बन्धी सुविधायें मांगी थीं ;

(ख) विभिन्न मंडलों में किस हद तक वे सप्लाई की गयीं ; और

(ग) उनसे कुल कितनी आय हुई ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १९]**।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे लाइनों को पार करने वाली सार्वजनिक सड़कों का बन्द किया जाना

२९५१. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के बीकानेर डिवीजन में रेलवे लाइनों को पार करने वाली सभी सार्वजनिक सड़के बन्द कर दी गयी हैं जिसके परिणामस्वरूप मोटरों और अन्य गाड़ियों के यातायात को बहुत असुविधा हो रही है ;

(ख) क्या रेलवे विभाग उपरोक्त रेलवे फाटकों को यातायात के लिये पुनः खोलने के बारे में विचार कर रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक इनके खुलने की संभावना है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) से (ग). जी नहीं। लेकिन बीकानेर डिवीजन में मवेशियों के लिये "डी" वर्ग के कुछ फाटक हैं। राजस्थान सरकार ने, उत्तर रेलवे प्रशासन से परामर्श लिये बिना, गाड़ी आदि वाहनों के इस्तेमाल के लिये इनके पहुंच-मार्गों में सुधार कर दिया है। "डी" वर्ग के ये फाटक केवल पैदल चलने वालों और मवेशियों के लिये बनाये गये हैं। गाड़ी आदि वाहन इन फाटकों से लाइन न पार कर सकें इसके लिये इनके आर-पार सुरक्षा की दृष्टि से आड़ लगा दी गई है। राजस्थान सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि "डी" वर्ग के जिन फाटकों के बदले वह नियमित रूप से समपार बनाना चाहती हो उनका ब्योरा दे। वर्तमान नियमों के अनुसार इस काम पर जो खर्च होगा वह सड़क अधिकारियों द्वारा दिया जायेगा। राजस्थान सरकार से निश्चित सुझाव मिलने पर आगे कार्रवाई की जायेगी।

त्रिपुरा भमि सुधार और लगान अधिनियम

†२९५२. **श्री दशरथ देब** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा भूमिसुधार और लगान अधिनियम की धारा १५ के अधीन कितनी बेदखली नोटिशें (एविक्शन नोटिसेज) जारी की गयी ;

(ख) ऐसी कितनी नोटिसें त्रिपुरा के विभिन्न डिविजनों में रक्षित वन क्षेत्रों की सीमाओं के अन्दर जारी की गयीं ; और

(ग) ऐसी अधिसूचनाओं के कारण जो लोग बेदखल किये जायेंगे उन्हें फिर से बसाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) १२,४३९।

(ख) १५ ।

(ग) जिन लोगों के पास २ स्टैन्डर्ड एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है उन्हें जमीन देने के प्रश्न पर विचार किया जायगा बशर्ते कि खास भूमि उपलब्ध हो।

त्रिपुरा में भूमिहीन किसान

†२९५३. **श्री दशरथ देब** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में भूमिहीन किसानों की कुल संख्या कितनी है

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) आदिम जाति भूमिहीन और आदिम जाति झूमियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ग) कमलपुर, सदर, खोई और सोनापुरा डिवीजनों में इन भूमिहीन किसानों और आदिम जाति झूमियों के पुनर्वास के लिये कुल कितनी अतिरिक्त खास सरकारी जमीन उपलब्ध है ; और

(घ) उनके पुनर्वास के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) लगभग ९६,३४७।

(ख) आदिम जाति झूमियों की कुल संख्या लगभग १,०५,००० है ? भूमिहीन आदिम-जातियों के सम्बन्ध में कोई अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) यह जानकारी देना तब तक संभव नहीं है जब तक कि चालू सर्वेक्षण और पुनर्वास-कार्य पूरे न हो जायें ।

(घ) भूमिहीन किसानों और आदिम जातियों को बसाने की योजनाएं तैयार की जा चुकी हैं और वे दूसरी पंच वर्षीय योजना की अवधि से कार्यान्वित की जा रही हैं।

कर्णफूली बांध

†२९५४. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री दशरथ देव :
श्री कोल्ला वेंकैय्या :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री गौरी शंकर :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व-पाकिस्तान में चिटागांग के पास कर्णफुली बांध चालू किये जाने पर भारतीय प्रदेश के जलमग्न होने के विरोध में सरकार द्वारा भेजे गये विरोधपत्र का पाकिस्तान सरकार ने कोई उत्तर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्राप्त हुआ है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान उखाड़ी गई रेलवे लाइनें

२९५५. **श्री बिशन चन्द्र सेठ** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत महायुद्ध में उखाड़ी गई रेलवे लाइनों को तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी जा रही है ;

(ख) गत वर्ष में किन-किन स्थानों पर और कितने मील लम्बी रेलवे लाइनें उखाड़ी गईं; और

(ग) यदि इन लाइनों का पुनर्निर्माण नहीं किया जाना है, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) सूचना मंगायी जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ?

(ग) पिछले महायुद्ध में सैनिक जरुरतों को पूरा करने के लिये जो लाइन्स उखाड़ी गयी थीं उनमें कौन सी लाइने फिर बिछायी गयी हैं और कौनसी नहीं बिछाई गयीं, इनकी अब तक की स्थिति संलग्न विवरण में दी गयी है **[देखिय परिशिष्ट ४, अनुबन्ध सख्या २०]**।

नई दिल्ली नगर पालिका

†२९५६. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका के सरकार द्वारा नाम निर्देशित सदस्यों सहित नगर पालिका ने पेट्रोल, सिनेमा और इसी प्रकार के दूसरे व्यापारों के क्षेत्र में उतरने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या राय है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी हां।

(ख) नयी दिल्ली नगर पालिका की यह कार्यवाही दिल्ली में लागू पंजाब नगर पालिका अधिनियम, १९११ की धारा ५२(२) के अन्तर्गत आती है। यह उस संकल्प के अनुरूप भी है जो स्थानीय स्वायत्तशासी सरकार परिषद् की पांचवी बैठक में, स्थानीय निकायों के पर्याप्त वित्तीय संसाधन बढ़ाने के लिये नगरसमिति के क्षेत्रों में सामूहिक अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में स्वीकृत किया गया था।

व्यास परियोजना

†२९५७. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार को व्यास परियोजना का खर्च चलाने के लिये नया ऋण दिया गया है ; और

(ख) उपर्युक्त परियोजना के लिये अब तक कुल कितना ऋण दिया जा चुका है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां।

(ख) ४५२ लाख रुपया।

वी० एम० हास्पिटल, अमरतल्ला

†२९५८. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरतल्ला में वी० एम० हास्पिटल के एक विशेषज्ञ डाक्टर ने सरकारी क्वार्टर में आत्महत्या की है ;

(ख) वह किन परिस्थितियों में पाया गया था ; और

(ग) क्या सरकार ने उनके इस कार्य का कोई कारण मालम किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी हां।

(ख) स्नानागार के फर्श पर खून से लथपथ और गर्दन की दाहिनी ओर गहरे घाव के साथ उसे पाया गया।

(ग) वह स्पष्ट रूप से पागलपन और आत्महत्या का मामला था।

अमृतसर और राजकोट में दुग्ध चूर्ण के कारखानें

†२९५९. { **श्री काशी नाथ पांडे :**
श्री मूल चन्द दुबे :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमृतसर और राजकोट में दुग्धचूर्ण के कारखानों में उत्पादन कब आरम्भ हो जायेगा ;

(ख) प्रत्यक कारखाने की संस्थापित क्षमता कितनी है ; और

(ग) प्रत्येक कारखाने का अनुमानित उत्पादन कितना है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) से (ग) अनुमान है कि अमृतसर में जो दुग्धचूर्ण कारखाना स्थापित किया जा रहा है उस में उत्पादन अप्रैल, १९६३ में और राजकोट के कारखाने में दिसम्बर, १९६२ में आरम्भ हो जायेगा। अमृतसर कारखाने की कुल संस्थापित क्षमता लगभग १८,००० मेट्रिक टन स्किम मिल्क पाउडर की होगी और राजकोट कारखाने की क्षमता ९०० मेट्रिक टन स्किम मिल्क पाउडर की होगी।

बीज फार्म

†२९६०. { **श्री काशी नाथ पांडे :**
श्री मूल चन्द दुबे :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) और अधिक भूमि में अच्छा बीज बोने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में विभिन्न राज्यों में बीज के कितने नये फार्म स्थापित किये जाने वाले है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) योजना आयोग की योजना-परियोजनाओं संबंधी समिति द्वारा नियुक्त बीज वृद्धि दल ने यह मालूम किया कि अधिक भूमि में अच्छे किस्म के बीज बोने में मुख्य कठिनाई पंजीकृत बीजों का वर्तमान दोषयुक्त वितरण हैं और इसलिये राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया जा रहा है कि प्रत्येक गांव को इस काम के लिये एकक माना जाये और प्रत्येक गांव में गाव पंचायतों की सहायता से पंजीबद्ध उत्पादकों द्वारा वितरण कार्यक्रम और सुसंगठित किया जाये।

(ख) आवश्यक जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न हैं। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २१]**

---

†**मूल अंग्रेजी में**

त्रिपुरा में सामुदायिक परियोजनाएं

†२९६१. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में कितनी सामुदायिक परियोजनायें आरम्भ की गई हैं ;

(ख) क्या मंत्रालय को कोई मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त हुआ हैं ; और

(ग) उस के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ?

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** :

(क) १४ खंड, जिन में ३ पूर्वविस्तार खंड भी शामिल हैं ।

(ख) नहीं ।

(ग) इश्न उत्पन्न नहीं होता ।

त्रिपुरा में विपणन सहकारी समितियां

†२९६२. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिलहाल त्रिपुरा में कितनी विपणन सहकारी समितियां हैं ;

(ख) कितनी समितियों में अध्यक्ष और मंत्री सरकारी कर्मचारी हैं ; और

(ग) उन की जगह गैर-सरकारी कर्मचारी कब से काम करेंगे ?

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** :

(क) सात प्राथमिक विपणन समितियां और एक केन्द्रीय विपणन समिति हैं । इन में वह खरीद-बिक्री समितियां शामिल नहीं हैं जो सप्लाई का कामकाज कर रही हैं ।

(ख) पाच विपणन समितियों में, अध्यक्ष सरकारी कर्मचारी हैं । विपणन समितियों में कहीं भी अवैतनिक मंत्री नहीं हैं, सभी में वेतन पाने वाले प्रबन्धक हैं ।

(ग) यथाशीघ्र गैरसरकारी कर्मचारी रखने के प्रयत्न किये जा रहे है ।

रेलवे में कल्याण पदाधिकारी और निरीक्षक

†२९६३. **श्री नम्बियार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९४८ के कारखाना अधिनियम के अनुसार आवश्यक, कल्याण पदाधिकारियों और कल्याण निरीक्षकों की नियुक्ति के उपबन्ध का भारतीय रेलवे में कठोरता से पालन किया गया हैं ;

(ख) क्या आवश्वक योग्यताओं अर्थात् समाज कल्याण विषयों में प्रमाणपत्र या उपाधि पर आग्रह किया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो क्या उन का मंत्रालय इन योग्यताओं के बिना की गई तदर्थ नियुक्तियों को बदलने के प्रश्न पर ध्यान दे रहा है ; और

(घ) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे ने इस मामले में बोर्ड की हिदायत के अनुसार काम नहीं किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (ग). १९४८ के कारखाना अधिनियम के अधीन, राज्य सरकारों को ५०० से अधिक कर्मचारी नियुक्त करने वाले सभी कारखानों में नियुक्त किये जाने वाले कल्याण पदाधिकारियों के कर्त्तव्य, योग्यतायें, आदि निर्धारित करने का अधिकार होता है। राज्य सरकारें कारखानों को इस से छूट भी दे सकती हैं बशर्तेकि कोई दूसरी व्यवस्था की जा रही हो। कुछ राज्यों ने रलवे कारखानों को छूट दे दी हैं और कुछ राज्यों ने अभी तक ऐसा नहीं किया हैं क्योंकि वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। रेलवे मंत्रालय कल्याण पदाधिकारियों और निरीक्षकों के लिये वैकल्पिक नियम तैयार कर रहा है। ये नियम एकरूपता से देश के सभी रेलवे वर्कशाप में लागू किये जायेंगे और इस से वह व्यावहारिक कठिनाइयां दूर हो जायेंगी जो राज्य सरकारों के भिन्न भिन्न नियम पालन करने से उत्पन्न हो सकती हैं।

जब यह योजना कार्यान्वित की जायेगी तब इस बात की व्यवस्था की जायेगी कि इन पदों पर ऐसे आदमी रखे जायें जिन के पास निर्धारित योग्यतायें हों। यह एक कार्यक्रम के तौर पर करना होगा।

(घ) चूंकि अभी यह योजना तैयार नहीं हुई हैं और रेलवे को कोई हिदायत नहीं दी गई है, इसलिये प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दक्षिण जाने वाले यात्री

†२९६४. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से दक्षिण जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ का मुकाबला करने के लिये अभी हाल में कोई कोशिश की गई हैं ; और

(ख) क्या यात्रियों को आवश्यक गाड़ियों और टिकट लेने तथा आरक्षण आदि संबंधी सुविधाओं की कमी के कारण बहुत कठिनाई हो रही हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० व० रामस्वामी)** : (क) जी हां।

(ख) आवश्यक संख्या में गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। टिकट लेने और आरक्षण के मामले में कुछ असुविधाओं की खबरें मिली हैं और दक्षिण जाने वाली सवारियों की भीड़ निबटाने के लिये नई दिल्ली और दिल्ली के स्टेशनों पर खास इन्तज़ाम किया गया है। उन की सहूलियत के लिये, उन्हीं या पास की खिड़कियों से टिकट लेने और आरक्षण की अब व्यवस्था की गई हैं।

रेलवे में चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी

†२९६५. **श्री प्र० र० चक्रवर्ती** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के स्तर, पद और कर्तव्य सूची अन्तिम रूप से तैयार की जा चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न रेलवे में विभिन्न श्रेणियों को किस प्रकार प्रमापीकृत किया गया हैं ;

(ग) चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की वर्ग ३ की श्रेणी में पदोन्नति की क्या व्यवस्था हैं ; और

(घ) १९६१ में वर्ग ४ के कितने कर्मचारियों को पदोन्नति वर्ग ३ में की गई ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां। तीन बड़े विभागों के सम्बन्ध में अर्थात् मेकैनिकल (अर्थ-कुशल)), सिविल इंजीनियरिंग और ट्राफिक ट्रान्सपोर्टेशन एण्ड कर्मशियल/बाकी विभागों के संबंध में प्रमापीकरण की छानबीन की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रमापीकरण समिति द्वारा निर्धारित और बोर्ड द्वारा स्वीकृत प्रमाप नामों (स्टेन्डर्ड डेजिग्नेशन्स) की सूची सभी रेलवे में भेज दी गई है ताकि उन नामों को व्यवहार में लाया जा सके ।

(ग) चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी अपने अपने विभागों में पदोन्नति की प्रणाली के अनुसार वर्ग ३ के पदों पर पदोन्नति के अधिकारी होते हैं बशर्ते कि उन्हें योग्य और उपयुक्त समझा जाये । जिन श्रेणियों में वर्ग ४ से वर्ग ३ में पदोन्नति के कोई नियमित मार्ग नहीं है, वहां वर्ग ३ के २० प्रतिशत स्थानों पर, जैसे कमर्शियल क्लर्क, टिकट कलेक्टर, आफिस क्लर्क आदि वर्ग ४ कर्मचारियों की पदोन्नति की जाती है । यह पदोन्नति, जहां आवश्यक हो वहां साक्षात्कार के बाद चुनाव के आधार पर की जा रही है ।

वर्ग ४ के सभी कर्मचारी वर्ग ३ के पदों पर भरती के लिये रेलवे सेवा आयोग में आवेदन करने के अधिकारी हैं और वर्ग ४ में की गई सेवा को हद तक आयु कम कर दी गई हैं लेकिन वह किसी भी हालत में १० वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायगी ।

त्रिपुरा में सड़कें

†२९६६. **श्री दशरथ देब** : क्या **सामुदायिक विकास, और पंचायती राज और सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खोवाई सामुदायिक विकास खंड (त्रिपुरा) के प्रत्यक्ष नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन अब तक कितनी ग्रामीण सड़कें बनाई जा चुकी हैं ; और

(ख) ये सड़कें कुल कितने मील हैं ?

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति)** :

(क) १५ सड़कें ।

(ख) ५० मील ।

खोवाई नदी पर पुल

†२९६७. **श्री दशरथ देब** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में खोवाई-तेलियामुरा सड़क पर खोवाई नदी पर स्थायी पुल बनाने का काम शुरू किया जा चुका है ;

(ख) यदि नहीं, तो देर के क्या कारण है ; और

(ग) उस पर कुल कितना खर्च होने का अनुमान है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी नहीं । अनुमान है कि निर्माण कार्य १९६३-६४ में आरम्भ हो जायेगा ।

(ख) प्रस्तावित पुल के लिये जल विज्ञान संबंधी आंकड़े इकट्ठे करने में कुछ समय लगा । पुल के लिये स्थान बदलना भी जरूरी समझा गया जिस के कारण और अधिक सर्वेक्षण करना पड़ा तथा और अधिक तकनीकी जानकारी इकट्ठी करनी पड़ी ।

(ग) लगभग १४ लाख रुपया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना

२९६८. **श्री राम सेवक यादव** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के कितने डाक्टरों को कोलम्बो योजना, विश्व स्वास्थ्य संगठन और प्रविधिक सहयोग मिशन (टी० सी० एम०) के अन्तर्गत किन किन विषयों पर छात्रवृत्ति (फैलोशिप) दी गयी ;

(ख) उनमें से कितने डाक्टर ट्रेनिंग पाकर वापस आ चुके हैं;

(ग) उनमें से कितनों की सेवायें वास्तव में उपयोग में लायी जा रही हैं ;

(घ) उनमें से कितनों की सेवायें अब तक उपयोग में नहीं लायी जा सकीं हैं और इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) कब तक इनकी सेवायें उपयोग में लायी जा सकेंगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) पिछले तीन वर्षों में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के सात डाक्टरों को कोलम्बो योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति दी गई। कार्डियोलाजी, कान नाक गला के रोग, चर्म विज्ञान, सामाजिक सुरक्षा प्रशासन एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा, जनन मूत्र शल्य (जैनिटो, यूरिनरी सर्जरी), नेत्र विज्ञान तथा प्रास्थोडोण्टिक्स एवं आर्थोडोण्टिक्स उनके प्रशिक्षण विषय थे।

(ख) अब तक पांच डाक्टर प्रशिक्षण पाकर वापस आ चुके हैं।

(ग) चार डाक्टरों की सेवाएं, जिस-जिस क्षेत्र मे उन्होंने विदेश में प्रशिक्षण प्राप्त किया हैं, उपयोग में लाई जा रही हैं।

(घ) एक डाक्टर की सेवाओं को उसके अपने विशिष्ट क्षेत्र में किसी उपयुक्त पद के न होने के कारण, उपयोग में लाना अब तक सम्भव नहीं हो सका है। फिर भी यह डाक्टर अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत कार्य कर रहा है।

(ङ) इस डाक्टर को उपयुक्त पद देने के प्रयास किये जा रहे हैं ताकि उसके विशेष ज्ञान का पूरा उपयोग किया जा सके।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था

†२९६९. { **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा :**
श्री समनानी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था नयी दिल्ली में १९६१–६२ में कितने गजेटेड अफसर नियुक्त किये गये ;

(ख) उनके पदों के नाम और वेतन क्रम क्या क्या हैं ; और

(ग) उनमें से कितने संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर नियुक्त किये गय थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) ३५।

(ख) विवरण संलग्न है। **(देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २२)**।

(ग) ३३।

स्वर्गीय डा० जोसेफ के परिवार को सहायता

†२९७०. { **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :**
श्री समनानी :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था के स्वर्गीय डा० टी० जोसेफ के परिवार को, जिन्होंने वर्ष १९६० में आत्म हत्या की थी, अब तक कितनी वित्तीय सहायता या अन्य सहायता दी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : एक विवरण संलग्न हैं।

विवरण

डा० एम० टी० जोसेफ भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था, नई दिल्ली में अध्यापन सहायक थे और उन्होंने ५ जनवरी, १९६० को अपने क्वार्टर में आत्म हत्या की थी। जिन परिस्थितियों में डा० जोसेफ ने आत्म हत्या की थी उनका ध्यान रखते हुए स्वर्गीय डा० जोसेफ के परिवार को निम्न सहायता दी गई है :—

(क) ६–१–१९६० से दस वर्ष तक उनकी विधवा पत्नी को ३० रु० मासिक पेंशन दी गई है।

(ख) मृत्यु व अवकाश उपदान के रूप में एक मुश्त २६६४ रु० उनके परिवार के सदस्यों को समान भागों में दिय गये हैं।

(ग) स्वर्गीय डा० जोसेफ के परिवार को ३००० रु० का अनुग्रहीत दान इस विशेष कारण से दिया गया है कि बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जाये।

(घ) स्वर्गीय डा० जोसेफ ने शिक्षा मन्त्रालय द्वारा विदेशों में शिक्षा के लिये भेजे जाने के लिए आंशिक सहायता योजना के अन्तर्गत केरल सरकार से २००० रु० ऋण लिये थे। अपनी मृत्यु के समय तक उन्होंने किस्तों में ९५० रु० दे दिये थे। बाकी राशि १०५० रु० और उनके ब्याज की प्राप्ति शिक्षा मन्त्रालय ने विशेष रूप से रद्द कर दी है।

रंगपुर में कृष्णा नदी पर पुल

†२९७१. **श्री पं० वकटासुब्बया** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में रंगपुर के पास कृष्णा नदी पर राष्ट्रीया राजपथ का पुल का नि र्माण समाप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह यातायात के लिये कब खुलेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) और (ख). नहीं, श्रीमान्। आशा है कि यह पुल मार्च, १९६४ के अन्त तक पूरा हो जायेगा और यातायात के लिये खुल जायेगा।

मध्य प्रदेश में सड़क

२९७२. **श्रीमती मिनीमाता** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारण है कि केन्द्रीय शासन द्वारा वित्तीय प्रबन्ध होने पर भी मध्य प्रदेश में मुंगेली मण्डला सड़क का निर्माण पूरा नहीं हुआ है ; और

(ख) इस सड़क के निर्माण में अभी तक कितना खर्च हुआ है और इसकी कितनी प्रगति हुई है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश में मुंगेली मण्डला सड़क प्रदेश मार्ग है। मण्डला से बिछिया तक सड़क का टुकड़ा अव्वल दर्जे की पक्की सड़क है। बिछिया से मुंगगेली तक सड़क के टुकड़े पर २८.६७ लाख रुपये के अनुमानित लागत का सुधार कार्य मंजूर किया गया था। इस सुधार कार्य का खर्च अंशत: सेंट्रल रोड फण्ड (आर्डीनरी) रिज़र्व से १२.७६ लाख रुपयों तक के अनुदान द्वारा तथा बाकी खर्च प्रदेश सरकार के स्रोत से पूरा किया जाना था।

प्रदेश सरकार ने सूचना दी है कि अनुमानित लागत के अन्तर्गत बिछिया से मुंगली तक सड़क के टुकड़े का काम चौराहों को मिलाने वाले कुछ छोटे मोटे टुकड़ों को छोड़ कर वस्तुत: पूरा हो चुका हैं। इस पर अब तक २९.१९ लाख रुपय खर्च हो चुके हैं।

सड़क पर पुलों व पुलियों के बारे में तकमीने व नक्शे जिन में बंजर नदी पर बनाये जाने वाले पुल का काम भी शामिल हैं, प्रदेश सरकार द्वारा अभी तय किये जा रहे हैं।

मद्रास को उर्वरक का संभरण

†२९७३. **श्री इल्यापेरुमाल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५७ के बाद मद्रास राज्य सरकार की उर्वरक सम्बन्धी वार्षिक मांग कितनी हैं ;

(ख) प्रतिवर्ष कितना उर्वरक नियत किया जाता है ; और

(ग) प्रतिवर्ष कितना उर्वरक दिया गया ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २३]**।

मंगलौर बन्दरगाह के पास नौका दुर्घटना

†२९७४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १२ मई, १९६२ की शाम को मंगलौर बन्दरगाह के पास एक नौका जहाज की क्रेन से टकरा गई जिसके फलस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और दूसरा व्यक्ति गम हो गया ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का ब्यौरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख) १२-५-१९६२ को लगभग ११.२० बजे मंगलौर बन्दरगाह न्यास ने लौह अयस्क से भरी दो नौकाओं को, जिनकी संख्या एम० ए० २ और एम० ए० २८९ थी, 'एस० एस० एल्यीडाफरोज' नामक जहाज पर चढ़ाने के लिये दक्षिण व्हार्फ से तेजी से खींचा चलाया। यह जहाज मंगलौर बन्दरगाह के बाहरी मार्ग पर खड़ा था। लगभग १२.१० बजे नौका जहाज के पास पहुंच गई और नौकाओं को वहां छोड़ कर बन्दरगाह की ओर बढ़ी। जब टग जहाज से लगभग डढ़ फर्लांग दूर थी, जहाज से संकेत सुना गया। जब टग जहाज के पास वापिस पहुंची तो 'टग' के चालक ने देखा कि नौका संख्या २८९ का मस्तुल आधा टूट गया हैं। उन्हें बताया गया कि नौका का मस्तूल जहाज के डेरिक से टकरा कर टूटा और नौका गिर गयी। इससे टिण्डल और चालक को चोट आई। टिण्डल तो किनारे पर लाने और कोई चिकित्सा करने से पहिले ही मर गया। घायल चालक भी समुद्र में गिर गया था। गिरे हुए चालक की तलाश समुद्र में की गई परन्तु शव न मिला।

प्रारम्भिक जांच की जा रही है

कच्चे पटसन का सहकारी विपणन

†२९७५. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री महेश्वर नायक :

क्या **सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे पटसन के सहकारी विपणन सम्बन्धी अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य खोज और सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)**: (क) हां।

(ख) कृपया अनुबन्ध-१ देखिये। **[पुस्तकालय म रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १९३/६२]**

(ग) रिपोर्ट पर राष्ट्रीय सहकारी विकास और भाण्डागार बोर्ड ने विचार किया था। उसने प्राय रिपोर्ट में की सिफारिशों को स्वीकार किया। पश्चिम बंगाल सरकार को बोर्ड के निश्चय से सूचित कर दिया गया है और सिफारिशों को लागू करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही करने की प्रार्थना की गई है। अध्ययन दल की एक सिफारिश मूल्य कंपन निधि बनाने के बारे में थी। राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा भाण्डागार बोर्ड ने निश्चय किया कि मंत्रालय इस सिफारिश की आगे जांच करे। यह विशेष सिफारिश आजकल भारत सरकार के विचाराधीन है।

अमरपुर गांव (पश्चिम रेलवे) में रेलवे फाटक

२९७६. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि तहसील रायपुर के अमरपुर गांव के निवासियों को पश्चिम रेलवे के सिनदरबार-रायपुर सैक्शन में रेल फाटक न होने के कारण निरन्तर खतरा रहता है और एक व्यक्ति तथा कई पशु दुर्घटनाओं के शिकार हो चुके हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार वहां तुरन्त एक रेल फाटक बनाने का विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो यह कब तक बना दिया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) इस जगह पर एक नया समपार बनाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कोई प्रार्थना नहीं की है ।

(ख) वर्तमान नियमों के अनुसार ऐसी योजनाएं असैनिक अधिकारियों या सम्बन्धित सड़क अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं और उनको ही इनका सारा खर्च उठाना पड़ता है ।

(ग) और (घ). सवाल नहीं उठता ।

उड़ीसा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

†२९७७. **श्री मलिक** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में समूचे उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक विकास खण्डों में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा औषधालय खोले गये ; और

(ख) अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और औषधालयों की कितनी इमारतें ऐसी हैं जो बन रही हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) ४० प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और १८ औषधालय ।

(ख) ४९ ।

जाजपुर–क्योंझर रोड स्टेशनों (दक्षिण पूर्व रेलवे) पर पुल

†२९७८. **श्री मलिक** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि दक्षिण-पूर्व-रेलवे (उड़ीसा) के जाजपुर–क्योंझर रोड़ स्टेशन पर रेलवे फाटक (उत्तरी फाटक) के बारंबार बन्द होने से सड़क-यात्रियों को कितनी कठिनाई व परेशानी होती है; और

(ख) क्या सरकार तीसरी योजना काल में जाजपुर–क्योंझर रोड पर रेलवे स्टेशन की पूर्व की ओर एक ऊपरी पुल और उत्तरी फाटक पर नीचे का पुल बनाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

†**रेलवे मंत्रालय उपमंत्री (श्री में० वें० रामस्वामी)** : (क) रेलवे फाटक ऐसी जगह है जहां सड़क और रेल का भारी यातायात है । अतः सड़क यातायात को कुछ असुविधा होना अनिवार्य है क्योंकि सुरक्षा का ध्यान रख कर और रेलवे यातायात को निकालने के लिए यह आवश्यक है ।

(ख) विद्यमान रेलवे फाटकों के स्थान पर ऊपरी/नीचे के पुल बनाने की योजनायें राज्य सरकार को बनानी हैं । जहां कहीं राज्य सरकारें सिफारिशें करती हैं और व्यय के अपने भाग के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था राज्य की योजना में करती हैं वहां रेलवे ऐसे कार्य करती है ।

तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में जाजपुर–क्योंझर रोड स्टेशन पर विद्यमान रेलवे फाटकों के स्थान पर ऊपरी/नीचे के पुल बनाने का उड़ीसा सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चिपलिमा बिजलीघर परियोजना

†२९७९. **श्री प्र० के० देब** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिपलिमा बिजलीघर परियोजना (हीराकुड अवस्था–२) के लिए वित्त जुटाने के लिए उड़ीसा सरकार को केन्द्रीय सरकार ने हाल में कोई ऋण स्वीकार किया है;

(ख) यदि हां, तो कितना और कितने ब्याज पर स्वीकार किया है;

(ग) हीराकुड अवस्था–१ और अवस्था–२ के विकास का कुल कितना केन्द्रीय ऋण उड़ीसा सरकार पर बाकी है;

(घ) वस्तुतः कितना दिया गया है; और

(ङ) कितना लौटा दिया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). चिपलिमा बिजली घर परियोजना (हीराकुड अवस्था–२) के व्यय के लिए चालू वित्त वर्ष में पहिली तिमाही किस्त के रूप में उड़ीसा सरकार को ३० लाख रु० का ऋण स्वीकार किया गया है। ऋण पर अस्थायी रूप से ४ १/२ प्रतिशत वार्षिक ब्याज लिया जायेगा।

(ग) और (घ). आज तक कुल ९३,९०,२६,६८८ रु० ८७ नये पैसे का ऋण दिया गया है।

(ङ) सारा धन उड़ीसा सरकार पर बकाया है।

टेक्सी ड्राइवर

†२९८०. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि टैक्सी ड्राइवर, विशेषकर दिल्ली और नई दिल्ली में थोड़ी दूर जाने वाले यात्रियों को ले जाने से मना कर देते हैं और उन में से अनेक यात्रियों के टैक्सी में बैठने से पहिले पूछते हैं कि उन्हें कहां जाना है; और

(ख) यदि हां, तो इस कुव्यवहार को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). दिल्ली मोटरगाड़ी नियमों के नियम ४.३८ के अन्तर्गत लोक सेवा गाड़ी का ड्राइवर, अच्छे और पर्याप्त कारणों के अतिरिक्त, वैध किराया देने वाले किसी भी यात्री को ले जाने से मना नहीं करेगा। जो व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है, उसे दण्ड दिया जायेगा और उस पर १०० रु० तक जुर्माना होगा, या यदि पहिले भी दण्ड दिया जा चुका हो, दुबारा दण्ड दिया जाये, तो उसे ३०० रु० के जुर्माने के साथ दण्ड दिया जायेगा। फिर भी, शिकायतें मिली हैं कि दिल्ली और नई दिल्ली में कुछ टैक्सी ड्राइवर थोड़ी दूर जाने वाले यात्रियों को ले जाने से मना कर देते हैं और इस नियम का उल्लंघन करते हैं। ऐसे टैक्सी ड्राइवरों को पकड़ने और उन पर अभियोग चलाने के लिए गजेटेड अधिकारियों और मजिस्ट्रेटों की सीधी देख रेख में यातायात पुलिस अचानक जांच कर रही है। दिल्ली के कुछ महत्वपूर्ण टैसी स्टेण्डों पर शिकायत घर भी बनाये गये हैं जहां जनता यातायात पुलिस से ऐसी शिकायतें कर सकती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्य राज्यों तथा संघ प्रशासित राज्य क्षेत्रों के बारे में अपेक्षित जानकारी राज्य सरकारों और संघ प्रशासनों से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही पटल पर रख दी जायेगी ।

स्कूटर ड्राइवर

†२९८१. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि संघ प्रशासित राज्य-क्षेत्रों में स्कूटर ड्राइवर थोड़ी दूर जानेप्वाले यात्रियों को सू जाने से मना कर देते हैं और अधिकतर स्कूटरों के मीटर ठीक नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी संघ प्रशासित राज्य-क्षेत्रों से एकत्रित की जा रही है । प्राप्त होने पर पटल पर रख दी जायेगी ।

पान की बेल को गलाने वाला रोग[1]

†२९८२. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास और केरल राज्यों में पान की बेल को गलाने वाला रोग बढ़ता जा रहा है;

(ख) इस रोग के फलस्वरूप गत पांच वर्षों में कितनी हानि हुई; और

(ग) रोग प्के नियंत्रण हेतु क्या कदम उठाये जा रहे ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख). मद्रास और केरल राज्यों में पान की बेल को गलाने वाला रोग बढ़ रहा है यह बात सरकार के ध्यान में नहीं आई है । इन राज्यों के कुछ हिस्सों में यह रोग विद्यमान है किन्तु इस रोग से प्रभावित क्षेत्र अपेक्षाकृत कम है । मद्रास राज्य में १९६२–६२ में इस रोग के निवारण के लिये २२६ एकड़ ज़मीन में रोग-प्रतिबन्धक उपाय किये गये थे । केरल राज्य में इस रोग के फलस्वरूप हुई हानि नगण्य है ।

(ग) इस रोग का पौधे पर आक्रमण होने पर उसके नियंत्रण का कोई प्रभावी उपाय ज्ञात नहीं है । किसानों को सलाह दी जाती है कि बोनी के समय से वे ज़मीन पर १ प्रतिशत बोर्डो मिक्श्चर या चेसनट कम्पाउन्ड या ०.१ प्रतिशत गीला सेरेसन छिड़कें । यह छिड़काव महीने के अन्तर से किया जाना चाहिये ।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने १-४-१९६२ से ५ वर्षों के लिये मद्रास राज्य में इस रोग के बारे में जांच करने के लिये एक समेकित योजना मंजर की है । इस योजना पर कुल आवर्तक व्यय १,८५,७११ रुपये होगा और योजना के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न भागों में इस रोग के नियंत्रण के उचित उपाय खोज निकाले जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Betelvine Wilt Disease

मत्स्य पालन सहकारी समितियां

†२९८३. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजनावधि में मत्स्य-पालन सहकारी समितियों के विकास के लिये एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). मत्स्य-पालन सहकारी समितियों के संगठन और विकास के लिये राज्य की योजनाओं में १४४ लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त सरकार मछुओं की सहकारी समितियों के जरिये विकास की अपनी कई योजनाएं कार्यान्वित करती है। ऐसी सहकारी समितियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता का ढांचा तैयार किया जा रहा है।

दिल्ली में रिंग रोड

२९८४. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में नवनिर्मित रिंग रोड में कई जगह दरारें पड़ गई हैं और आधी सड़क पुनः बनाने के लिये उखाड़ दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कारणों की जांच की है ; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं। अपर बेला रोड को सीमेन्ट कांक्रीट की सड़क बनाया जा रहा है और लोअर बेला रोड पर डामर डाली जा रही है। ये दोनों रिंग रोड के भाग हैं। यह काम जारी है। पुरानी योजना के अनुसार सड़क की पुरानी सतह उखाड़ दी गई है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

राज्य कृषि विभाग के कर्मचारियों का वेतन

२९८५. **श्रीमती जमुना देवी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग की बीज प्रजनन समिति ने मध्य प्रदेश के बारे में राज्य कृषि विभाग के सब कर्मचारियों के वेतन मे वृद्धि करने के लिये अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी ;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि नहीं, तो केन्द्रीय सरकार उस पर क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां।

(ख) यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(ग) प्रश्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीद

२९८६. **श्रीमती जमुना देवी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश में गेहूं के भाव निर्धारित भावों से गिरने पर गेहूं खरीदने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में भारत सरकार को ऐसा निर्णय लेने को विवश होना पड़ा ; और

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार को इसकी सूचा दे दी गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी, हां ।

(ख) गेहूं की कम से कम कीमतों की जो गारंटी पहले घोषित की गई है यह उसी के कारण है । यह डर था कि अच्छी फसल व दूसरे कारणों से मध्य प्रदेश में कम से कम भाव से नीचे कीमतें न गिर जायें ।

(ग) जी, हां ।

बन्दरगाहों में मिट्टी निकालने के लिये रेडियोधर्मी आइसोटोप

†२९८७. **श्री वारियर** :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेडियोधर्मी आइसोटोप का प्रयोग जांच कार्य के रूप में कोचीन बन्दरगाह में मिट्टी निकालने का व्यय कम करने की संभावनायें ज्ञात करने के लिये किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) हां, श्रीमान् । बन्दरगाह में बाहरी कार्य मे आइसोटोप से मिट्टी हटाने का अध्ययन करने के लिये प्रयोग किये जा रहे हैं । इनका उद्देश्य यह है कि मिट्टी निकालने का व्यय कम किया जाये ।

(ख) प्रयोग हाल में ही आरम्भ हुए हैं । वे तीन महीने और चलेंगे । परिणाम प्रयोग समाप्त होने पर ही मालूम हो सकेगा ।

दूध देने वाले ढोर

†२९८८. **श्री याज्ञिक** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहले तीन वर्षों में राजस्थान, पंजाब और गुजरात राज्य से दूध देने वाले कितने ढोर (गाय और भैंस) अन्य राज्यों को भेजे गये हैं ; और

(ख) यदि कोई प्रतिबन्ध सरकार ने इन राज्यों से ढोरों के लेजाने पर लगाये हैं तो वे क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) राजस्थान सरकार ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखती ।

पिछले चार वर्षों में पंजाब राज्य से प्रति वर्ष लगभग ५५,००० दूध देने वाले ढोर (गायें और भैंसे सहित) निर्यात किये गये ।

गुजरात राज्य से प्रति वर्ष लगभग ४०० गायें और ४१,००० भैंसें निर्यात की जाती हैं । इस संख्या में लगभग ६० प्रतिशत वे पशु भी शामिल हैं जो बम्बई क्षेत्र से निस्तार के लिए आते हैं ।

(ख) राजस्थान और पंजाब राज्य में आजकल कोई प्रतिबन्ध नहीं है । गुजरात राज्य सरकार ने ५-१०-६१ से परमिट व्यवस्था लागू कर दी है । इसके अन्तर्गत बिना परमिट के कोई भी पशु निर्यात नहीं किया जा सकता ।

दिल्ली में क्षय रोगियों के शव

†२९८९. **श्री इ० मधूसूदन राव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्षय रोगियों के दो शव क्रमानुसार कनाट प्लेस, नई दिल्ली और रोशनारा बाग दिल्ली में पाये गये ;

(ख) यदि हां, तो क्या शवों की पहचान हो गई है ; और

(ग) क्या व्यक्तियों को किसी औषधालय या अस्पताल में चिकित्सा सुविधायें दी गई थीं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) हां ।

(ख) कनाट प्लेस में पाया गया शव पहचान लिया गया है और बताया गया है कि वह पंजाब के जिला होशियारपुर वासी श्री गनू के पुत्र श्री राम सिंह का था । अन्य शव की पहचान नहीं हो सकी है ।

(ग) ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है । फिर भी, नई दिल्ली क्षय रोग केन्द्र के अभिलेखों से पता लगता है कि "दिल्ली के बाहर" एक जिले का रहने वाला एक राम सिंह मार्च, १९६२ मे वहां गया था परन्तु वह बाद में वहां नहीं गया ।

भोपाल रेलवे स्टेशन

२९९०. **श्रीमती जमुना देवी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भोपाल के रेलवे स्टेशन के विस्तार तथा पुनरुद्धार का जो कार्यक्रम पिछले दिनों आरम्भ किया गया था उसकी गति काफी धीमी है ;

(ख) यदि हां, तो उसे गतिशील बनाने की दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ;

(ग) यह समूचा कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ; और

(घ) अब तक पूरे कार्य पर कितना धन व्यय हो चुका है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). जी नहीं । इस काम में आमतौर पर अच्छी प्रगति हुई है । इस काम पर लगाये गये ठेकेदारों में से एक की मृत्यु के कारण काम में कुछ रुकावट आ गई, लेकिन मृत ठेकेदार के कानूनी उत्तराधिकारियों के साथ एक नया करार कर लिया गया है और काम हो रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) अगस्त, १९६२ तक ।

(घ) ७,६९,६६६ रुपये ।

उड़ीसा के गांवों में बिजली लगाना

†२९९१. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के गांवों में बिजली लगाने के कार्यक्रम के लिए उड़ीसा को कोई अलग अनुदान दिया गया है ;

(ख) उस दिशा में आज तक क्या प्रगति हुई हैं ; और

(ग) चालू वर्ष का क्या कार्यक्रम है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). जानकारी राज्य सरकार से प्राप्त की जा रही हैं और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

हस्तिनापुर को रेल द्वारा मिलाना

२९९२. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हस्तिनापुर (जिला मेरठ—उत्तर प्रदेश) को रेल द्वारा जोड़ने की एक योजना पर विचार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

त्रिपुरा में पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र

†२९९३. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में कोई पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र चालू किया गया हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने छात्रों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया ;

(ग) वहां छात्र कितने दिनों तक थे ; और

(घ) क्या पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाने वाला हैं ?

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)**: (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

(घ) जी हां । इस प्रयोजन के लिए एक पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का विचार है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भोजन बनाने की शिक्षा

†२९९४. **श्री बाल कृष्णन्** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी प्रकार के भोजन तैयार करने के लिये एक प्रशिक्षण केन्द्र चालू करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रशिक्षण केन्द्र के लिए स्थान चुना जा चुका हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). 'ऐन इंस्टीटयट आफ कैटरिंग टेक्नोलाजी एण्ड अप्लाइड न्यट्रिशन' दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है। मद्रास और कलकत्ते में भी शीघ्र ही ऐसे इंस्टीट्यूट संभवतः खोले जायेंगे। बम्बई में एक "कालेज आफ कैटरिंग एण्ड इंस्टीट्यशनल मैनेजमेंट" चल ही रहा है। इन संस्थाओं में और दूसरी बातों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के भी भोजन पकाने और तैयार करने के बारे में प्रशिक्षण दिया जायेगा।

उत्तर प्रदेश के इटावा जिले को बिजली का संभरण

२९९५. **श्री तुला राम** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार उत्तर प्रदेश के जिला इटावा में किस परियोजना से बिजली देने जा रही हैं ;

(ख) यह बिजली वहां कब तक पहुंच सकेगी ;

(ग) किन-किन स्थानों को पहले यह बिजली पहुंचाई जायेगी ;

(घ) क्या रिहन्द बांध की बिजली जो कानपुर जिले को दी जा रही हैं, इटावा पहुंचाने में कोई विशेष रुकावट हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) वेस्टर्न य० पी० इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कम्पनी लि० इटावा जिले को बिजली देती है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठता।

(घ) तथा (ङ). कानपुर को रिहन्द से बिजली नहीं दी जा रही हैं। यह तो उत्तर प्रदेश सरकार को देखना हैं कि इटावा को रिहन्द से बिजली देना कहां तक सम्भव होगा।

टिड्डी दलों का आक्रमण

†२९९६. **श्री राम हरख यादव** :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री प्र० के० देव :
श्री कोहोर :
श्रीमती शशांक मंजरी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में कई टिड्डी दलों ने पंजाब पर हमला किया था और पाकिस्तान से एक टिड्डी दल राजपुरा और जगाधरी से होता हुआ उत्तर प्रदेश में आया था;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उस से कितना नुकसान हुआ या होने वाला है ;

(ग) उन का आना रोकने के लिये या उन से होने वाले हानिकारक प्रभाव को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(घ) उन के आने से कितने क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी हाँ :

(ख) संबंधित राज्य सरकारों से हानि के निश्चित आँकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं । फिर भी, प्राप्त समाचारों के अनुसार पंजाब में १० प्रतिशत से सौ प्रतिशत तक कपास, गन्ना और चारे की फसलों को नुकसान हुआ बताया जाता है । उत्तर प्रदेश में कपास की फसल को थोड़ा सा नुकसान हुआ है । संभावित नुकसान का अनुमान लगाना संभव नहीं है ।

(ग) भारत में टिड्डियों का आक्रमण अरब प्रायद्वीप और अन्यत्र जहाँ टिड्डियाँ बढ़ती हैं और गिरोह बनाती हैं, रेगिस्तानी क्षेत्रों में टिड्डी नियंत्रण अपर्याप्त या अप्रभावी होने के कारण होना है । रेगिस्तानी टिड्डी वितरण क्षेत्र में भारत सुदूर पूर्व का देश है इसलिये वहाँ टिड्डियों की स्थिति उस के पश्चिमी देशों में अपनाये गये नियंत्रण उपायों की पूर्णता द्वारा निर्धारित होती है । टिड्डियों को भारत आने से रोका नहीं जा सकता और उन्हें रोकने का एकमात्र उपाय तभी हो सकता है जब वे देश में आ जायें । भारत में डिड्डियों के आगमन की तीव्रता कम से कम करने के लिये कई कदम उठाये जा रहे हैं । उन में से कुछ महत्वपूर्ण ये हैं :—

(१) सऊदी अरब में जहाँ भारत सरकार ने टिड्डियों के उद्गम स्थान पर ही इस का सामना करने के लिये स्वयं पूर्ण टिड्डी विरोधी दलों को भेजा है, खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा आरंभ किये गये अन्तर्राष्ट्रीय टिड्डी विरोधी आंदोलन में भाग लेना ।

(२) एक स्थायी टिड्डी चेतावनी संगठन को बनाये रखना, जो तकनीकी कर्मचारी, कीटनाशक पदार्थ और नियंत्रण उपकरणों से पूरी तरह लैस हो । वर्तमान टिड्डी आक्रमण का सामना करने के लिये अभी हाल में इसे काफी सुदृढ़ बना दिया गया है ।

(३) जमीन पर कार्रवाइयों के लिये चार हवाई जहाजों का एक बेड़ा रखना ।

इस साल टिड्डियों के संबंध में गंभीर स्थिति की आशंका के कारण भारत सरकार ने सभी राज्यों की सरकारों को चेतावनी दे दी है ।

(घ) पश्चिम से वर्तमान टिड्डी आक्रमण १५ मई, १९६२ से आरम्भ हुआ । तब से १३ दल पंजाब, राजस्थान, दिल्ली राज्य क्षेत्र और उत्तर प्रदेश में आ चुके । इन का कितने क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा यह अभी नहीं मालूम हुआ है ।

बेहली मेटरनिटी हास्पिटल, पूसा रोड

†२९९७. **श्री वारियर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूसा रोड में स्थित दिल्ली मैटरनिटि हॉस्पिटल को सरकार कोई अनुदान दे रही है ;

(ख) क्या प्रसव के मामलों में जो दर लिये जाते हैं उन के बारे में सरकार को कोई जानकारी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या उपर्युक्त हॉस्पिटल के प्रशासन में सरकार का कोई हाथ या नियंत्रण होता है ; और

(घ) क्या वहाँ असंतोषजनक चिकित्सा के बारे में जनता से कोई शिकायतें सरकार के पास पहुंची हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) हॉस्पिटल को निम्नलिखित अनुदान दिये गये थे :—

१९६०-६१ . . .	२,३२,५१४ रुपये
१९६१-६२ . . .	९१,७९२ रुपये ३३ नये पैसे

(ख) जहाँ तक सरकार को मालूम है, जनरल वार्ड में प्रसव के लिये कोई फीस नहीं ली जाती।

(ग) और (घ). जी नहीं ।

फीलपांव रोग

†२९९८. **श्री कोया** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर फीलपाँव रोग की रोकथाम और निदान के लिये किसी भी योजना के लिये राज्य सरकारों को कैसे सहायता देती है ;

(ख) क्या रोग का कारण सुनिश्चित हो गया है ;

(ग) यदि हाँ, तो वह क्या है ; और

(घ) सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) फीलपाँव रोग कुछ व्यक्तियों में फाइलेरिया रोग से उत्पन्न हो जाता है। व्यक्ति को फीलपाँव रोग हो जाये तो वह फिर ठीक नहीं हो सकता क्योंकि कुछ मामलों में शल्य चिकित्सा के अतिरिक्त इस का कोई उपचार नहीं है। फीलपाँव रोग की रोकथाम के लिये फाइलेरिया को नियंत्रित करना आवश्यक है।

केन्द्रीय सरकार इस कार्य में रोगों को (१) मच्छरों का तथा कीड़ों के अण्डों का नाश करने के लिये कृमिनाशक तथा अण्डेनाशक तेल और (२) रोगग्रस्त व्यक्तियों के सार्वजनिक उपचार के लिये 'डाइथाइलकार्बामाजीन' टिकियायें दी जाती हैं। चिकित्सा अधिकारियों और राज्यों के उप-व्यवसायिक व्यक्तियों को फाइलेरिया विज्ञान का प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ख) हाँ।

(ग) यह रोग एक प्रकार के मच्छरों के काटने से होता है। इस मच्छर में फाइलेलिया के कीटाणु होते हैं। इस प्रकार स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में फाइलेरिया-कीटाणु प्रवेश कर जाते हैं।

(घ) रोग का कारण समाप्त करने के लिये आस पास की स्वच्छता (अर्थात् उचित जल-निष्कासन व्यवस्था, कूड़ा करकट व मैल का पर्याप्त रूप से हटाया जाना) द्वारा मच्छर मारे जाते हैं। रोग का फैलना रोकने के लिये अब तक ये कार्यवाही की गई हैं : (१) 'डाइथाइलकार्नामाजीन' टिकियों से सार्वजनिक उपचार करना, और (२) मच्छर-नियंत्रण कार्यवाही करना। सार्वजनिक उपचार और कीटाणुनाशक कार्यवाही के सफल न रहने के कारण, नगर-क्षेत्रों में नाली व्यवस्था में सुधार करने के साथ साथ केवल कीटाणुनाशक कार्यवाही की जा रही है। ग्रामीण और नगरक्षेत्रों में प्रभावी नियंत्रण आरम्भ करने से पहिले फाइलेरिया रोग संबंधी और अध्ययन तथा अनुसंधान होने

†मूल अंग्रेजी में

की आवश्यकता है। इस कार्य के लिये उन राज्यों में, जहाँ फाइलेरिया का रोग होता है, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण एकक खोलने का विचार है ।

परिवार नियोजन संबंधी सम्मेलन

†२९९९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हाल में ही तीन दिन तक परिवार नियोजन संचार अनुसंधान सम्मेलन हुआ था ; और

(ख) यदि हाँ, तो उस ने क्या सिफारिशें कीं और उन्हें कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) हाँ, श्रीमान् । मुख्यकर परिवार नियोजन संचार कार्य अनुसंधान से संबंधित क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं का एक अनौपचारिक सम्मेलन २८ से ३० मई, १९६२ तक हुआ था ।

(ख) (१) कार्य अनुसंधान स्थिति में प्रयोग किये जाने वाले का उर्वरकता का पता लगाने के ढंग; (२) 'फर्टिलिटी' ढंगों के अतिरिक्त परिवार नियोजन प्रोग्राम के समूचे प्रभाव का निर्धारण; (३) परिवार नियोजन-कार्य अनुसंधान प्रोग्राम बढ़ाने के लिये शिक्षा और संगठन संबंधी ढंगों का सुधार; (४) प्रोग्राम की कार्यान्विति संबंधी समस्याओं पर भावी अध्ययन का क्षेत्र; और (५) अनुसंधान के ढंगों संबंधी सुझावों पर कान्फ्रेंस में मुख्य रूप से विचार किया गया । कान्फ्रेंस में बनाई गई चार समितियों की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :—

(१) अचानक चुने गये क्षेत्रों में आधार रेखा सर्वेक्षण करना आवश्यक है ।

(२) इस बात की आवश्यकता है कि वन्ध्यीकरण आप्रेशन कराने वाले व्यक्तियों की संख्या, परिवार नियोजन के ढंग स्वीकार करने वाल व्यक्तियों, इन ढंगों का प्रयोग करने का उद्देश्य बनाने वाले व्यक्तियों, परिवार नियोजन संबंधी जानकारी तथा ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, उन का रवैया, जागरूकता तथा ढंग व उन का प्रयोग जानने में रुचि आदि रखने वालों, आदि के बारे में लक्ष्य निश्चित रूप से बताये जायें ।

(३) परिवार नियोजन का कितना प्रभाव हुआ इस का पता लगाने की समस्या जटिल होने के कारण एक टेक्निकल कमिटी नियुक्त की जानी चाहिये जिस की बैठकें समय समय पर जनसंख्या पर हो रहे प्रभाव का पता लगाने और उस का ब्यौरा बताने के लिये हों ।

(४) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवार नियोजन के लिये एक पुरुष और एक महिला कार्यकर्ता रखने का एकरूप ढंग अपनाया जाना चाहिये ।

(५) यह पता लगाने के लिये अध्ययन किया जाना चाहिये कि (क) खण्ड में परिवार नियोजन कर्मचारी कहाँ रखे जायें ताकि कार्य बहुत सुचारू ढंग से चल सके, और (ख) परिवार नियोजन कार्य में एकसूत्रता तथा देखभाल कैसे प्राप्त हो सकती है।

†मूल अंग्रेजी में

(६) यह पता लगाने के लिये अध्ययन किया जाना चाहिये कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में परिवार नियोजन कार्यकर्ताओं के लिये क्या सामान, श्रव्य-दृश्य उपकरण और परिवहन सुविधायें उपलब्ध हैं और उन का प्रयोग किया जा रहा है ।

(७) खण्ड सलाहकार समिति और पंचायत समितियों को उनके क्षेत्र में परिवार नियोजन कार्य में सम्मिलित किया जाना चाहिये । इस की प्राप्ति के लिये अनिवार्य है कि पंचायत के सदस्यो को यथाशीघ्र 'ओरियन्टेशन' दिया जाये ताकि पंचायत परिवार नियोजन-कार्य की जिम्मेदारी ले सके । ऐसी व्यवस्था के लिये एक प्रोग्राम बनाया जाना चाहिये ।

(८) खंडों में गांवों में काम आने वाले कार्यकर्ताओं तथा अन्य विकास कार्यकर्ताओं के लिए परिवार नियोजन संबंधी शिक्षा प्रोग्राम की व्यवस्था होनी चाहिये ।

(९) गर्भ निरोधक उपकरणों के वितरण के प्रभावी नये ढंगों का पता लगाने के लिये अध्ययन किया जाना चाहिये ।

(१०) गांवों में महिला मण्डलों, भारत सेवक समाज और ऐसे ही अन्य स्वेच्छिक संघों को परिवार नियोजन प्रोग्राम में सक्रिय ढंग से शामिल किया जाना चाहिये ।

(११) परिवार नियोजन कार्यकर्ताओं की 'बुक कीपिंग' सम्बन्धी आवश्यकताओं के बारे में न्यूनतम रिकार्ड का पता लगाने के लिये अध्ययन करने की आवश्यकता है ताकि वे कार्यकर्त्ता क्षेत्र-कार्य के लिये अधिक समय दे सकें ।

(१२) जिलों में जिला परिवार नियोजन अधिकारियों को जिला परिषद् तथा अन्य सरकारी व गैर-सरकारी एजेंसियों के सहयोग से परिवार नियोजन प्रोग्राम बनाने व लागू करने में सहायता करनी चाहिये ।

(१३) जिला परिवार नियोजन अधिकारियों को परिवार नियोजन के स्थानीय शिक्षा के पहलुओं का पूर्ण प्रशिक्षण मिलना चाहिये और उन्हें शैक्षणिक उपकरण तथा परिवहन की सुविधायें भी मिलनी चाहियें ।

(१४) खण्डों में गर्भ निरोधक उपकरणों का पर्याप्त माशा में भेजा जात्रा जिला स्तर में सुनिश्चित करने का उचित प्रबन्ध होना चाहिये ।

(१५) अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं में परिवार जीवन सम्बन्धी शिक्षा का अध्ययन आरम्भ किया जाना चाहिये ।

(१६) विभिन्न श्रेणी के कार्यकर्त्ताओं, जैसे पंचायत सदस्यों, विकास कार्यकर्त्ताओं, ग्राम नेताओं आदि को ओरियेन्ट करने के लिये नमूने का प्रोग्राम बनाया जाना चाहिये और केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा विभाग को मार्गदर्शक के रूप में देख रेख करनी चाहिये । विशिष्ट परिस्थितियों के अनुकूल नमूनों में परिवर्तन किया जा सकता है ।

(१७) यदि उपलब्ध हों तो उपयुक्त स्वेच्छिक एजेंसियों या सरकारी एजेंसियों द्वारा परिवार नियोजन की व्यवस्था की जानी चाहिये ।

(१८) जनसंख्या के विशेष अस्थायी दल के विशेषकर विभिन्न समुदायों के महत्वपूर्ण नेताओं के पढ़ने के लिये उचित सामग्री तैयार की जानी चाहिये ।

(१९) शिक्षा के विभिन्न ढंगों सम्बन्धी अध्ययन किया जाना चाहिये ।

(२०) कुछ निश्चित लक्ष्यों के लिये उपलब्ध श्रव्य तथा दृश्य उपकरणों के प्रभावी होने का अध्ययन किया जाना चाहिये ।

(२१) अधिकतम प्रतिक्रिया का पता लगाने के लिये जनसंख्या के विभिन्न भागों के लिये उपयुक्त शिक्षा सामग्री तैयार की जानी चाहिये ।

(२२) यदि विस्तृत वितरण के लिये शिक्षा के ढंग केन्द्र द्वारा बनाये गये हों, तो विभिन्न क्षेत्रों में उनकी पूर्व परीक्षा की जानी चाहिये ।

(२३) वितरित की गई समस्त शिक्षा सामग्री के प्रयोग के लिये एक गाइड होना चाहिये ।

(२४) यह पता लगाने के लिये अध्ययन किया जाना चाहिये कि शिक्षा सामग्री का वितरण कैसे किया जाये ताकि उसका प्रयोग अधिकतम लोकहित प्रिय ढंग से हो ।

सिफारिशों की जांच हो रही है । सरकार जिन सिफारिशों को स्वीकार करेगी उन्हें लागू करने के लिये आवश्यक कार्यवाही बहुत शीघ्र की जायेगी ।

भारतीय चिकित्सा परिषद्

†३०००. **श्री बी० चं० शर्मा :**
श्री अ० व० राघवन :
श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद् ने परिषद् के सुचारू ढंग से कार्य करने के लिये चिकित्सा परिषद् अधिनियम में संशोधन करने के लिये सरकार से आग्रह किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** (क) और (ख). हां । भारत की चिकित्सा परिषद् ने भारतीय चिकित्सा अधिनियम, १९५६ में अनेक संशोधन करने के सुझाव दिये हैं । प्रस्तावित संशोधन विचाराधीन हैं ।

त्रिपुरा में विपणन सहकारी समितियां

†३००१. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, १९६१ से अप्रैल, १९६२ तक त्रिपुरा में कितनी विपणन सहकारी समितियां कार्य कर रही थीं ;

(ख) वर्ष १९६२ तक उन्हें कितना ऋण दिया गया ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इन समितियों ने कितना पटसन खरीदा और जुलाई, १९६१ से अप्रैल, १९६२ तक औसत प्रतिमन मूल्य क्या था ?

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : (क) सात प्राथमिक विपणन समितियां और एक केन्द्रीय विपणन समिति हैं। ये समितियां क्रय तथा विक्रय समितियों के अतिरिक्त हैं जिनमें से कुछ सम्भरण कार्य करती हैं।

(ख) गोदाम बनाने के लिये सहकारी विपणन समितियों को ३१–३–१९६२ तक २,६६,२०० रु० ऋण दिये गये। इसके अतिरिक्त, राज्य ऋण बैंक ने १,५०,००० रु० इन समितियों को ऋण दिया है।

(ग) प्राथमिक विपणन समितियों ने थोड़ी मात्रा में पटसन सीधा ही बेचा था। उसके अलावा केन्द्रीय विपणन समिति ने २५,५०० मन पटसन तथा मेस्टा का विपणन किया। जुलाई, १९६१ से अप्रैल, १९६२ तक पटसन का मूल्य निम्न था :—

जुलाई, १९६१	३९.६१ रु०
अगस्त, १९६१	३३.७९ रु०
सितम्बर, १९६१	२८.०० रु०
अक्टूबर, १९६१	२५.१२ रु०
नवम्बर, १९६१	२०.८१ रु०
दिसम्बर, १९६१	१९.०० रु०
जनवरी, १९६२	१८.५० रु०
फरवरी, १९६२	१८.८७ रु०
मार्च, १९६२	२०.८० रु०
अप्रैल, १९६२	२१.०० रु०

दिल्ली में चिकित्सा अधिकारी

†३००२. **श्री शिव चरण गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के श्रेणी २ के बहुत से चिकित्सा अधिकारी अभी तक स्थायी नहीं किये गये हैं यद्यपि उन्हें सेवा करते हुए पांच वर्ष से अधिक हो गये हैं जबकि दिल्ली में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा केवल दो वर्ष की है, स्थायी कर दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, उनकी संख्या कितनी है और देर होने का क्या कारण है ; और

(ग) उन्हें शीघ्र स्थायी बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू)** : (क) से (ग). दिल्ली प्रशासन में श्रेणी २ के छः स्थायी पदों पर पांच वर्ष से अधिक समय से काम कर चिकित्सा अधिकारियों को अभी स्थायी नहीं किया गया है। इन पदों का ब्यौरा निम्न है :—

१. इर्विन अस्पताल का सहायक चिकित्सा सुपरिन्टेंडेंट	पद से १–२–१९६२ को ही लियन हटा है और यह मसला संघलोक-सेवा आयोग को भेजने की कार्यवाही की जा रही है।

†मूल अंग्रेजी में

२. इर्विन अस्पताल का कनिष्ठ स्टाफ सर्जन और सी० ए० एस ग्रेड-१ पुलिस अस्पताल
३. सी० ए० एस० ग्रेड–१ (रति रोग विज्ञान) इर्विन अस्पताल
४. इर्विन अस्पताल का श्रेणी–१ का सी० ए० एस० (पैथालाजी)
५. इर्विन अस्पताल का क्लिनिकल पैथालाजिस्ट

} दिल्ली प्रशासन इन मामलों पर विचार कर रहा है।

जहां तक दिल्ली में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के डाक्टरों का प्रश्न है, श्रेणी २ के केवल वे चिकित्सा अधिकारी जो संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर १ जुलाई, १९५७ तक नियुक्त किये गये थे, स्थायी किये गये हैं।

खाद्य अपमिश्रण अधिनियम

†३००३. **श्री बड़े :**
श्री कछवाय :
श्री ब्र० जी० सिंह :

क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अपमिश्रित खाद्य की जांच करने के लिये विभिन्न राज्यों में कितनी प्रयोगशालायें हैं।

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : भारत सरकार के पास सितम्बर, १९६१ तक उपलब्ध जानकारी से पता लगता है कि अपमिश्रित खाद्य की जांच करने के लिये विभिन्न राज्यों में प्रयोगशालाओं की संख्या निम्न है :—

राज्य/संघ प्रशासित क्षेत्र का नाम	प्रयोगशालाओं की संख्या
१. आन्ध्र प्रदेश	२
२. असम	१
३. बिहार	२
४. गुजरात	२
५. मद्रास	२
६. महाराष्ट्र	५
७. मध्य प्रदेश	८
८. मैसूर	१
९. केरल	१
१०. उड़ीसा	१
११. पंजाब	६
१२. राजस्थान	२
१३. उत्तर प्रदेश	१
१४. पश्चिम बंगाल	८
१५. दिल्ली	२
	४४

†मूल अंग्रेजी में

पांडु अमीनगांव में रेलवे के 'मेरीन डिपार्टमेंट' के कर्मचारी

†३००४. **श्री योगेंद्र झा** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रह्मपुत्र नदी का पुल इस वर्ष पूरा होने पर पाण्डु अमीन गांव में नौकाघाट पर जल संस्थान (मेरीन स्टेबलिशमेंट) अतिरेक हो जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इन कर्मचारियों को अर्थात् लाइसेंस प्राप्त ड्राइवरों, नौकाचालक सारंगों, सकनी, रेलवे के जल विभाग के कर्मचारियों सहित टिण्डलों को काम देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) हां । कुछ जल संस्थानों की आवश्यकता नहीं रहेगी ।

(ख) अन्य स्थान पर उनकी सेवाओं का प्रयोग करने का प्रश्न पहिले से ही विचाराधीन है ।

नई दिल्ली के विलिंगडन अस्पताल में केजुअल्टी मेडिकल आफिसर

†३००५. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री ६ सितम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३६०७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या नई दिल्ली के सफदरजंग और इर्विन अस्पतालों की भांति विलिंगडन अस्पताल के केजुअल्टी मेडिकल आफिसरों को साप्ताहिक अवकाश देने का प्रबन्ध किया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) परविवारों, राजपत्रित और राष्ट्रीय छुट्टियों के बदले कोई छुट्टी न दिये जाने का क्या प्रतिकर दिया जाता है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) से (ग). नई दिल्ली के विलिंगडन अस्पताल के केजुअल्टी मेडिकल आफ़िसरों को प्रतिदिन छः घण्टे काम करना पड़ता है जबकि सफदरजंग और इर्विन अस्पतालों के केजुअल्टी मेडिकल आफ़िसरों को प्रातदिन आठ घंटे काम करना पड़ता है । इस कारण कि विलिंगडन अस्पताल के केजुअल्टी मेडिकल आफिसरों को एक दिन केवल छः घंटे काम करना पड़ता है, उन्हें साप्ताहिक अवकाश नहीं दिया जाता ।

विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली में डाक्टर

†३००६. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली में औसतन ४ भरती हुए मरीजों के लिये एक डाक्टर है ; और

(ख) दिल्ली के अन्य सरकारी अस्पतालों में औसतन प्रत्येक डाक्टर कितने रोगी देखता है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) प्रति डाक्टर भरती हुए रोगियों का औसत ४.५० आता है ।

(ख) सफदरजंग अस्पताल . . . ७.५०
इर्विन अस्पताल . . . ६

---

†मूल अंग्रेजी में

गुप्त रोग

†३००७. **श्री दे० जी० नायक :**
श्री छोटू भाई पटेल :
श्री पु० र० पटेल :

क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ आदिम जाति तथा अनुसूचित क्षेत्रों मे गुप्त रोग बहुत बढ़ रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो वह क्षेत्र कौन कौन से हैं ;

(ग) क्या रोग का निर्धारण करने के लिये कोई वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया गया है ; और

(घ) इन क्षेत्रों से गुप्त रोगों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)**: (क) और (ख) हिमालय की तलहटी के बहुत से पर्वतीय क्षेत्रों तथा दक्षिण में नीलगिरी की पर्वतीय जनता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश (जौनसार बावर), बिहार आदि के आदिवासियों में गुप्त रोग (विशेषतया सिफलिस) बहुत फैला हुआ है। मनीपुर स्वास्थ्य अधिकारियों ने हाल में ही एक सर्वेक्षण किया था जिसके अनुसार वहां पर इन रोगों की अधिकता नहीं मिली थी।

(ग) इन सभी क्षेत्रों में रक्तोदकीय सर्वेक्षण[1] किये गये हैं। इससे पता लगा है कि उनके रक्त में ५ से ५० प्रतिशत तक कीटाणु हैं।

(घ) हिमाचल प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में आदिम जाति कल्याण योजना के अधीन गुप्त रोग नियंत्रण यूनिट (क्लीनिक) हैं। अन्य राज्य सरकारों ने गुप्त रोग क्लीनिक केन्द्रीय सहायता से स्थापित कर लिये हैं। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों की भी जनता नियंत्रण कार्यक्रम का विकास करने में सहायता कर रही है।

गलगंड[2]

†३००८. **श्री दे० जी० नायक :**
श्री छोटू भाई पटेल :
श्री पु० र० पटेल :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेफा की अनुसूचित जातियों में गलगंड का रोग पाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सवक्षण करने के लिये तथा रोग पर नियंत्रण करने के लिये कार्यवाही करने का है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी हां।

(ख) एक सर्वेक्षण किया गया था जिससे पता लगता है कि रोग १५ से ७५ प्रतिशत तक है। सरकार ने इस रोग पर नियंत्रण करने के लिये कार्यवाही की है तथा अब तक इस क्षेत्र में ७२५ मन आयोडाइज्ड नमक का वितरण किया गया है जिससे साधारण नमक के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाये।

---

[1]Serological Surveys.

[2]Goitre.

†मूल अंग्रेजी में

कच्छ की छोटी रन का कृष्यकरण

†३००९. **श्री दे० जी० नायक :**
श्री छोटू भाई पटेल :
श्री पु० र० पटेल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने **की** कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या कच्छ **की** छोटी रन का कृष्यकरण करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार कृष्णकरण योजना को लागू करगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख). गुजरात राज्य की योजना की तीसरी पंच वर्षीय योजना में कच्छ की छोटी रन का २० लाख रुपय से कृष्यकरण का उपबन्ध शामिल है तथा आशा है कि एक अथवा दो अग्रिम योजनाएं राज्य आरम्भ करेगा । योजना को केन्द्रीय संचालित योजना के रूप में स्वीकार करन का विचार है ।

रेलवे बोर्ड म स्थानापन्न सहायक

†३०१०. **श्री मुत्तु गौंडर :**
श्री राम भद्रन :
श्री राजा राम :
श्री सेझियान :
श्री शिवशकरन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड कार्यालय के बहुत से स्थानापन्न सहायकों को पर्याप्त स्थायी पदों के होन पर भी स्थायी नहीं बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उनको स्थायी बनाने के मामलों पर कब विचार होगा ;

†**रेलवे मत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) . रेलव बोर्ड सचिवालय सेवा की सहायक श्रेणी (चतुर्थ श्रणी) के आरम्भिक गठन का प्रश्न संघ लोक सेवा आयोग को सौंप दिया गया है । आशा है कि शीघ्र ही इस प्रश्न का अन्तिम निर्णय होगा और उसके बाद सहायकों की श्रेणी के स्थायी आरंभिक गठन का नया प्रबन्ध रिक्त स्थानों के अपेक्षित स्थायी आदेश दिये जायेंगे ।

गोहाटी के लिये मास्टर प्लान (वृहद योजना)

†३०११. **श्री रा० बरूआ** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोहाटी के लिये मास्टर प्लान बनाने के काम में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) राज्य सरकार को केन्द्र से कितनी सहायता की आवश्यकता है ; और

(ग) क्या राज्य सरकार ने निकट भविष्य में मास्टर प्लान को लागू करने के लिये वर्तमान आवश्यकताओं को केन्द्र को बता दिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) आसाम सरकार ने बृहद गोहाटी के लिये मास्टर प्लान का प्रारूप बनाया है तथा भारत सरकार को एक प्रति सुझावों तथा रायों के लिये मिल गई है ।

(ख) और (ग). आसाम सरकार का विचार राज्य के आय-व्यय में इस काम के लिये किये गये उपबन्ध में से व्यय करने का है ।

दिल्ली में जल संभरण

३०१२. श्री प्र० चं० बरूआ : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चंद्रावल वाटर वर्क्स को बिजली का संभरण करने वाले केवल बाक्स में एक छिपकली के घुस जाने के कारण मई १९६२ के अन्त में दिल्ली तथा नई दिल्ली के बड़े भाग मे जल संभरण की स्थिति बिगड़ गई थी ;

(ख) यदि हां, तो जल संकट कितने दिन तक रहा था ; और

(ग) इसका अधिकांश किन क्षत्रों पर असर पड़ा था ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी हां, दिल्ली नगर निगम के क्षेत्राधिकार में नगर के कुछ भागों में ।

(ख) पानी की कमी २६–५–६२ को ९.२५ पी० एम० को शुरू हूई थी और २८–५–६२ को पानी का सामान्यत: संभरण होने लगा था। इस अवधि मे छः घंटों का नियंत्रित जल संभरण किया गया था ।

सामान्यत: २४५ लाख गैलन पानी का पम्पिग होन के स्थान पर इस अवधि में २१० लाख गैलन पानी का पम्पिग किया गया था ।

(ग) पम्पिक की कमी के कारण निम्न क्षेत्रों में पानी का दबाव कम था :––

(१) पुराने नगर के कुछ भागों जैसे दरियागंज, नया बाजार, चांदनी चौक, पहाड़गंज आदि ।

(२) करौल बाग के कुछ भाग में ।

(३) राजेन्द्र नगर ।

(४) पटेल नगर ।

(५) रोहतक रोड ।

(६) मोती बाग ।

(७) डिफेंस कालोनी ।

लू लगने के कारण मौतें

†**३०१३. डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(१) १९५७ से १९६२ तक लू लगन के कारण (राज्यवार) कितनी मौत हुईं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) लू लगने के उपचार तथा रोकने के लिय क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (१) और (२). राज्यों से आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और समय पर लोक-सभा पटल पर रख दी जायगी ।

उत्तर प्रदेश में पहाड़ी जिलों में आउट एजेंसियां

३०१४. श्री भक्त दर्शन : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के आठ पर्वतीय जिलों-पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, चमोली, गढ़वाल, उत्तरकाशी, टिहरी-गढ़वाल और देहरादून मे से प्रत्यक के किन-किन स्थानों पर इस समय तक रेलवे आउट-एजेंसियां खोली जा चुकी हैं ;

(ख) इन जिलों में और किन-किन स्थानों पर रेलवे आउट-एजंसियां खोलने की मांग प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) उनमें से प्रत्येक के कब तक खुल जाने की आशा की जाती है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) एक बयान साथ रखी है जिसमें सूचना दी गयी है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबध संख्या २४]** ।

(ख) चमोली, कर्णप्रयाग, सतपुली, नरेन्द्र नगर और देवप्रयाग ।

(ग) नरेन्द्र नगर और देव प्रयाग में आउट एजेंसी खोलने के सुझाव पर विचार किया गया था । लेकिन प्रत्याशित यातायात बहुत कम होने के कारण आउट एजेंसी खोलने का विचार छोड़ दिया गया । बाकी जगहों में जब चुने हुये ठेकेदारों को उपयुक्त स्थान और कार्मचारी मिल जायेंगे, तो वहां आउट एजेंन्सी खोल दी जायेगी ।

दक्षिणी-पूर्व रेलवे कर्मचारी संघ से प्राप्त ज्ञापन

†**३०१५. श्री प० कुन्हन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण-पूर्व रेलवे कर्मचारी संघ, कलकत्ता से दिनांक २० मार्च, १९६२ का ज्ञापन मिला है ;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की क्या शिकायतें हैं ;

(ग) क्या सरकार ने उनकी मांगों पर विचार कर लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस का क्या निर्णय किया गया है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). रेलवे मंत्री को तार के द्वारा एक अभ्यावेदन मिला है जिसमें कुछ संकल्प आदि हैं । यह संकल्प निर्माण कार्यालय को कलकत्ते से बिलासपुर स्थानान्तरण के आदेशों के परिणाम स्वरूप दक्षिण-पूर्व रेलवे कर्मचारी संघ से प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में है ।

(ग) और (घ). किसी विशेष कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है । रेलवे उपमंत्री ने रेलवे के आय-व्ययक विवाद का उत्तर देते हुए स्थिति २७-३-६२ को स्पष्ट कर दी थी । सभा का ध्यान २५-५-१९६२ को तारांकित प्रश्न १०५८ के उत्तर की ओर भी दिलाया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मुरादाबाद में रेलवे पुल दुर्घटना

†३०१६. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, १९६२ में मुरादाबाद में एक रेलवे पुल दुर्घटना हुई थी;

(ख) यदि हाँ, तो कितना नुकसान हुआ था; और

(ग) दुर्घटना का क्या कारण था ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) जी हां। मुरादाबाद डिवीजन के दौसनी तथा लंढौरा स्टेशनों के बीच ४९०/८–१८ मील पर सोलानी पुल पर २७-५-६२ को एक दुर्घटना हुई थी ।

(ख) निचले गार्ड का अन्तिम सिरा तथा १५० फीट स्थान का एक क्रास गर्डर टूट गया था। नुकसान ६,५०० रुपये का होने का अनुमान है। दुर्घटना के फलस्वरूप एक आदमी मर गया तथा १९ घायल हो गये थे। जिन में से ४ के गहरी चोटें लगी थीं।

(ग) दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जाँच हो रही है।

सहकारी समितियां

३०१७. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **सामुदायिक विकास पंचायती राज और सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार छोटे आकार की सहकारी समितियों को अपना रही है जबकि रिजर्व बैंक बड़े आकार की सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के पक्ष में है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस के क्या कारण हैं ?

सामुदायिक विकास पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी नहीं। प्राथमिक कृषि सुधार समितियों के संगठन तथा आकार के प्रतिरूप के बारे में जो नीति सम्बन्धी निर्णय किये गये हैं वे सरकार तथा रिजर्व बैंक के संमत निर्णय के आधार पर हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

एयर इंडिया शंटरनेशनल द्वारा जैट विमानों की उड़ानें

†३०१८. **श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या **परि हन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि योरप तथा न्यूयार्क को एयर इंडिया इंटरनेशनल के अन्तर्राष्ट्रीय जैट विमानों की उड़ानों में प्रायः १२ घंटे से भी ज्यादा की देर हो जाती है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ऐसी उड़ानों की संख्या बताने वाला विवरण सभा पटल पर रखेगी जिन में गत तीन महीनों में देर हुई हो;

(ग) क्या अकसर होने वाली देरी के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जाँच की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) मार्च से मई, १९६२ की अवधि में इन मार्गों पर तीन एयर इंडिया जैट विमानों की उड़ानों में १२ घंटे से अधिक के लिए देर हुई थी ।

(ख) से (घ). देरी वाली उड़ानों तथा संक्षिप्त ब्योरे वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २५]**

सामान्य प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक उड़ान में देर होने की निगम जांच करता है । परन्तु यान्त्रिक खराबियों के कारण ३० मिनट तथा इससे अधिक की देरी के विलम्ब की जांच निगम के प्रविधिक विभाग द्वारा तथा असैनिक उड्डयन के महानिदेशालय की एयरो नाटिकल जांच शाखा द्वारा की जाती है । जांच प्रतिवेदन के आधार पर सुरक्षात्मक कार्यवाही की जाती है । क्योंकि इन उड़ानों का काम संतोषजनक है इसलिए विशेष जांच की आवश्यकता नहीं समझी गई ।

'सी आईलैंड' कपास

†३०१९. **श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में भूमि के कुल कितने क्षेत्र में 'सी आईलैंड कपास' उगाई जा रही है;

(ख) केरल में 'सी आईलैंड कपास' कितने एकड़ में होती है तथा केरल के किन ज़िलों में इसकी फसल हो रही है;

(ग) केरल में प्रति एकड़ औसत उत्पादन तथा उसका मूल्य क्या है;

(घ) तीसरी पंचवर्षीय योजनावधि में केरल में सी आईलैंड कपास के एकड़ बढ़ाने के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं; और

(ङ) क्या सरकार विचार केरल में इस की फसल बढ़ाने के लिए आन्दोलन में कोई कठिनाई महसूस कर रही है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) १९६१–६२ में भारत में २९९७.७५ एकड़ भूमि में सी आईलैंड कपास उगाई गई थी ।

(ख) १९६१–६२ में केरल में ८७२.७५ एकड़ भूमि में सी आईलैंड कपास हुई थी । फसल अधिकांशत: त्रिचूर, पालघाट, कोज़ीकोड, एरणाकुलम तथा कोट्टयम में उगाई गई थी ।

(ग) १९६१–६२ में केरल में प्रति एकड़ उपज ११० किलोग्राम कपास, जो २५३ रुपये की है, प्राप्त हुई थी ।

मालगाड़ियों की दुर्घटना

†३०२०. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों में माल गाड़ियों अथवा शंटिंग माल डिब्बों की कितनी रेलवे दुर्घटनायें हुई थीं;

(ख) क्या ऐसी दुर्घटनायें अब बढ़ गई हैं;

(ग) यदि हां, तो इस वृद्धि के क्या कारण हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) 'यात्री गाड़ियों के अतिरिक्त' गाड़ी के पटरियों से उतर जाने के तथा टक्कर हो जाने के आंकड़े विभिन्न रेलवे अलग अलग रखती हैं। इस में मालगाड़ियों तथा शंटिंग मालगाड़ियों की दुर्घटनायें भी शामिल हैं।

ऐसी दुर्घटनाओं के आंकड़े नीचे दिये जाते हैं (अक्तूबर ६१ से मार्च ६२ के छः महीनों के लिए) :–

यात्री गाड़ियों के अतिरिक्त गाड़ियों की टक्करें	३७
यात्री गाड़ियों के अतिरिक्त गाड़ियों का पटरी से उतर जाना	५५२
जोड़	५८९

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) आय-व्ययक कागजों के साथ सदस्यों को दी गई पुस्तिका १९६०–६१ में भारत सरकार रेलवे की दुर्घटनाओं की समीक्षा' अध्याय ४ में दुर्घटना रोकने के लिए किये कार्यों का ब्यौरा दिया गया है ।

हावड़ा स्टेशन पर यात्रियों पर लाठी चार्ज

†३०२१. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुलिस ने हावड़ा स्टेशन पर ५ मई १९६२ को यात्रियों पर लाठी चार्ज किया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

†**रेलवे मंत्रालय म उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) ५ मई १९६२ को हावड़ा स्टेशन पर ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी जिसके कारण पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा हो ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

टालीगंज रेलवे कालोनी में बसे हुये विस्थापित व्यक्ति

†३०२२. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टालीगंज रेलवे कालोनी में बसे हुए विस्थापित व्यक्तियों को सम्बन्धित अधिकारियों ने मकानों को छोड़ देने के नोटिस दिये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इन विस्थापित व्यक्तियों ने कहा है कि ज्यूं ही वैकल्पिक आवास मिल जायेगा त्यूंही ये लोग रेलवे की जमीन छोड़ देंगे परन्तु फिर भी उन से कहा गया है कि पन्द्रह दिन में स्थान छोड़ दें; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग). प्रश्न में उल्लिखित टालीगंज रेलवे कालोनी कोई नहीं है। संभवतया माननीय सदस्य गरियाहाट लैवल क्रासिंग अथवा रूसा रोड के ऊपरी पुल तक जाने वाली सड़कों का उल्लेख कर रहे हैं। उपरोक्त अनधिकृत कब्जों के कारण रेलवे गरियाहाट रोड ऊपरी पुल का निर्माण अथवा रूसा रोड ऊपरी पुल को ऊंचा करने का काम नहीं कर सकती है जबकि जनता से इनके बारे में लगातार अभ्यावेदन मिल रहे हैं। रेलवे ने बहुत दिनों तक प्रतीक्षा की थी तथा यहाँ के निवासियों को पर्याप्त दिनों का नोटिस दिया जिससे ऐसा काम जिसकी माँग जनता ने की है आरम्भ किया जा सके।

पंजाब में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

†३०२३. **श्री दल जीत सिंह** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में तीसरी पंच वर्षीय योजना अवधि में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार है; और

(ख) इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि आवण्टित की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा०सुशीला नायर) : (क) ५०।

(ख) पंजाब के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये ७०.५५ लाख रुपये की राशि आवण्टित की गई है।

कीरतपुर साहब स्टेशन पर पीने का पानी

†३०२४. **श्री दलजीत सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के रोपड़ नांगल सेक्शन के कीरतपुर साहब स्टेशन पर यात्रियों के लिये पीने के पानी की बहुत कमी है, और

(ख) यदि हां, तो उस स्टेशन पर इस आवश्यक सुविधा का उपबन्ध करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

हुबली बंगलौर और बीजापुर-गंडक लाइनों पर रेलगाड़ियां

†३०२५. **श्री मोहन सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हुबली-बंगलौर लाइन और बीजापुर-गंडक लाइन पर रेल गाड़ियां बहुत धीरे चलती हैं, जिस से लोगों को बहुत असुविधा होती है; और

(ख) इन लाइनों की रेलागाड़ियों की गति बढ़ाने के लिये सरकार क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). यह सच नहीं है कि हुबली - बंगलौर और बीजा-पुर गंडक सेक्शनों पर रेलगाड़ियां बहुत धीमी चाल से चलती हैं। हुबली-बंगलौर सेक्शन की गाड़ियों की गति अन्य मीटर लाइन के सेक्शनों पर चलने वाली रेलगाड़ियों

---

†मूल अंग्रेजी में

की गति के समान ही है। बीजापुर-गंडक सेक्शन पर गति कुछ मन्द है क्योंकि यह सेक्शन ढ़ालू है जिस पर भारी इंजनों के चलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि सीतीमनी और अलमट्टी के बीच कृष्णा नदी के पुल के गर्डर कमजोर हैं। पुल के गर्डरों को बदलने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

कोचीन शिपयार्ड की भूमि पर पेड़ों का पट्टा

†३०२६. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन में दूसरे शिपयार्ड के लिये अर्जित की गई भूमि के पेड़ों की पैदावार गैर-सरकारी पक्षों को पट्टे पर दे दी जाती है, और

(ख) यदि हां, तो वे किनी अवधि के लिये पट्टे पर दिये गये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) हां, श्रीमान्।

(ख) प्रत्येक मामले में पट्टा एक वर्ष के लिये दिया गया है और उस के साथ यह शर्त है कि सरकार प्रतिकर का भुगतान कर के पट्टे को किसी भी समय खत्म कर सकती है।

केरल में समुद्र से भूमि का कटाव

†३०२७. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **सिचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में समुद्र से भूमि के कटाव को रोकने के लिये थोट्टपल्ली में एक तीन मील लम्बी दीवार बनाने का विचार किया जा रहा है;

(ख) इस दीवार के बनाने में लगभग कितना व्यय होगा; और

(ग) क्या वह केवल राज्य सरकार की योजना है अथवा केन्द्रीय सरकार भी उस में कुछ सहायता दे रही है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) से (ग). सूचना राज्य सरकार से प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मेहसाना स्टेशन पर लेवल क्रासिंग

†३०२८. **श्री मान सिंह पु० पटेल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे में मेहसाना स्टेशन के उतरी सिरे पर स्थित भूमिगत लेवल क्रासिंग में सुधार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या १९६१-६२ में इस कार्य के लिये कोई बजट उपबन्ध रखा गया था;

(ग) यदि हां, तो यह कार्य अभी तक क्यों नहीं किया गया है; और

(घ) सरकार का इस कार्य को करने का कब का विचार है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

---

†मूल अंग्रेजी में

परिवार नियोजन केन्द्र

†३०२९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई "सेन्ट्रल फैमिली प्लानिंग कम्युनिकेशन एक्शन रिसर्च सेन्टर" स्थापित करने का विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उस का उद्देश्य क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव के कार्य रूप में कब तक परिणत किये जाने की संभावना है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) "सेन्ट्रल फैमिली प्लानिंग कम्युनिकेशन एक्शन रिसर्च सेन्टर" का प्रयोजन परिवार नियोजन शिक्षा और प्रोत्साहन के क्षेत्र में केन्द्रीय परिवार नियोजन संगठन के विस्तार का काम देना, संचार और प्रोत्साहन संबंधी क्षेत्र परियोजनाओं के कार्य का समन्वय करना, प्राप्त ज्ञान का समवलोकन करना, क्षेत्र अनुभव का सार निकालना, प्रमुख कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना और गवेषणा के परिणामों को कार्य रूप में परिणत करने में सहायता देना है।

(ग) केन्द्र के शीघ्र चालू हो जाने की संभावना है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रशासन एवं शिक्षा संस्था

†३०३०. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वास्थ्य प्रशासन और शिक्षा की एक नई राष्ट्रीय संस्था चालू करने का प्रस्ताव विचार की किस अवस्था में है; और

(ख) प्रस्तावित संस्था का संगठन कैसा होगा और उस का कार्य क्या होगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) योजना आयोग द्वारा नियुक्त की गई एक समिति ने यह सिफारिश की है कि भारत में यथाशीघ्र एक नई लोक स्वास्थ्य प्रशासन एवं शिक्षा संस्था स्थापित की जाये। यह बताया गया है कि फोर्ड प्रतिष्ठान द्वारा इस संस्था की स्थापना में सहायता किये जाने की आशा है परन्तु अभी तक उस अभिकरण से कोई दृढ़ प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। जब फोर्ड प्रतिष्ठान से यह मालूम हो जायेगा कि वह इस प्रयोजन के लिये किस प्रकार की और कितनी सहायता देगा तब इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

(ख) इस संस्था के संगठन के संबंध में अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है परन्तु अस्थायी तौर से यह विचार है कि उस में निम्नलिखित ५ विभाग होंगे :

१. प्रशासन विभाग

२. गवेषणा रीति विभाग

३. स्वास्थ्य कार्यक्रम विभाग

४. स्वास्थ्य शिक्षा विभाग

५. सेवा एकक ।

संस्था का कार्य प्रशिक्षण, गवेषणा और सेवायें होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(क) प्रशिक्षण

संस्था में निम्नलिखित की व्यवस्था होगी। (१) फिज़िशियनों तथा अन्य उच्च योग्यता वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिये लोक स्वास्थ्य प्रशासन के सिद्धातों और प्रैक्टिस में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम;

(२) चिकित्सा और गैर-चिकित्सा कर्मचारियों के लिये स्वास्थ्य शिक्षा में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ।

(३) लोक स्वास्थ्य प्रशासन के नेताओं के लिये उच्च प्रशिक्षण का नियमित कार्यक्रम; और

(४) संक्षिप्त पाठ्यक्रम, सम्मेलन, गोष्ठियां, अध्ययन दल आदि ।

(ख) गवेषणा

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोनज कार्यक्रम, के क्रियान्वयन की प्रशासकीय एवं शिक्षा सम्बन्धी समस्यायें गवेषणा की मुख्य विषय होंगी। महामारी विज्ञान और भौतिक विज्ञान में गवेषणा, उदाहरणार्थ, विमुक्ति अथवा वातावरण की सफाई के पहलू, भी सम्मिलित होगी ।

(ग) सेवायें

संस्था की समस्यायें निर्दिष्ट की जा सकेंगी तथा वह विशेष प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करेगी। संस्था समस्त देश के चुने हुए जिलों में क्रियान्वित किये जाने वाले गहनअग्रिम स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन कार्यक्रमों का समन्वय करेगी और इन कार्यक्रमों को मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण सेवायें प्रदान करेगी।

प्रैक्टिस का क्षेत्र प्रदान करने के लिए संस्था निकटवर्ती एक जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को अपने प्रशासन के अन्तर्गत रखेगी।

भूदान यज्ञ आन्दोलन

३०३१. श्री वेरबा : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूदान यज्ञ आन्दोलन में अभी तक कितने एकड़ जमीन प्राप्त हुई है और उस को कितने परिवारों में बांटा गया ;

(ख) इस जमीन में कितनी ऊसर है और कितनी उपजाऊ ;

(ग) इस जमीन में से कितनी अनुसूचित जातियों को दी गई हैं; और

(घ) उस में से कितने प्रतिशत भूमि ऊसर है और कितने प्रतिशत उपजाऊ ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) अखिल भारत सर्व सेवा संघ द्वारा दी गई सूचना के अनुसार भूदान यज्ञ आन्दोलन में ३१ दिसम्बर, १९६१ तक लगभग ४१.८ लाख एकड़ भूमि प्राप्त हुई, जिसमें से ८.७ लाख एकड़ भूमि लगभग ३ लाख परिवारों में बांटी गई ।

(ख) अनुमान है कि दान में मिली भूमि में से लगभग ११.९ लाख एकड़ भूमि कृषि योग्य नहीं है ।

(ग) और (घ). अखिल भारत सर्व सेवा संघ से परामर्श किया जायेगा कि उन के पास सूचना उपलब्ध है या नहीं। मिली सूचना को सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

गांधी सागर बांध से बिजली सम्भरण

३०३२. **श्री बेरवा** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांधी सागर चम्बल बांध से जो बिजली मिलती है वह कई बार बन्द हो जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इस के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कोटा स्थित रेलवे डाक सेवा कार्यालय

३०३३. **श्री बेरवा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोटा के रेलवे डाक सेवा कार्यालय में स्थान की कमी के कारण डाक के थैले प्लेटफार्म पर पड़े रहते हैं और उस से यात्रियों को असुविधा होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कार्यालय के क्षेत्र को विस्तृत करने अथवा उसके लिये नया भवन बनाने का विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो नये भवन का निर्माण कब आरम्भ होने की सम्भावना है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी नहीं ।

(ख) चूंकि मौजूदा इमारत का विस्तार करना संभवन नहीं है, अतः एक नई इमारत बनाने का विचार है ।

(ग) रेलवे अधिकारियों से परामर्श कर के नई इमारत के नक्शों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि इमारत उन्हीं के द्वारा बनवाई जायेगी ।

रेलवे कार एक्सिल और पहियों का संभरण

†३०३४. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राम हरख यादव :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान के सुमिटोमो मेटल इण्डस्ट्रीज द्वारा रेलवे कार एक्सिलों और पहियों के सैटों के संभरण का कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है जिस के लिये रेलवे ने ठेका दिया है; और

(ख) यदि हां, तो वह कार्यक्रम किस प्रकार का है और किये गये ठेके का ब्यौरा क्या है ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) जापान के मेसर्स सुमिटोमो मेटल इण्डस्ट्रीज को ३७,६५४ पहियों के सैटों का व्यादेश दिया गया है । पहियों का कुल मूल्य, समुद्र के भाड़े को सम्मिलित कर के, ३.४७ करोड़ रुपये है । पहियों का भेजा जाना दिसम्बर, १९६२ में शुरू होगा और अक्तूबर १९६३ तक समस्त संभरण पूरा हो जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मद्रास में क्षयरोग के रसायन चिकित्सा केन्द्र[1]

†३०३५. **श्री उमानाथ :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्षयरोग के रसायन चिकित्सा केन्द्र को मद्रास से बंगलौर हटाने का प्रस्ताव त्याग दिया गया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार उस केन्द्र को मद्रास में ही बनाये रखने के लिये सहमत हो गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या उस के वहां बनाये रखने के संबंध में कोई शर्तें रखी गई हैं;

(घ) उसे वहां बनाये रखने की शर्तों का प्रस्ताव किसने किया था; और

(ङ) इस के क्या कारण हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर):** (क) से (ङ) क्षयरोग के रसायन चिकित्सा केन्द्र को मद्रास से बंगलौर हटाने का प्रस्ताव केन्द्र को अग्रेतर कायम रखने के प्रश्न पर निर्भर है जिस पर अभी मद्रास सरकार के साथ मिल कर विचार किया जा रहा है।

पूर्वोत्तर रेलवे में शारदा नदी पर रेलवे पुल

†३०३६. **श्री बा० वर्मा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने उन के मंत्रालय को पूर्वोत्तर रेलवे की ब्रांच लाइन पर भोरा और पलियाकलम के बीच शारदा नदी पर बने रेलवे के ऊपरी पुल को चौड़ा करने के लिये–ताकि उस पुल को रेल और सड़क यातायात दोनों के काम के योग्य बनाया जा सके––अपने अंश-दान के रूप में कुछ धनराशि दी है;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस परियोजना के कब तक पूर्ण हो जाने की संभावना है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) उत्तर प्रदेश सरकार शारदा नदी पर के रेलवे पुल पर सड़क और फुटपाथ बनाने के प्रारम्भिक एवं आवर्तक दोनों व्ययों का वहन करने के लिये सिद्धान्ततः सहमत हो गई है परन्तु उस ने रेलवे द्वारा भेजे गये प्राक्कलन को अभी स्वीकार नहीं किया है ।

(ख) उपरोक्त (क) की दृष्टि से उत्पन्न नहीं होता।

(ग) इस अवस्था में सड़क का निर्माण कार्य पूरा होने की तारीख बताना संभव नहीं है । क्योंकि राज्य सरकार ने प्राक्कलन स्वीकार नहीं किया है। और यह सूचित नहीं किया है कि वह इस कार्य के लिये धन का उपबन्ध किन वर्षों में करेगी ।

बरेली से लखनऊ तक चलने वाली पैसजर गाड़ियां

†३०३७. **श्री बा० वर्मा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इज्जतनगर जिले के गार्डों को पैसिजर गाड़ियों को बरेली जंक्शन से लखनऊ जंक्शन तक लेजाना और लाना पड़ता है। जब कि अन्य सब कर्मचारी और रेलवे इंजन मैलानी जंकशन पर बदले जाते हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]T.B. CHEMOTHERRAPY CENTRE

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) उन को कितना "ओवर टाइम" भत्ता दिया जाता है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां, ब्रेक्समैन के साथ ।

(ख) अतिरिक्त व्यय को बचाने के लिये क्योंकि यदि मलानी पर गार्ड बदले जायेंगे तो अतिरिक्त गार्डों की जरूरत पड़ेगी ।

(ग) समस्त गार्ड नियमानुसार काम करते हैं और उन को महीने में २३१ घंटों से अधिक काम करने पर "ओवर टाइम" भत्ता मिलता है। बहुत ही कम मामलों में उन को ओवर टाइम भत्ता मिलता है। चूंकि कोई भी गार्ड केवल इस सेक्शन पर नहीं रखे जाते हैं इसलिये उन को दिये गये "ओवर टाइम भत्ते" का हिसाब लगाना संभव नहीं है ।

पानी का जमा होना

†३०३८. **श्री गो० महन्ती** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ और १९६१-६२ में पानी के जमाव को रोकने के लिये कितनी राशि व्यय की गई;

(ख) वह राशि किन किन राज्यों में व्यय की गई ; और

(ग) क्या राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय सहायता हेतु पेश की गई कोई योजनायें केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) से (ग) आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

टिड्डी दल का संकट

†३०३९. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मरुभूमि टिड्डी दल सूचना सेवा केन्द्र, लन्दन ने यह पूर्व पूचना दी है कि सम्भवतः भारत और पाकिस्तान को मई के अन्त से ले कर अगस्त, १९६२ तक इस वर्ष 'अत्यन्त गम्भीर टिड्डी दल संकट' का सामना करना पड़ेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस संकट का सामना करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ।

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) लन्दन के मरुस्थल टिड्डी सूचना सेवा केन्द्र की सूचना के अनुसार आने वाले महीनों में टिड्डी सम्बन्धी स्थिति बड़ी गम्भीर होने का भय है ।

(ख) (१) देश में टिड्डियों के घुसने के खतरे को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय टिड्डी सूचना संगठन को, जिस का मुख्य कार्यालय जोधपुर में है, तकनीकी कार्यकर्ताओं कीटनाशी औषधियों और नियंत्रण के साज-सामान द्वारा मजबूत कर दिया गया है । नियंत्रण संगठन जिन टिड्डी-सीमा चौकियों के द्वारा कार्य करता है उन की संख्या भी बढ़ा दी गई है । भूमि पर नियंत्रण कार्यों को ४ हवाई जहाजों एक बेड़े द्वारा सहायता दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) उन सब राज्यों को जिन पर टिड्डियों के आक्रमण का खतरा है, पहले ही खबरदार कर दिया गया और उन को यह भी कहा गया है कि जब कभी भी आवश्यकता हो, स्थिति का सामना करने के लिये पर्याप्त कदम उठायें ।

(३) क्यों कि भारत के एक स्थायी मरुस्थल की सीमा पाकिस्तान के साथ मिलती है; अतः केन्द्रीय वनस्पति रक्षा, संगरोध और संचयन निदेशालय पाकिस्तान के साथ गहरा संपर्क स्थापित रखता है ।

गोविन्द बल्लभ पन्त अस्पताल, अगरतल्ला

†३०४०. **श्री बीरेन दत्त :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगरतल्ला में गोबिन्द वल्लभ पन्त अस्पताल चालू हो गया है;

(ख) क्या उस अस्पताल में भर्ती होने के लिये आउट-डोर परीक्षा उस अस्पताल के कोट (प्रैसिक्ट) पर की जाती है; और

(ग) क्या डाक्टरों और कर्मचारियों को अस्पताल के निकट ही स्थायी आवास मिला हुआ है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर):** (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और कालान्तर में सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

महाराजगंज बाजार के आसपास पानी का जमाव

†३०४१. **श्री बोरेन दत :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराजगंज बाजार के निकटवर्ती क्षेत्रों में बहुत अधिक पानी जमा हो गया है;

(ख) क्या इन क्षेत्रों में मच्छर बहुत पनप रहे है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का पानी को बहा कर निकाल देने के लिये क्या कदम उठाने का विचार हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) महाराजगंज बाजार के आस पास तीन बड़े तालाब और दो खाईयां है ।

(ख) जी, नहीं । तीनों तालाब साफ हैं । खाईयों में बरसात के मौसम में मच्छर पनप सकते है ।

(ग) अगरतला नगरपालिका ने उन खाईयों को पाट देने का निर्णय किया हैं ।

उड़ीसा में रेलवे स्टेशन

†३०४२. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंच वर्षीय योजना अवधि में उड़ीसा के निम्नलिखित स्टेशनों की लाइन, साईंगि और स्टेशन क्षमता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव हैं : (१) बासपानी; (२) बारबिल; (३) बराजमदा; और (४) देवघर; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) बराजमदा और बारबिल के बीच सेक्शन क्षमता को बढ़ाने का प्रश्न विचाराधीन हैं । पदपहाड़–देवझर–बांसपानी सेक्शन की क्षमता वहां की रेल सेवाओं के लिये पर्याप्त है ।

(ख) ब्यौरा तभी ज्ञात होगा जबकि चालू जांच पूरी हो जायेगी ।

दिल्ली के चिड़ियाघर में महामारी

†**३०४३. श्री ब्रजेश्वर प्रसाद** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में दिल्ली के चिड़ियाघर में कोई महामारी फैली हैं; और

(ख) १९५९–६०, १९६०–६१ और १९६१–६२ में (आद्यतन) कितने पशु मरे ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी, नहीं

(ख)

वर्ष	मृत्यु संख्या*
१९५९–६०	३३९
१९६०–६१	२५६
१९६१–६२ (मई, १९६२ तक)	३८

*इस संख्या में पक्षों भी सम्मिलित है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना

गूंटूर में तम्बाकू के लिये एगमार्क की पर्चियां देने में सरकार की कथित असफलता

†**डा० सारादीश राय** (कटवा) : मैं खाद्य और कृषि मंत्री का ध्यान सरकार के गुन्टूर में तम्बाकू के लिए एग मार्क लेबलों का संभरण न कर सकने की ओर ध्यान दिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि वे उस के सम्बन्ध में वक्तव्य दें ।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : तम्बाकू का निर्यात के प्रयोजनों के लिए अनिवार्य किस्म नियंत्रण किया जाना हैं । इसलिए संदेश भेजे जाने वाले समस्त माल पर एग मार्क लेबल होने चाहियें । सुरक्षा के कारणों से ये लेबल सामान्यतया कलकत्ता स्थित सर्वे आफ़ इंडिया प्रेस या भारत सरकार के किसी मुद्रणालय में छापे जाते है । एग मार्क के अन्तर्गत ग्रेडिंग कार्य बढ़ जाने और मुद्रणालयों की सीमित क्षमता के कारण अस्थायी कमी पर विजय पाने के लिए कदम उठाये गये है और उठाये जा रहे है ।

तम्बाकू के लेबलों की कमी इस कारण और भी बढ़ गई कि इस वर्ष अन्य तम्बाकू पैदा करने वाले देशों की फसल खराब हो जाने के कारण भारतीय तम्बाकू की इतनी मांग हुई जितनी पहले कभी नहीं हुई थी । परन्तु तम्बाकू के ग्रेडिंग कार्य में गत्यावरोध नहीं हुआ हैं क्योंकि गुन्टूर को

---

†मूल अंग्रेजी में

पैसेंजर गाड़ी और विशेष वाहक द्वारा भेजे गये हैं। अन्य वस्तुओं के एंग मार्क लेबल भी उपयुक्त परिवर्तन करके तम्बाकू के काम में लाये गये हैं।

†**डा० सारादीश राय** : क्या यह सच नहीं कि लेबलों की कमी के कारण तम्बाकू के उत्पादकों को और व्यापारियों को बहुत कठिनाई हो रही हैं और तम्बाकू के निर्यात में बाधा पड़ रही हैं ?

†**श्री अ० म० थामस** : ग्रेडिंग के कार्य में कोई बाधा नहीं पड़ी। वर्तमान स्थिति हैं कि महीने के शेष के लिए ४० हजार लेबल चाहियें और हमारे पास ६० हजार लेबल है। जुलाई के पहले सप्ताह में ६० हजार और लेबल उपलब्ध हो जायेंगे। इस वर्ष लेबलों की मांग २ करोड़ या ठीक ठीक १.८४ करोड़ होगी। बढ़ी हुई मांग को पूरा करना सम्भव नहीं था, फिर भी हर सम्भव कदम उठाया जा रहा हैं।

पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं द्वारा भारतीय राज्य-क्षेत्र पर कथित कब्जा

†**श्री कार्जी** : (कूच-विहार) मैं प्रधान मंत्री का ध्यान पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं द्वारा पश्चिम बंगाल में दक्षिण बेरूबाड़ी में बहुत बड़े भारतीय राज्य क्षेत्र पर कथित कब्जे और सैनिक अड्डे बनाये जाने की ओर दिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जलपाईगुड़ी के डिप्टी कमिश्नर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ८ जून को लगभग ४० पाकिस्तानी सैनिक दक्षिण बेरूबाड़ी से हमारी पुरानी कूचबिहार की चिर भूमि में घुस आये और वहां खाइयां बना कर बैठ गये। जलपाईगुड़ी के डिप्टी कमिश्नर ने दीनाजपुर (पूर्व पाकिस्तान) के डिप्टी कमिश्नर से टेलीफोन पर विरोध प्रकट किया। जलपाईगुड़ी के पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट भी पुलिस दल लेकर वहां गये।

नवीनतम सूचना के अनुसार पाकिस्तानी सेना के कमांडर ने जलपाईगुड़ी के पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट के साथ भेंट के पश्चात् खाइयों को पाटना स्वीकार कर लिया, परन्तु इस बात पर जोर दिया कि वह क्षेत्र पाकिस्तान का हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी पूर्व पाकिस्तान सरकार से कड़ा विरोध प्रकट किया हैं। दीनाजपुर (पूर्व पाकिस्तान) के डिप्टी कमिश्नर से मामला तय करने और आक्रांत क्षेत्र को खाली करने के लिए जलपाईगुड़ी के डिप्टी कमिश्नर से भेंट करने का अनुरोध किया गया है किन्तु बैठक का समय और स्थान अभी निश्चित नहीं किया गया।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : सरकार ने बलपूर्वक उन्हें हटाने का प्रयत्न क्यों नहीं किया ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : दो देशों के बीच झगड़े इस तरह नहीं निपटाये जाते। उनको उचित तरीके से हटाना चाहिये, लड़ाई कर के नहीं। हम लड़ाई से बचना चाहते है, क्योंकि लड़ाई की प्रवृत्ति से कोई झगड़ा हल नहीं होता।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, चूंकि पश्चिमी बंगाल और पाकिस्तान की सीमा पर आये-दिन इस तरह की घटनायें हो रही है, इसलिए क्या वहां पर इस बीच में पहरा देने में और कड़ाई कर दी जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री जवाहरलाल नेहरू : पहरा तो दिया जाता हैं। दरया के बीच में ज़मीन हैं, जो कभी आती हैं, कभी जाती हैं और इस में बहस हुआ करती हैं। सरहद पर कई जगह ऐसी बहस हैं। उस में पहरा ज्यादा देने से कुछ खास तो हासिल नहीं होगा। एक बेजा कार्रवाई कोई करे, तो उस को वहां से हटाना हैं और हम ने यह तरीका तय किया हैं कि बहस कर के और साबित कर के हटायें और ऐसा ही हम ने किया है।

सांभर झील के निकट सवारी गाड़ी और बस के बीच हुई टक्कर

†**श्री वासुदेवन् नायर** (अम्बलपुज़ा) : मैं रेलवे मंत्री का ध्यान जयपुर के निकट एक यात्री गाड़ी और परिवहन बस की टक्कर की ओर दिलाता हूं। जिसके परिणामस्वरूप २६ व्यक्ति मारे गये तथा अनेक अन्य व्यक्ति घायल हुए।

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें०रामस्वामी) :** ११-६-१९६२ को दिन में लगभग ११.२५ बजे जब कि ९ अप फुलेरा–जोधपुर–मारवाड़ पैसेंजर पश्चिम रेलवे के फुलेरा और सांभर झील स्टेशन के बीच चल रही थी, एक ऐसे रेलवे फाटक पर, जिस पर कोई चौकीदार नहीं था, एक यात्री बस रेल गाड़ी से टकरा गई। टक्कर के परिणामस्वरूप बस चकनाचूर हो गई। बस के १७ यात्री उसी वक्त मर गये, एक अस्पताल ले जाते समय मर गया और ७ यात्री उसी दिन बाद में अस्पताल में मर गये। बस के अन्य २३ व्यक्तियों को चोटें आईं।

घायलों को घटनास्थल पर प्राथमिक चिकित्सा की गई। डाक्टरी सहायता स्थानीय सांभर झील के अस्पताल से प्राप्त की गई। रेलवे डाक्टर और अन्य रेलवे अधिकारी भी तुरन्त घटनास्थल पर पहुंच गये। घायलों को तुरन्त सांभर झील साल्ट अस्पताल में भेज दिया गया। ६ घायलों को सवाय मानसिंह अस्पताल में भेजा गया था।

वरिष्ठ उपमहाप्रबन्धक, पश्चिम रेलवे ने अस्पतालों में घायलों को और दुर्घटनास्थल को देखा। दुर्घटना के कारण का पता लगाने के लिये वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त जांच का आदेश दे दिया गया है।

†**श्री वासुदेवन नायर :** मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि दुर्घटना की गम्भीरता को देखते हुए एक न्यायिक जांच क्यों नहीं कराई जाती ?

†**रेलवे मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** दुर्घटना पर सामान्य चर्चा के समय हम सारे तथ्य सदन के सामने रख देंगे। हम में कई त्रुटियां होंगी किन्तु यह समझना कठिन हैं कि इस दुर्घटना में जो दिन के समय हुई थी, हमारा दोष क्या हैं। बस या ट्रक वालों को स्वयं देखना चाहिये कि कोई रेल गाड़ी तो नहीं आ रही। इस घटना के परिणाम यद्यपि गम्भीर है, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि प्रत्यक्षतः रेलवे का दोष है।

†**श्री बागड़ी:** मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तानी में भी कुछ बता दें तो बड़ी मेहरबानी होगी.....

†**अध्यक्ष महोदय :** अब आप सवाल भी करना चाहते हैं या नहीं ?

†**श्री बागड़ी :** बगैर समझे क्या सवाल करूं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : आप समझते हैं, आपको मालूम है, आपने नोटिस भी दिया है और अखबार में जो वाकयात निकले हैं, उनका भी आपको इल्म है। आप सवाल करना चाहते हैं या नहीं ?

श्री बागड़ी : सवाल तो करूंगा ही।

जब से रेलवे मिनिस्टर साहब बने हैं तब से ऐसा कोई ही भाग्यशाली दिन होगा जिस दिन कि एक्सीडेंट की खबर सुबह अखबारों में पढ़ने को न मिलती हो। बार बार इस हाउस के.....

अध्यक्ष महोदय : आप क्या चाहते हैं ?

श्री बागड़ी : सवाल कर रहा हूं। बार बार इस सदन में आपकी मार्फत सवाल किया गया है कि हाईकोर्ट के जज या किसी गैर सरकारी बोर्ड के द्वारा इनक्वायरी कराई जाए लेकिन आनरेबल मिनिस्टर साहब रेलवे कमिश्नर और इंसपैक्टर पर ही अड़े हुए हैं और उन्हीं से इनक्वायरी करवाना चाहते हैं। इस नहूसत से देश को बचाने के लिए क्या आनरेबल मिनिस्टर साहब और नहीं तो कम से कम कैबिनेट की मीटिंग बुला करके उनसे सलाह मश्विरा करके कोई कदम उठाने की राय नहीं रखते हैं और क्या ऐसी राय नहीं रखते हैं कि किसी हाईकोर्ट के जज द्वारा या ट्रिब्युनल के द्वारा इनक्वायरी करा ली जाए ताकि इस देश को आगे के लिये तो इन एक्सीडेंटस से बचाया जा सके ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मैं माननीय सदस्य को बतलाना चाहता हूं कि यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसके लिए कैबिनेट के पास जाना पड़े। अगर कोई जरूरत समझी जाएगी और जिस वक्त भी समझी जाएगी, जैसी कि पहले कभी समझी गई थी, आज से तीन, चार या पांच साल पहले, तो ज्युडिशल इनक्वायरी भी हो सकती है। मगर जहां तक इस एक्सीडेंट का ताल्लुक है, मुझे बिल्कुल इस बात की समझ नहीं आती है कि इसमें ज्युडिशल इनक्वायरी भी क्या करेगी। दिन का वक्त था जब एक्सीडेंट हुआ, सामने एक लेविल क्रासिंग था, एक बस आई और उसने यह ख्याल नहीं किया, ड्राइवर ने नहीं किया कि सामने गाड़ी आ रही है और वह बीच में टकरा गई। अब इसमें हाईकोर्ट जज या कोई और जज क्या करेगा समझ में नहीं आता है।

†**श्री वारियर** (त्रिचूर) : लेकिन इस गेट या लेविल क्रासिंग पर कोई चौकीदार क्यों नहीं रखा गया ?

†**श्री स्वर्ण सिंह** : देश में ऐसे हजारों गेट हैं जहां चौकीदार नहीं रहते। अन्य देशों में भी ऐसे रेलवे गेट हैं। संसार की सभी रेलवेज में ऐसे बहुत से गेट होते हैं जहां कोई भी आदमी तैनात नहीं किया जाता, इसलिये कि वहां यातायात इतना अधिक नहीं होता कि ट्रेन आने के समय उसे बन्द करने की आवश्यकता पड़े, फिर सड़क यातायात के उपभोक्ता भी तो सावधानी रखते हैं।

†**श्री हेम बरूआ** : माननीय मन्त्री ने तो दुर्घटनाओं की सारी जिम्मेदारी सड़क का उपभोग करने वालों पर ही रख दी है। दुर्घटनाओं की बढ़ती हुई संख्या की दृष्टि से, क्या यह ठीक नहीं होगा कि जिन रेलवे गेटों पर दुघटनायें हो चुकी हैं, वहां चौकीदार अवश्य रखे जायें।

†**श्री स्वर्ण सिंह** : यह तो चर्चा का विषय है। लेकिन वैद्धान्तिक रूप में मैं मानता हूं कि यदि किसी लेबिल क्रासिंग पर यातायात काफी अधिक हो, तो वहां हमें गेट बना कर एक चौकीदार रखना चाहिये। लेकिन अभी मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि इस सड़क विशेष पर यातायात इतना बढ़ चुका है कि वहां एक गेट और उस पर एक चौकीदार रखने की अवश्यकता हो।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : माननीय उपमंत्री जी के वक्तव्य में कहा गया है कि साम्भर स्टेशन के थोड़े दूर बाहर जाने के बाद ही यह एक्सीडेंट घटित हुआ। अतः मैं जानना चाहता हूं कि कम से कम ऐसी जगहों पर, जहां पर इतना ज्यादा ट्रैफिक होता है, अब कम से कम रेलवे बोर्ड कृपा करेगा कि वहां चौकीदार रख दिया जाये और गेट बनवा दिया जाये ?

श्री स्वर्ण सिंह : इसका जवाब मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंधवी** (जोधपुर) : क्या रेलवे प्रशासन घायलों या मृत व्यक्तियों के परिवारों को प्रतिकर देगा ?

†**श्री स्वर्णसिंह :** रेलवे प्रशासन कुछ मामलों में प्रसादतः प्रतिकर देता है। इसका निर्णय प्रतिकर आयुक्त करता है।

†**श्री मोहसिन :** (धारवार दक्षिण) : जहां चौकीदार नहीं रखे जाते, उन लेविल क्रासिंगों पर एक गेट या लोहे की जंजीर रहती है। क्या इस पर भी वैसा कुछ था ?

†**श्री स्वर्ण सिंह :** ऐसी सभी लेविल क्रासिंगों पर तो वैसी व्यवस्था नहीं रहती।

†**श्री दाजी** (इन्दौर) : एक औचित्य प्रश्न है। आप स्थगन प्रस्तावों को ध्यान दिलाओ प्रस्तावों की पूर्व सूचना मान लेते हैं। मैं पूरे सम्मान के साथ बताना चाहता हूं कि इस मामले में अध्यक्ष की शक्ति सीमित है। स्थगन प्रस्ताव के प्रवेश होने या न होने का निर्णय सभा ही कर सकती है।

माननीय मन्त्री ने अपना कोई दायित्व ही नहीं माना है। आपको अब इस स्थगन प्रस्ताव पर अपना विनिर्णय देना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय :** इसमें औचित्य प्रश्न की कोई बात नहीं। माननीय मन्त्री ने दायित्व से इंकार नहीं किया है। उन्होंने केवल इतना कहा है कि सड़क-उपभोक्ताओं का भी कुछ दायित्व होता है। उनको भी थोड़ी सावधानी रखनी चाहिये।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

मोटर गाड़ी अधिनियम के अधीन अधिसूचना

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) :** मैं मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत त्रिपुरा मोटर गाड़ी नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २५ नवम्बर, १९६१ के त्रिपुरा गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ ८(६) एम० वी०/६१ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० —१८९/६२]**

सेन्ट्रल प्राविन्सेस मैंगनीय ओर कम्पनी लिमिटेड के साथ हुए करार के बारे में वक्तव्य

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** वक्तव्य काफी लम्बा है।

†**अध्यक्ष महोदय :** इसे पटल पर रखा जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० दे० मालवीय** : श्रीमान् जी, म सेंट्रल प्रोविसेस मैंगनीज और कम्पनी लिमिटेड के साथ हुए करार के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता है । [**देखिये परिशिष्ट ४ [अनुबन्ध संख्या २६]**

ब्रिटेन और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच चल रही बातचीत के बारे में वक्तव्य

†**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** :अभी कुछ दिन पहले कई माननीय सदस्यों ने यूरोपीय साझा बाजार में सम्मिलित होने के लिये ब्रिटेन के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में चलने वाली वार्ता का उल्लेख किया था । तब उस पर मैंने कहा था कि मैं शीघ्र ही उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दूंगा ।

साझा बाजार बनने से पहले भी पाश्चात्य देशों के हमारे व्यापार से सम्बन्धित कई समस्यायें बिना हल की हुई पड़ी थीं, और रोम की सन्धि के बाद तो वे और भी बढ़ गई हैं । हम उनमें कुछ रद्दो बदल कराने के लिये अलग अलग विभिन्न देशों से वार्तायें करते रहे हैं । उसी के फलस्वरूप १९६४ के मध्य में जर्मनी जूट के हमारे माल पर से कुछ प्रतिबन्ध हटाने को तैयार हो गया था । साझा बाजार के छः देशों के साथ हमारा व्यापार सन्तुलन फिर भी दिन-दिन बिगड़ता गया है। १९५० में उनके साथ हमारे व्यापार में निर्यात का भाग लगभग ५ करोड़ रुपये अधिक था, लेकिन १९६० में उसमें लगभग १३५ करोड़ रुपये का घाटा हो गया था । अर्थात् आयात की मात्रा निर्यात के मुकाबले तीन गुनी हो गई थी । हम कोशिश कर रहे हैं कि साझा बाजार के ये औद्योगिक रूप से उन्नत देश भारत जैसे कम विकसित देश को कुछ व्यापार सम्बन्धी रियायतें दे दें ।

यदि ब्रिटेन भी साझा बाजार में शामिल हो जायेगा तो हमारे लिये कुछ नयी समस्यायें पैदा हो जायेंगी । इसलिये कि ब्रिटेन के साथ हमारा व्यापार अर्से से काफी जमा हुआ है और उसे प्रशुल्क इत्यादि से विमुक्ति मिली हुई है और कुछ वरीयतायें भी दी जाती हैं । उससे हमारे व्यापार को काफी हानि पहुंचेगी । हम यह तो मानते हैं कि उसके साझा बाजार में शामिल होने से हमारे व्यापार को असुविधा होगी, लेकिन शामिल होने या न होने का अन्तिम निर्णय ब्रिटेन के अपने हाथ है । हमने उस दिशा में पर्याप्त परित्राण दिये जाने की बात ब्रिटिश सरकार के सामने रख दी है । ब्रिटिश सरकार ने साझा बाजार की वार्ता के सिलसिले में उनका ध्यान रखने की बात मान ली है । ब्रिटेन को भारत के ही नहीं अन्य राष्ट्र मण्डलीय देशों के हितों का भी ध्यान रखना पड़ेगा । उसे कहां तक सफलता मिलेगी यह तो साझा बाजार के अन्य देशों के रुख पर निर्भर करेगा । इसीलिये हमने उन देशों के सामने भी अपनी कठिनाइयां रखी हैं । सभी सदस्य देशों के पास हमने एक ज्ञापन भेजा है, जिसकी एक प्रति मैं सभा पटल पर रख रहा हूं । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—१९१/६२**] ।

मैं आपका ध्यान ज्ञापन के पैरा ५ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें समस्याओं के व्यावहारिक हल की बात कही गई है । आशा है कि वे सभी देश भारत के विकास में रुचि लेंगे और हमारे निर्यात व्यापार को पर्याप्त परित्राण देने पर सहमत हो जायेंगे। साझा बाजार के सदस्य देशों और अन्य देशों के बीच पिछले कुछ वर्ष में व्यापार बढ़ा है, पर भारत के निर्यात-व्यापार में उससे कोई वृद्धि नहीं हो पाई है । आशा है कि वे भारत से होने वाले निर्यात को अपने यहां और अधिक मात्रा में खपाने के लिये तैयार हो जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मनुभाई शाह]

हमें इन मसलों पर ब्रिटिश सरकार के राष्ट्रमण्डलीय सम्बन्धों के राज्य-सचिव, श्री डंकन सैण्डी के साथ वार्ता करने का अवसर मिलेगा। वह भारत आने वाले हैं। उन वार्ताओं के दौरान समुदाय के देशों के हमारे राजदूत भी उपस्थित रहेंगे। आशा हैं कि ब्रिटेन और साझा बाजार के छः देश हमारे देश के अधिकारों का सम्मान करेंगे। हम अपने प्रयास जारी रखेंगे।

सभा भली भांति समझती है कि अभी इस अवस्था पर वार्ताओं का अधिक ब्यौरा जुटाना मेरे लिये सम्भव नहीं होगा। ज्ञापन में उसकी रूप रेखा दी गई है।

कार्य मंत्रणा समिति

दूसरा प्रतिवेदन

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यानारायण सिंह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मत्रंणा समिति के द्वितीय प्रतिवेदन से, जो ११ जून, १९६२ को सभा में उपस्थिगपित किया गया था सहमत है।"

†**अध्यक्ष महोदय।** प्रश्न वह है :

"कि यह सभा कार्य मत्रणा समिति के द्वितीव प्रतिवेदन से, जो ११ जून, १९६२ को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अनुदानों की मागें

वित्त मंत्रालय—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा वित्त मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा करेगी।

†**श्री उ० न० ढेबर : (राजकोट)** :हमें सबसे पहले तो वह समझ लेना चाहिये कि संसार का कोई भी देश विदेशी सहायता के बिना अपना आर्थिक विकास नहीं कर पाया हैं। इसलिये विदेशी सहायता के लिये कोशिश करना वित्त मंत्रालग की कोई त्रुटि नहीं बताता।

वह भी तृतीय योजना में शामिल है कि भारत उसके लिये विदेशों से सहायता मांगेगा। सभा को यह पहले ही मालूम है।

सभा ने इस योजना को अनुमोदित किया है। इसलिये इस पर पूरी गम्भीरता से विचार करना चाहिये। हमें इस अवस्था पर देश की बागडोर सम्भालने वालों के हाथ मजबूत करने चाहियें।

एक बात और हमें समझ लेनी चाहिये कि वर्तमान संकट विकासशील व्ययवस्था का परिणाम हैं, मन्त्रालय का उसमें कोई दोष नहीं है।

---

†मूल अंग्रजी में

भारत उन सभी देशों का आभारी है जो उसकी सहायता कर रहे है। हम अपने करारों और वचन का पूरा सम्मान कर रहे है, हालांकि उनमें से कुछ भारत के आर्थिक हित में नहीं है। हम अपने दायित्वों को पवित्र मानते है। हम किसी भी देश को नाराज नहीं करना चाहते। हमने ऐसी कोई भी सहायता स्वीकार नहीं की है, जिसके पीछे कुछ शर्तें लगी हों किसी विशेष उद्देश्य से।

विदेशी मुद्रा के संकट से उबरने के लिये हमें तीन काम करने है :—सभी लोग जुट कर मेहनत करें; निर्यात संवर्धन को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाये; और विदेशी बाजारों में प्रतियोगिता करने की क्षमता पैदा की जाये। वैदेशिक बाजारों में सफल प्रतियोगिता करने के लिये हमें अपनी कृषीअ अर्थ-व्यवस्था को और ऊंचे स्तर पर ले जाना पड़ेगा। कृषीय वस्तुओं की कमी न होने पर उनके मूल्य भी ऊंचे नहीं जायेंगे। जरूरी है कि कृषीय उत्पादन की लागत घटाई जाये। यदि उत्पादन आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं होगा और जोतें दिन दिन छोटी होती जायेंगी तो फिर भूमि की उत्पादकता के अनुपात में कृषि पर निर्भर रहने वाले लोगों की संख्या कहीं अधिक बढ़ जायेगी। इस समस्या का हल कर लेने पर ही, निर्यात संवर्धन में सफलता मिल सकेगी।

चूंकि कृषि राज्य का विषय है, इसलिये राज्यों को इसके महत्व के प्रति आगाह कर देना चाहिये भारत सरकार और योजना आयोग इस दिशा में भरसक प्रयास कर रहे है।

हमें पूरी तौर पर समझ लेना चाहिये कि कृषीय अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये बिना, औद्योगीकरण में अधिक प्रगति नहीं की जा सकेगी।

अब एक ऐसी व्यवस्था आ गई हैं कि वित्त मन्त्री को बड़-बड़े उद्योगपतियों और भूतपूर्व शासकों के साथ सम्पर्क स्थापित करके उनमें राष्ट्रीय हितों के प्रति जागरुकता पैदा करने की कोशिश करनी चाहिये। ऐसे लोगों को विदेशों में जमा अपनी राशियां देश के हित के लिये समर्पित करनी चाहिये।

साथ ही, हमें अपने देश की व्यय-पद्धति की जांच करनी चाहिये। यह एक ऐसी अवस्था हैं कि हमें देश और व्यक्ति की आवश्यकताओं में एक संतुलन पैदा करने की कोशिश करनी चाहिये।

विदेशी सहायता पाने के लिये हम कभी इस देश के पास जाते हैं तो कभी उस देश के पास। लेकिन हमारे देशवासियों की जो ऋण राशि विदेशों में पड़ी है, उसमें से वे कुछ भी धन देश को देना नहीं चाहते हैं।

मेरा एक सुझाव यह भी है कि देश में जिस ढंग से व्यय होता है उसकी भी जांच होनी चाहिये। अब वह समय आ गया है जब हमें व्यक्तियों की आवश्यकताओं के विपरीत देश की आवश्यकताओं का संतुलन करना चाहिये और हमें इस रास्ते मे आने वाली सभी कठिनाइयों का सामना भी करना चाहिये।

†**श्री उमा नाथ** (पुदकोटई) : योजना और विकास की नीति काफी पिछड़ी है। प्रत्येक राज्य का कुछ न कुछ भाग पिछड़ा है। भूतपूर्व रियासत बहुत पिछड़ी हैं। और जब इन्हें सामान्य राज्यों का रूप दिया गया तो इनकी दशा और भी खराब हो गई। अब सरकार को चाहिये कि राज्यों के इन पिछड़े क्षेत्रों का पूरी तेजी के साथ विकास करे ताकि ये भी अन्य राज्यों के समान स्तर पर आ सकें। लेकिन हम देख रहे हैं कि सुधार करने की अपेक्षा इनकी अवहेलना ही हो रही है।

पुदकोट्टई और रामनाथपुरम् बहुत ही पिछड़े क्षेत्र हैं। वहां पर उद्योग की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। कृषि की दृष्टि से भी यह बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। इन दोनों क्षेत्रों के सम्बन्ध में कोई विशेष उपाय अपनाने चाहिये। कांवरी से एक नहर निकाल देनी चाहिये। छोटी सिंचाई

---

†मूल अंग्रजी में

[श्री उमा नाथ]

योजनाओं को भी लागू करना चाहिये। राज्य सरकारों का कहना है कि इन छोटी सिंचाई योजनाओं तथा इस नहर से ५ प्रतिशत की आय नहीं होगी। मेरा विचार है कि राज्य सरकार को ऐसा नहीं सोचना चाहिये। केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार का उद्देश्य तो बल्कि यह होना चाहिये कि इन पिछड़े क्षेत्रों का हर तरह से विकास हो। चालीस नम्बर से नीचे के सूत पर नये कर लगाने उचित नहीं हैं क्योंकि यह उन हथकरघों को दिया जाता है जो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

नगरों की श्रेणी ऊंची करने के प्रश्न पर समय समय पर विचार करते रहना चाहिये ताकि भत्तों के मामले में कर्मचारियों को हानि न सहनी पड़े। मद्रास को 'ए' श्रेणी का नगर घोषित किया जाना चाहिये।

केन्द्र और राज्यों के बीच वित्तीय सम्बन्धों के पुनरीक्षण के लिये एक उच्च शक्ति आयोग स्थापित करने की आवश्यकता है, क्योंकि योजनाओं के दौरान राज्यों के दायित्व तो बढ़ गये हैं किन्तु उनके संसाधन सीमित होते जा रहे हैं।

श्री बा० बर्मा :(खेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे वित्त मंत्रालय के अनुदानों पर बोलने का मौका प्रदान किया।

वित्त मंत्री जी हमारी कांग्रेचुलेशन्स के पात्र हैं। उन्होने ऐसा बजट पेश किया है जो कि सामयिक है और सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप है। लेकिन मैं उन से यह भी कहना चाहूंगा कि जहां उन्होने इस प्रकार का बजट यहां पर रखा है वहां उन को राज्यों के बारे में भी विशेष ध्यान देना चाहिये था। हमारे संविधान में राज्यों और केन्द्र के कार्यों का विभाजन किया गया है लेकिन उस के साथ राज्यों को अपना कार्यक्रम निभाने के लिये केन्द्र से वित्तीय सहायता की भी व्यवस्था है। मगर बजट को देखने से पता चलता है कि जितनी सहायता उन को मिलनी चाहिये उतनी यहां से नहीं मिल रही है।

तृतीय पंच वर्षीय योजना की सफलता केवल केन्द्रीय सरकार के ऊपर ही निर्भर नहीं है, बल्कि उस का बहुत बड़ा भार राज्यों के ऊपर भी आता है। वैसे तो हमारे संविधान में व्यवस्था है कि समय समय पर फाइनेन्स कमिशन की नियुक्ति की जाये और वह हर जगह जा कर पता लगाये कि किस राज्य में किस प्रकार के कार्य के लिये कितने धन की जरूरत है और जो पैसा एक्साइज ड्यूटी और इनकमटैक्स आदि से आता है केन्द्र सरकार उस से उस जरूरत को पूरा करे। तृतीय कमिशन जो सन् १९६० में बिठलाया गया था उस ने अपनी सिफारिश दी है। वह प्रत्येक राज्य में गया भी और वहां की आवश्यकताओं का अध्ययन किया। लेकिन उस की सिफारिशें जो हैं वे उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि राज्यों के लिये होनी चाहिय थीं। मैं उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ बात आप के सामने रखना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश एक बहुत ही पिछड़ा हुआ प्रदेश हैं जहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती है। खेती के ऊपर ही वहां का सारे का सारा ढांचा निर्भर है। वह हर प्रकार से पिछड़ा हुआ प्रदेश है। एजुकेशन में भी पिछड़ा हुआ है और वहां के लोगों के रहन सहन का स्तर भी बहुत नीचा है। मुझे सदन को यह बतलाने में दुःख हो रहा है कि जब कि हमारे राष्ट्र की पर कैपिटा इन्कम २९१.३ है तब हमारे प्रदेश की २५५.३ है, और यह समस्त देश को मिलाकर एक प्रकार से है। यदि हम देहातों में जाकर देखें तो वहां पर ऐसे लोग भी मिलेंगे जिन को मुश्किल से पट भर खाना मिलता है। कल एक सज्जन ने गाजीपुर वगैरह की बातें कही थीं। मैंने भी उस को काफी देखा है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि खाना वहां मिल जाता है लेकिन केवल पेट भरना ही नहीं, जीवन स्तर को उठाना भी आवश्यक

है। ऐसे भी जिले हैं जहां पर कि महीने में केवल १५ या २० रु० मासिक लोगों को मजदूरी के रूप में मिलते हैं। जिनको इस बारे में शक हो वे हमारे साथ चलें, हम उन को वहां ले जा कर दिखला सकते हैं। हां, यह जरूर है कि काम करने के वक्त उन को भले ही कुछ शरबत मिल जाये या इसी प्रकार से कुछ थोड़ा सा सामान खाने को मिल जाये दोपहर के वक्त में, लेकिन एक मजदूर के साथ उस की फैमिली भी होती है, जिस को अपने साथ ले कर उसे चलना पड़ता है। इस प्रकार से जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, वह बहुत ही पिछड़ा हुआ है, तीसरे फाइनेन्स कमिशन ने भी उसके साथ न्याय नहीं किया है। फाइनेन्स कमिशन की नियुक्ति जब दिसम्बर, १९६० में हुई थी तो उससे निम्नलिखित बातों पर अपनी सिफारिशें पेश करने के लिये कहा गया था :

(१) आय कर में राज्य का भाग।

(२) केन्द्रीय करों का आवंटन।

(३) राज्यों के राजस्व के सहायता अनुदान सम्बन्धी सिद्धांत।

(४) सम्पदा शुल्क के विभाजन और रेलवे द्वारा दी जाने वाली १२.५ करोड़ रुपये की निर्धारित राशि के बारे में सिद्धांत।

तृतीय फाइनेन्स कमिशन की यह सिफारिशें चार वर्ष तक लागू रहेंगी, यानी १ अप्रैल, १९६२ से लेकर सन् १९६६ तक। यू० पी० गवर्नमेंट ने भी एक मेमोरेन्डम दिया था उसे। लेकिन उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया और जो भी रिकमेंडेशन्स उस ने की हैं यदि उन को अच्छी प्रकार से देखा जाय तो वे यू० पी० के लिये लाभजनक नहीं हैं ? मेरा ख्याल है कि जिस वक्त यह कमिशन यू० पी० में गया था उस वक्त उस के मस्तिष्क में नहीं मालूम कैसे यह चीज आ गई कि यू० पी० की अर्थ-व्यवस्था बहुत अच्छी है, और उसे अधिक अनुदान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहां तक अखबारों से ज्ञात हुआ था और वहां के मंत्रियों से जो बातचीत हुई थी उससे यह परिणाम निकलता मालूम हो रहा था कि जो भी सहायता य० पी० को मिल रही है वह किसी भी तरह से कम नहीं की जायेगी, लेकिन जब सिफारिशें पेश हुईं तो उस से यह ज्ञात हुआ कि यू० पी० का कोई विशेष लाभ उस से होने नहीं जा रहा है। बल्कि जो कुछ यू० पी० को मिल रहा है उस में भी कटौती होने जा रही है। सन् १९६१–६२ में यू० पी० को थर्ड फाइनेन्स कमिशन की सिफारिशों के आधार पर जो सहायता मिलने जा रही थी वह ३१०३ लाख थी। इनकमटैक्स से १५२६ लाख, एक्साइज ड्यूटी ऐडीशनल से ६८१ लाख, एस्टेट ड्यूटी से ४९ लाख और रेलवे फेअर्स से २३४ लाख। इस के अलावा भी एक अनुदान मिला सेंट्रल गवर्नमेंट से ३४० लाख रु० का ताकि जो योजनायें वहां पर चल रह हैं उन के लिये पर्याप्त धन उत्तर प्रदेश के पास रहे और वह उन को पूरा कर सके। इस प्रकार से सन् १९६१–६२ में कुल मिला कर यहां से उत्तर प्रदेश को ३४४३ लाख रुपया मिला। लेकिन यह दुःख की बात है कि तीसरी फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर सन् १९६२–६३ में हमको केवल ३०७१ लाख ही मिलने जा रहा है। यानी हमको सन् १९६१–६२ में से ३७२ लाख कम मिलने जा रहा है, और अगर इसको ४ से गुणा करें तो पता चलेगा कि चार साल में उत्तर प्रदेश को १५ करोड़ का घाटा हो जायेगा।

फाइनेन्स कमिशन की रिपोर्ट के पैरा २८ और ३० को देखने से मालूम होता है कि जो जो स्टेट्स को इनकम टैक्स से एलाटमेंट हुआ है उसको ६० प्रतिशत से बढ़ा कर ६६ प्रतिशत कर दिया है। लेकिन जो यह ६ सही दो बटे तीन प्रतिशत की वृद्धि की गयी है यह काफी नहीं है। इसका परिणाम यह होगा कि जो हमारे राज्य को इनकमटैक्स का हिस्सा मिलेगा वह १८६६ लाख के बजाये १२९३ लाख मिलेगा। इस प्रकार हमारे राज्य को ५७३ लाख का घाटा होता है।

जो डिवीजिविल पूल केन्द्रीय सरकार का इनकनम टैक्स के कलेक्शन के आधार पर बनता है उसमें न मालूम क्यों सन् १९५८–५९ से सन् १९६१–६२ तक बराबर कमी होती चली जा रही है

[श्री बा० वर्मा]

जब कि कारपोरेशन टैक्स बढ़ता चला जा रहा है। मैं आपके सामने कुछ फिगर पेश करता हूं जिनसे पता चलेगा कि किस प्रकार कारपोरेशन टैक्स बढ़ता चला जा रहा है और डिवीजिविल पूल कम होता चला जा रहा है। वे फिगर इस प्रकार हैं :

साल	कारपोरेशन टैक्स	डिवीजिबिल पूल
१९५६–५७ . . .	५०.८ करोड़	१४५.२ करोड़
१९५७–५८ . . .	५६.४ करोड़	१५६.९ करोड़
१९५८–५९ . . .	५४.७ करोड़	१७३.२ करोड़
१९५९–६० . . .	११६.१ करोड़	१२९ करोड़
१९६०–६१ . . .	१३५ करोड़	१००.५ करोड़

तो आप देखें कि एक तरफ कारपोरेशन टैक्स बढ़ता जाता है और दूसरी तरफ डिवीजिविल पूल कम होता चला जा रहा है। यह ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आती कि केन्द्रीय सरकार सारा का सारा कारपोरेशन टैक्स लेले और राज्यों को न दिया जाये। इससे तो काम चलने वाला नहीं है। बहुत सी योजनायें राज्यों में चल रही हैं और उनके लिये पैसे की जरूरत है। जब तक राज्यों को यहां से पैसा नहीं दिया जाता वहां कोई काम विशेष रूप से नहीं हो पाता, और यदि राज्यों में उन्नति नहीं होती है तो राष्ट्र उन्नतिशील नहीं कहा जा सकता। मेरा ख्याल है कि तीसरी योजना तभी कामयाब कही जा सकती है जब कि राज्यों में भी सामान्य उन्नति होती चले।

डा० मा० श्री अणे (नागपुर) : केन्द्रीय सरकार जो पैसा खर्च करती है वह भी तो राज्यों के लिये खर्च करती है।

श्री बा० वर्मा : लेकिन वह इनडाइरेक्ट रूप में से खर्च होता है। राज्यों में तो राज्य सरकार ही ठीक प्रकार से खर्च कर सकती है क्योंकि उसको मालूम है कि किस जगह उन्नति नहीं हुई है और किस जगह पर रूपया लगाया जाये। केन्द्र को उसका उतना पता नहीं होता। मैं मानता हूं कि केन्द्रीय सरकार भी अपनी ही सरकार है, कोई दूसरी सरकार नहीं है और जो पैसा वह खर्च करती है वह हमारे ऊपर खर्च होता है लेकिन वह इनडाइरेक्ट रूप में खर्च होता है।

इनकम टैक्स के विभाजन के बारे में मुझे यहां पर कुछ कहना है। इनकम टैक्स के विभाजन के लिये सैकिंड फाइनेन्स कमीशन ने तै किया था कि दस प्रतिशत तो कलेक्शन के आधार पर और ९० प्रतिशत जन संख्या के आधार पर होना चाहिये। लेकिन तीसरी फाइनेन्स कमीशन ने इसको भी पलट दिया और जन संख्या के आधार पर केवल ८० प्रतिशत कर दिया। जो भी हमारी योजनायें हैं वे लोगों के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिये हैं। यदि हम वह नहीं कर पाते तो काम नहीं चल पाता और इनकम टैक्स के विभाजन में जब तक जनसंख्या का आधार नहीं लिया जायेगा तब तक राज्यों के अन्दर विशेष उन्नति नहीं हो सकती।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका समय हो गया।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : यद्यपि दिखावा कुछ और किया जाता है परन्तु यह है कि विदेशी सहायता के समस्त प्रश्न को कुछ राजनैतिक विचारों के कारण दूषित किया जाता है। आशा है कि वित्त मंत्री आर्थिक तंगी के कारण देश को अन्य देशों की दीर्घकालीन आवश्यकताओं के अनुसार

†मूल अंग्रेजी में

झुकने नहीं देंगे । हमारे देश की नीति के कुछ लक्ष्य हैं । हमें वित्तीय आवश्यकताओं के लिये अपने देश के ध्येयों को नहीं छोड़ना चाहिये ।

हमारे देश में आर्थिक संकट कोई नई बात नहीं है । यह बार बार होता है । इसके सम्बन्ध में हमें पहले तो यह मानना चाहिये कि हमें बहुत से समय के लिये विदेश संसाधनों की आवश्यकता रहेगी। यदि हम आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं तो देश की औद्योगिक अर्थ व्यवस्था का निर्माण अधिकतम गति से किया जाना चाहिये । इस के लिये हमें कुछ समय तक पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर निर्भर रहना होगा तथा उस में कोई भी कमी नहीं करनी चाहिये। अपनी अर्थ-व्यवस्था को दो श्रेणियों, अर्थात् आधारभूत और भारी उद्योगों, में विभाजित करने के बजाय तीन श्रेणियों अर्थात् आधारभूत उद्योगों, निर्यात उद्योगों और अन्य उद्योगों में विभाजित करना चाहिये ।

क्या विदेशी मुद्रा की स्थिति एक दम खराब हो जाती है ? क्या इस सम्बन्ध में संरक्षण के लिये कदम नहीं उठाये जा सकते । मेरे विचार में योजना आयोग इस काम में असफल रहा है । जैसा कि प्रो० गाडगिल ने कहा है, सिद्धान्तों के निर्माण को छोड़ कर वह अन्य सभी बातों में असफल रहा है । विदेशी मुद्रा के संकट का सामना करने के लिये किये जा रहे कुछ काम जैसे विदेशी यात्रा कम करना भले ही ठीक हों, परन्तु वे बहुत लाभकारी नहीं होंगे । यह रोग बहुत गहराई तक पहुंचा हुआ है ।

मुदालियार समिति ने निर्यात व्यापारियों को राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के आवश्यक हितों का ध्यान किये बिना समस्त लाभ और विशेषाधिकार दे दिये तथा उन को कोई सामाजिक अथवा राष्ट्रीय दायित्व भी नहीं सौंपे गये ।

हमारी राष्ट्रीय और व्यक्तिगत आय में अधिक वृद्धि नहीं हुई है । रहन के स्तर में विशेष सुधार नहीं हुआ है ।

हमारे देश के किसानों की हालत दूसरे देशों के किसानों के मुकाबले में बहुत खराब है । यूरोप और एशिया के कई निर्धन देशों से भी अवस्था खराब है ।

यदि हम उपभोग के दृष्टिकोण से देखें तो खेद होता है कि इस देश में १२ वर्ष के सुनियोजित विकास के बाद भी देश में पहले जैसी ही स्थिति है ।

स्वतंत्रता और सुनियोजित अर्थ-व्यवस्था का मुख्य लाभ समाज के एक भाग को ही हुआ है । हम जो उत्पादन कर रहे हैं उसे वह छोटा सा भाग धीरे धीरे हड़पता जा रहा है । हमें किसी एक भाग को प्रोत्साहन देने वाली नीति नहीं अपनानी चाहिये वरन् समस्त समाज का स्तर ऊंचा उठाया जाना चाहिये ।

जहां तक योजना आयोग के गठन का सम्बन्ध है उस में नये रक्त का संचार किया जाना चाहिये और उचित व्यक्तियों को योजना आयोग का सदस्य बनाया जाना चाहिये । उसे अति-व्यस्कता प्राप्त अतिरिक्त कर्मचारियों और अनावश्यक राजनैतिक नेताओं की भर्ती का क्षेत्र नहीं बनाना चाहिये । इस प्रकार संकट का मुकाबला करने के लिये हम अधिकतर योग्य होंगे ।

†**श्री मणिपंगाडन** (कोट्टयम) : हमें विदेशी मुद्रा का संकट है । आशा है कि यह कठिनाई दूर हो जायेगी । तृतीय योजना में धन सम्बन्धी ध्येयों की पूर्ति इतनी महत्वपूर्ण नहीं है । कार्य-लक्ष्यों की पूर्ति होनी चाहिये ।

---

†मुल अंग्रेजी में

[श्री मणियंगाडन]

औद्योगीकरण विकास के कार्यक्रम का बहुत महत्वपूर्ण भाग होना चाहिये । देश की औद्योगिक कमजोरी को दूर करने के लिये भारी और आधुनिक उद्योग स्थापित करने चाहियें ।

भारी उद्योगों के लिये स्थान चुनने के बारे में मुख्यतः इस बात का विचार करना चाहिये कि प्रादेशिक असमानता को दूर किया जाय । केवल यही बात विचाराधीन नहीं होनी चाहिये कि किसी परियोजना में बचत कहां होगी । देश में नई परियोजनाओं पर विचार करते समय केरल राज्य की पिछड़ी हुई स्थिति का ध्यान रखना चाहिये ।

राज्यों द्वारा कराधान के नये उपायों द्वारा जब अतिरिक्त आय के लिये लक्ष्य निर्धारित किये जायें तो सम्बन्धित क्षेत्रों की क्षमता पर ध्यान देना चाहिये । किसी विशेष क्षेत्र में लोगों पर भार डाल देना देश की भलाई के हित में नहीं है ।

जो राज्यों को ऋण दिये जाते हैं, वे तीन प्रकार के होने चाहियें—उत्पादक, अंशतः उत्पादक और अनोत्पादक । जो निधियां अनोत्पादक परियोजनाओं के लिये दी जाती हैं वे राज्यों को अनुदानों के रूप में दी जानी चाहियें न कि ऋण के रूप में । समुद्र द्वारा भारी कटाव से तट को बचाने के लिये केन्द्र को केरल को अनुदानों के रूप में काफी निधि देनी चाहिये । अंशतः उत्पादक परियोजनाओं के लिये दिये जाने वाले ऋण ब्याज रहित होने चाहियें और अन्य ऋणों पर ब्याज लगाया जा सकता है ।

सरकार को त्रावनकोर राज्य के कतिपय भूतपूर्व कर्मचारियों की, जो अब उत्पादन शुल्क विभाग में हैं और जिन के वेतन उन की पहली सेवा के बारे में कुछ गड़बड़ क कारण कम कर दिये गये हैं, कठिनाइयों पर विचार करना चाहिये : ।

उत्पादन शुल्क विभाग के श्रेणी ४ के कर्मचारियों को काम क निर्धारित समय के बाद काम क लिये दी जाने वाली भत्ते की दर बहुत कम है और अधिक कर देनी चाहिये । उन को पदोन्नति के अवसर भी मिलने चाहियें ।

†**श्री बागड़ी** (हिसार) : डिप्टी स्पीकर साहब, यह समाजवादी समाज को कायम करने वाली सरकार की देन हमारे सामने है । मैं तो कहा करता हूं कि यह सरकार एक मंत्री और ५१ संतरी की सरकार है । यह समाजवाद की तरफ कदम बढ़ा रही है । समाजवाद कितना टेढ़ा है और वह कितना सुन्दर है यह इसी से पता चल जायेगा कि हमारी आमदनी का औसत निकाला जाय तो जहां एक तरफ एक है तो दूसरी तरफ २१० है और यह आप के अपने आंकड़ों के अनुसार है । तो यह आप के समाजवाद की देन है कि जो हिन्दुस्तान की जनता साढ़े चार लाख गांवों में रहती है उस को कुछ नहीं दिया जाता और दूसरे लोगों को सब कुछ दिया जाता है । १५ साल का तजरबा तो हम को बतलाता है कि गरीब लोगों को खाने पीने की कितनी तकलीफ है और वे अभी भी भूखे हैं । अगर हम इस तरफ देखते हैं तो आप के सारे समाजवाद लाने के आंकड़े थोथे बन जाते हैं । आप देखें कि जिन्दगी के लिये २८०० हरारे की जरूरत है लेकिन जो लोग हमारे गांवों में रहते हैं उनको जो खुराक मिलती है वह १६०० से ले कर २२०० हरारे तक की होती है यानी उन को ६०० हरारे की खुराक की कमी रहती है, जिस का नतीजा यह होता है कि उन की औसत उम्र २७, २८ या तीस साल हो रही है । इस औसत का अगर विदेशों के लोगों की औसत आयु से मुकाबला किया जाये तब तो बड़ा फर्क मालूम होगा । तो इस देश के गांवों के लोग भूखे हैं, यह सरकार की देन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा): औसत आयु तो ४१.७ प्रतिशत बढ़ी है।

श्री बागड़ी : ये तो आप के आंकड़े हैं । हो सकता है कि मंत्रियों की आयु इस से भी अधिक बढ़ी हो, लेकिन मैं तो गरीब लोगों की बात कह रहा हूं जिन को कि वोटर भी नहीं बनाया गया है और जो खाना बदोश फिरते हैं और पता नहीं कि वे कहां रहते हैं ।

तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि जंग के पहले बिड़ला साहब के पास ४५ करोड़ का सरमाया था और अब इस वक्त उन के पास ढाई अरब का सरमाया है । यह समाजवाद बढ़ता जा रहा है ।

हमारे देश के अन्दर सब से ज्यादा समाजवाद का ढिंढोरा हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू पीटते हैं । वह सब से बड़े समाजवादी हैं जिन का रहन सहन देश में किसी बड़े से बड़े धनाड्य से कम नहीं होगा । और दूसरी तरफ इस देश के गरीब हैं जिन को दो वक्त छोड़ एक वक्त भी पेट भर रोटी नहीं मिलती । एक कांग्रेस सदस्य ने कल परसों सदन में बयान दिया था जो इसी प्रकार का था और अखबारों में भी यह चीज निकली थी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इस चीज को सुनते सुनते घबरा गये हैं कि लोगों को आधे पेट रोटी भी नहीं मिलती । तो इतनी हम समाजवाद की तरफ तरक्की कर चुके हैं ।

हमारे वित्त मंत्री साहब हिसाब किताब में बड़े होशियार हैं और अपने हलके के पूंजीपतियों को खुश करने के लिये उन्हों ने उन पर ६० करोड़ रुपये के इनकम टैक्स के बकाया को बटटे खाते डाल दिया । जब बट्टे खाते डाल दिया तो हिसाब किताब की बात ही कहां रही । जब इस देश के गरीब आदमी से छीनने का सवाल आता है तो किस दानिशमन्दी से और चालाकी से उन लोगों से एक एक पैसा छीन लिया जाता है और दूसरी तरफ ६० करोड़ इनकम टैक्स का बकाया बट्टे खाते डाल दिया जाता है । कोई पूछने वाला नहीं है । इस प्रकार समाजवाद का निर्माण होता चला जा रहा है । पता नहीं यह समाजवाद इस देश के अन्दर क्या गुल खिलायगा ।

दूसरी बात मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूकि आप गांवों के अन्दर प्लानिंग के जरिये से तरक्की करना चाहते हैं । लेकिन आप देखें कि गांवों के अन्दर प्लानिंग की क्या देन है । कोई एक आध नहर निकल गई हो तो पता नहीं, पर प्लानिंग के नाम पर शहर से दो चार छोकरे छोकरियों को ले जा कर वहां नचाया जाता है और अफसरों को दिखाया जाता है और वहां इन्द्र पुरी आश्रम खोल दिया जाता है । क्या इस से देश के गांवों का कल्याण होगा ? गांवों का इस से क्या होने वाला है । मैं पूछता हूं कि गांवों के अन्दर कौन से नये धंधे खुले हैं जिन से गांवों में रहने वाले लोगों को रोजगार मिल सके या उन का कल्याण हो सके । यह सही है कि रोज नये मुहकमे खुल जाते हैं और अफसर बढ़ जाते हैं जिस का कोई हिसाब नहीं है । सारे देश के लोगों से जो पैसा टैक्स का लिया जाता है उस से नये मुहकमे खोले जा रहे हैं । हमारे मिनिस्टर साहब रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं तो तीन नये मुहकमे खोल देते हैं । इस का कारण क्या है ? इस का कारण यह है कि जिन लोगों ने उन को वोट दे कर पार्लियामेंट में भेजा है उन के लड़के पढ़ लिख कर तैयार हो जाते हैं तो उन को काम देने का सवाल सामने आता है । इन लोगों को करने के लिये नये मुहकमे खोल दिये जाते हैं ताकि उन में सौ पचास ऐसे लोगों को लगाया जा सके । तो यह काम उन लोगों को खुश करने के लिये किया जाता है जिन्हों ने वोट दिया है और इस तरह से अपनी गद्दी को कायम रखने की कोशिश की जाती है । जो मुहकमे इस प्रकार खोले जाते हैं वे जो काम करते हैं वह आप के सामने है ।

[श्री बागड़ी]

इस के बाद मैं एक और मिसाल आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। चार पांच साल से सदन में और बाहर बड़ा शोर सुन रहे है कि पांच हजार में सस्ती कारें बनेंगी। कहा जाता हैं कि वह कार आज आयी, कल आयी। लेकिन पता नहीं वह कार कहां हैं। और वह आ कैसे सकती हैं जब कि इस देश में ऐसा समाजवाद चलता हैं कि एक व्यक्ति को खुश रखने को कोशिश हो और वह व्यक्ति हिन्दुस्तान का एक बड़ा सरमायादार हो। बिड़ला साहब कलकत्ता में एक कार बनाते है। मैंने उस कार का नाम गुड़िया कार रखा हैं। यह गुड़िया बीबी जिसकी चिमट जाती हैं, न वह आदमी उसे छोड़ सकता हैं और न वह गुड़िया बीबी उसको छोड़ती हैं। अब यह कार के काम में कितना पैसा कमाते है यह इसी से जाहिर हैं कि जो शेयर साढ़े तीन रुपये में बिकता था अब आजकल उस की डबल कीमत हो रही हैं। उनके शेयर का भाव काफी ऊंचा चढ़ गया हैं। जाहिर है कि अगर ५००० रुपये की सस्ती कार आ जाये और उसके मैनुफैक्चर के लिए कोई कारखाना लग जाय तो फिर बिड़ला साहब की यह ऐमबैसेडर कार कैसे चल पाती। यह दुर्भाग्य का विषय हैं कि आजकल शासन द्वारा देश की जनता की भलाई करने के बजाय देश के पूंजीपतियों का भला करने की ओर ध्यान दिया जाता हैं। आज देश में नैतिकता में गिरावट आ रही हैं और विशेष तौर से शासक वर्ग में यह गिरावट इस कदर आ गई हैं कि समाजवाद के कल्याण की बात तो करना दूर रहा जिस बापू के नाम पर यह चुनाव में जीत कर आये है उसकी शहीदी जगह अर्थात् बिड़ला हाउस को ऐक्वायर नहीं कर सके है क्योंकि ऐसा करने से बिड़ला साहब नाराज हो जायेंगे। सेठ बिड़ला अपने बिड़ला हाउस को दे सकते है अगर प्राइम मिनिस्टर वहां पर रहना चाहें लेकिन गांधी जी का शहीदी स्मारक बनाने के लिए वह सरकार को नहीं दे सकते है। उस के पीछे भी एक कारण हैं। विदेश से अगर कोई बड़े लोग सरमायादार लोग आते है और वह उस स्थान को देखना चाहते है जहां कि गांधी जी शहीद हुए तो वह बिड़ला साहब के पास जाते है और बिड़ला साहब उनकी खूब चायपानी आदि से आवभगत करके ठहराते है और उन से गहरा नाता जोड़ते है और मिनिस्टर साहब विदेशों में जाकर मुनाफा कमाते है। अब पिछली दफे स्टील इंडस्ट्री का एक कारखाना खुलना था और बिड़ला साहब उसकी सौदेबाजी करने के लिए अमरीका गये हुए थे। यहीं के इस सदन् के एक माननीय मेम्बर शायद अब तो वह मिनिस्टर होंगे उस वक्त वह मिनिस्टर नहीं थे उन्होंने उस वक्त कैबिनेट मीटिंग के अन्दर जब देखा कि उसके लिए इजाजत नहीं हो रही हैं तो अमरीका में उन को लिखा कि साहब आपको इजाजत नहीं हो रही हैं। उस का बड़ा शोर शराबा चला था। मुझे बड़े अफसोस के साथ इस चीज को कहना पड़ता हैं कि इस देश के अन्दर जो आंकड़े दिये जाते है और जैसा तौर तरीका शासन द्वारा अपनाया जाता हैं वह वास्तव में इस देश के गरीब और मजलूम मजदूर तबके की हालत को बेहतर बनाने के लिए नहीं होता हैं, वह इस देश में सही समाजवाद के निर्माण का न होकर दरअसल समाजवाद के विपरीत जाने वाला हैं। अगर आप वाकई इस देश के गरीब अवाम को ऊपर उठाना चाहते है उनकी हालत को बेहतर बनाना चाहते है तो आपको उनके अन्दर जाना पड़ेगा और खालीमूली जबान से उनका हित करने की बात न कह कर गरीबों के हित की बात करनी पड़ेगी और उसके लिए अमली कदम उठाना पड़ेगा। ऐसा करके ही हम इस देश में सच्चा समाजवाद ला सकते है।

अब ऐक्सपैंडीचर टैक्स तो घटा दिया और दूसरी ओर बीड़ी, चाय और तम्बाकू आदि पर टैक्स और बढ़ा दिया, क्या इस देश में समाजवाद की स्थापना आप इस तौर पर करना चाहते है? मैं सरकार को साफ तौर पर बतला देना चाहता हूं कि यह तरीका देश में समाजवाद कायम करने का नहीं हैं। समाजवाद इस तरीके से देश में कायम नहीं हो सकेगा। इन आंकड़ों के बहकावे में आप ने इस देश की गरीब व भोली जनता को पिछले १५ साल तक उलझाये रखा है, चार पांच

साल तक और भी उन गरीबों को आप बहकावे में रख सकते है लेकिन याद रहे कि हमेशा आप इस में कामयाब नहीं हो सकेंगे। देश के इन गरीब लोगों के दिमाग में अगर सही बात आ गई और उन्होंने हकीकत को समझ लिया और आपकी चालाकियों को समझ गये तो ऐसा भी हो सकता हैं कि इस देश के अन्दर बगावत हो, इस देश के अन्दर इनकिलाब हो और फिर जनता अपनी मांगों को मनवाने के लिए आगे बढ़े। अब भी वक्त हैं जब आप चेत जांये और गरीब लोगों की हालत बेहतर करने के लिए और उनको कामकाज देने के लिए देश में छोटे छोटे उद्योग धंधे कायम करें। लेकिन ऐसा तो करते नहीं और बात समाजवाद की जब आप करते है तो मुझे तो गुस्सा और घिन आती हैं।

अब यहां की एक छोटी सी बात हैं। यहां पार्लियामेंट हाउस के अन्दर पार्लियामेंट के मेम्बरों को घी के डिब्बे मिलते है। अब वह घी का डिब्बा चपड़ासी को पकड़ा दिया जाता हैं, कोठी पहुंचने तक तो वह डिब्बा चपड़ासी के हाथ में रहता हैं लेकिन कोठी में जाते ही वह उसके हाथ से छीन लिया जाता हैं। अब बेचारे चपड़ासी और क्लर्क्स कहते है कि हम भी जब पैसा देते है तो हमें भी क्यों नहीं मिलता हैं। लेकिन जैसा मैं ने कहा यह सारा घी केवल पार्लियामेंट के मेम्बरों के लिए हैं। क्या इसी तरह हम देश में समाजवाद कायम करेंगे ? हम अपने पार्लियामेंट के ऐरिया तक में तो गरीब चपड़ासी और क्लर्क्स को जोकि पैसा देकर घी लेना चाहते है उनको घी की सप्लाई नहीं कर सकते तो फिर समूचे देश में समाजवाद कायम करने की बात कैसे समझ में आ सकती हैं ? मैं चाहूंगा कि सरकार समय रहते चेते और गरीबों का कल्याण करने के लिए अमली कदम उठाये और यह बिड़ला, टाटा और डालमिया आदि की पूजा करना बन्द करे। अब कांग्रेसी सज्जनों का वह पुराना मंतक कि पबलिक में तो सब के सामने गांधी जी का रघुपति राघव राजाराम का भजन गाया जाये और जब प्राइवेट में यह सज्जन बैठते है तो वहां पर यह बिड़ला, टाटा तेरे नाम, रिश्वत परमिट दे भगवान् इनके होंठों पर रहता हैं, यह पुराना मंतक ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं हैं। आप अपने इस मंतक को बन्द कीजिये तभी जा कर इस देश का कल्याण हो सकेगा।

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)** : प्रायः योजना आयोग का उल्लेख हुआ हैं। अतः सब से पूर्व मैं उसी सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। एक बात आपको समझ लेनी चाहिए कि योजना आयोग का स्थान कितना ही महत्वपूर्ण क्यों न हो वास्तव में वह भारत सरकार का एक सलाहकार मंडल हैं। इसका कोई संवैधानिक अथवा संविहित प्राधिकार नहीं हैं। इसको किसी बात को जब मंत्रिमंडल स्वीकार करता हैं तो ही उसे अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त होती हैं। बात समझने की यह हैं कि यह केन्द्रीय प्रशासन विभाग और राज्यों का दायित्व हैं कि योजना में सम्मिलित कार्यक्रमों और परियोजनाओं को समय पर कार्यान्वित करने के लिए उनका पूरा परीक्षण करें। योजना आयोग के कार्य के बारें में तो १९५० से भी पूर्व यह निर्धारित कर दिया गया था कि उसका कार्य तो प्रगति का एक आम ब्यौरा प्राप्त करना हैं। यह सब इसलिए मुझे बताना पड़ा, क्योंकि कुछ माननीय सदस्यों ने आयोग का उल्लेख करते हुए कहा कि इसको कार्यान्वित करने के साथ कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिए।

योजना सम्बन्धी कुछ परियोजनाओं के सम्बन्ध में मैं कुछ कहूंगा। सब से पूर्व डा० क० ल० राव द्वारा प्रस्तुत किये हुए आंकड़ों का उल्लेख करूंगा। उनका कहना हैं कि ३५ लाख नौकरी में है और ३५ लाख उद्योगों में कार्य कर रहे है। और कुछ लाख लोग इधर उधर के कामों में लगे हुए हैं। १५० लाख का उनका अनुमान हैं। १४ करोड़ अच्छे भले लोगों में से केवल इतने ही काम पर लगे हुए है। उनके इस कथन से लगता यह हैं कि शेष सब बेकार होंगे। परन्तु ऐसी बात नहीं हैं।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री चे० रा० पट्टाभिरमन]

काफी लोग अपने अपने व्यापारों और कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। इनकी संख्या काफी हैं और उन्हें जीवन के सभी साधन उपलब्ध हैं।

ग्रामीण जन शक्ति के प्रयोग के लिये हमने देहाती क्षेत्रों में कई तरह की परियोजनायें चालू की हैं। सामुदायिक विकास खंडों के कार्यक्रम के अन्तर्गत उन लोगों को लाते हैं जिनके काम के दिन १०० से १५० तक होते हैं। कृषि श्रमिकों के कई दिन बिलकुल बेकार होते हैं, उन के पास कोई काम नहीं होता प्रथम और द्वितीय क्रम मे विभिन्न राज्यों के लिये २२७ अग्रिम परियोजनायें रखी गयी हैं। इस सब पर १५० करोड़ खर्च आयेगा, और इससे योजना के अन्तिम वर्ष तक २५ लाख लोगों को रोजगार मिल जायेगा। इन परियोजनाओं में आंध्र प्रदेश मे प्रथम क्रम में ३ और द्वितीय में १५ रखी गई हैं। आन्ध्र प्रदेश के सामुदायिक विकास खंडों के अन्तर्गत चल रही अग्रिम परियोजनाओं में बहुत संख्या में लोगों को रोजगार मिला हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि राज्यों द्वारा निर्धारित लक्ष्य पूरे करने के लिये चालू वर्ष में २०० परियोजनायें स्वीकृत की गई हैं। अगली सर्दियों तक ६०० से ७०० और परियोजनायें राज्यों में आरम्भ की जायेगी। सर्दियां समाप्त होते ही ८०० और और परियोजनाओं को देश भर में लागू किया जायेगा। इससे उन लोगों को काफी रोजगार जिन्हें कृषि सीजन के समाप्त होने पर बेकारी का मुहं देखा पड़ता है। योजना सम्बन्धी परियोजनाओं का व्यय बढ़ा है। यह बात साधारण नहीं अतः हम इस बात का पूरी छानबीन कर रहे हैं।

मैं यह भी सदन को बताना चाहता हुं कि सरकार प्रादेशिक आधार पर बिजली पैदा करने का विचार कर रही है ताकि समस्त प्रदेश के लाभ के लिये सर्वोधिक कम खर्च वाली परियोजनायें आरम्भ की जा सकें। हमारी नीति परिवहन पर भार कम करने और निम्न श्रेणी के कोयले को काम में लाने के लिये कोयला खानों और कोयला धोने के कारखानों के निकट तापीय बिजली पैदा करने की है।

अब यह प्रश्न है कि योजाओं का आम जनता पर क्या प्रभाव है। उसके लिये निवेदन है कि सामूहिक तौर पर हमारी राष्ट्रीय आय में १८ प्रतिशत की वृद्धि प्रथम योजना में हूई। २१ प्रतिशत यह दूसरी योजना मे बढ़ गई। इस काल में हमारी आबादी भी अनुमान से अधिक बढ़ गई। इन योजना कालों में प्रति व्यक्ति आय भी ८ से ९ प्रतिशत तक बढ़ी। १९५०–५१ से १९६०–६१ तक, दस वर्ष में खाद्यान्नों का उत्पादन ५२० लाख टन से बढ़ कर ७९० लाख टन हो गया। अर्थात् वृद्धि ५० प्रतिशत से अधिक हुई। और मेरे विचार में यह बात सब को मालूम है। दूसरी चीजों का उत्पादन भी बढ़ा है। १९५०-५१ से १९५५–५६ तक मूंगफली का उत्पादन ११ प्रतिशत बढ़ा और अगले पांच वर्षों में यह बढ़ कर २७ प्रतिशत तक पहुंच गया। १९५१–१९६१ के बीच चीनी का उत्पादन दुगना हो गया। मिलों के कपड़े का उत्पादन इन्हीं दस वर्षों में १७ प्रतिशत बढ़ गया। फिर हाथकरघा कपड़ों का भी उत्पादन हूआ। इसकी वृद्धि ७,४०० लाख से १९,००० लाख गज हो गयी। इस तरह खाद्यान्नों, तिलहन, चीनी, गुड़, सूती कपड़े हथकरघे के कपड़े आदि की बहुत वृद्धि हुई है। अतिरिक्त सम्भरण का अधिक भाग मध्य तथा निम्न आय वर्गों में खपत हुआ है।

सरकार द्वारा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, समाज कल्याण, पिछड़े वर्गों का कल्याण और श्रम कल्याण इत्यादि समाज सेवाओं पर जो खर्च किया जाता था वह भी ६४ करोड़ रुपये से बढ़ कर २४० करोड़ रुपये हो गया है। यह १९५१–५२ से ले कर दूसरी योजना के अन्तिम वर्ष तक के काल में हुआ। इन लोगों को प्रति व्यक्ति के हिसाब से अधिक लाभ हूआ। इस बात पर

मैं माननीय सदस्यों का अधिक ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हुं। दूसरी योजना के अन्त तक लगभग सभी क्षेत्रों में सरकारी उपक्रमों की काफी भरमार हो गई। गत दस वर्षों में लगभग उद्योगों के प्रत्येक क्षेत्र में सरकारी उपक्रमों का बहुत तीव्र विकास हुआ है। यह बात कोई तुरन्त तो हो नहीं गई। आखिर यह सब योजना का ही तो परिणाम है। अतः हम योजनाओं पर गर्व कर ही सकते हैं।

१९६०–६१ के बाद भारतीय अर्थ व्यवस्था में सरकारी उपक्रमों की क्षमता उत्तरोत्तर बढ़ रही है। तीसरी योजना में यह क्षमता अभी और अधिक बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त मद्रास और केरल इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों का उल्लेख हुआ है। केरल में औसतन लागत ३.८ प्रतिशत से ४.४ प्रतिशत बढ़ी है। दूसरे शिपयार्ड पर २० करोड़ के व्यय का अनुमान है। उर्वरक और रसायनों पर ८ करोड़ और फोटो कैमिकल संयन्त्रण पर ६.३० करोड़ रुपये का अनुमान है। राज्यों की परियोजनाओं में केरल साबुन संस्था और सरकारी तेल का कारखाना विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस तरह अब सारी सूची देने में तो खामखां समय लग जायेगा।

औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि तीन इस्पात संयंत्रों का और आगे विस्तार किया जा रहा है। बंकारों में नया संयंत्र लगाया जा रहा है। तीसरी योजना में कुल मिला कर इस दिशा में २५७० रुपये का विनियोजन हो जायेगा। यह विनियोजन १५२० करीड़ रु० सरकारी क्षेत्र में और १०५० करोड़ गैर - सरकारी क्षेत्र में है। गैर-सरकारी क्षेत्र का कुल विनियोजन १०, ४०० करोड़ रुपये का है।

कहा गया है कि सरकारी क्षेत्रों के विभिन्न उपक्रमों से कुछ लाभ नहीं हो रहा और वह राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में एक भार से बने हुये हैं। मेरे पास सूची है जिसमें ८.६ प्रतिशत, ९ प्रतिशत, १० प्रतिशत और २० प्रतिशत लाभ दिखाया गया है। अखबारी कागजों की मिल का लाभ सब से कम है और वह भी ५.२ प्रतिशत है। ऐसे भी उपक्रम हैं, जैसे रूरकेला इत्यादि उनसे कुछ लाभ नहीं मिल रहा। परन्तु ऐसे उपक्रमों में जहां सफलता की आशा ५० वर्ष तक नहीं हो सकती उसके लिये ५ ही वर्ष में आशा करने लगना बुद्धिमत्ता नहीं है इस्पात संयंत्रों से अभी कुछ भी लाभ नहीं हो रहा है। मद्रास राज्य में अनेक औद्योगिक परियोजनायें प्रारम्भ की गई है। १४ परियोजनायें गैर-सरकारी क्षेत्र में हैं और १० सरकारी क्षेत्र में। हमारे यहां प्राविधिक शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के सम्बन्ध में विधि कार्यकारी दल हैं। प्रविधिक कर्मचारियों के बारे मे हम अपनी आवश्यकताओं का समय समय पर पुनरीक्षण करते रहते हैं। चौथी योजना के दौरान में, कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों में कमी दूर करने के लिये हर सम्भव प्रयत्न किये जा रहे है।

अन्त में मैं योजना आयोग के कार्य के दोहरेपन की ओर आता हूं। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जिस दोहरेपन की शिकायत की गई है उसे स्वास्थ्य मंत्रालय के कहने पर विशेष कारणों की स्थिति में किया गया था। विभिन्न परियोजनाओं के अध्ययन कार्य तथा परियोजनाओं सम्बन्धी समितियों पर बहुत अधिक खर्च नहीं किया गया है। पिछड़े क्षेत्रों के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि पंजाव में यद्यपि कोई बड़ा भारी उद्योग नहीं परन्तु लोगों का जीवन स्तर ऊंचा है। बिहार में बहुत बड़े बड़े उद्योग हैं परन्तु सामान्य जीवन स्तर बहुत नीचा है। पिछड़े क्षेत्रों के बारे में कुछ निश्चय करते हुये सारी बातों का ध्यान रखना होता है। प्रत्येक राज्य में साधनों को तलाश करने का प्रयत्न किया जाता है। हमारे प्रधान मंत्री सम्बद्ध राज्यों के मंत्रियों से इस बारे में प्रायः परामर्श करते रहते हैं। मुख्य मंत्रियों की बैठकें भी होती ही रहती हैं। बहुत सी चीजें राज्यों से सलाह करके ही की जाती हैं। लक्ष्य भी राज्यों से परामर्श करके ही निर्धारित किये जाते हैं और उसे प्राप्त करने का पूरा प्रयत्न किया जाता है।

†**श्री कृष्णपाल सिंह** (जलेसर): इस योजना की सब से बड़ी कमी यह है कि हमारे सभी संसाधन समाप्त हो गये हैं और हमने विभिन्न देशों से धन उधार लिया है और अब हम इस स्थिति से बचने के उपाय ढूंढ रहे हैं।

हमारे आय के साधन अब एक प्रकार से समाप्त हो गये हैं। सिवाय इस के कि लोगों पर कर लगाये जायें और कोई चारा नहीं है। इसका अभिप्राय यह है कि यह योजना ऐसे व्यक्तियों द्वारा तैयार की गई है जिन्होंने इन बातों का कोई अनुभव नहीं है।

हम हर देश से चाहे वह बड़ा देश हो अथवा छोटा धन मांग रहे हैं। हम अपनी आवश्यकताओं की अवहेलना करते हुये ये योजना बना रहे हैं।

समाजवादी आयोजना का ध्येय ग्रामीण जनता को निर्धन बनाना ही रहा है। हमारा दल राष्ट्रीयकरण के पक्ष में नहीं है। खास तौर पर हम एक पक्षीय राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध हैं।

चुनाव से पहले किसी ने प्रश्न किया था कि क्या भूमि और उद्योग, ग्रामीण तथा शहरी सम्पत्ति अलग अलग है। मेरा विचार है कि शायद वित्त मंत्री ने उस प्रश्न का उत्तर देते हुये कहा था भूमि तो सरकार की है। मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि समाजवादी आयोजना का उद्देश्य ग्रामीण जनता को गरीब और गुलाम बनाना है—९० प्रतिशत जनसंख्या को गुलाम बनाना है। जब पूरा समाजवादी ढांचा स्थापित हो जायेगा, तो प्रत्येक ग्राम वासी १० प्रतिशत पूंजीपतियों के गुलाम बन जायेंगे। वे पदाधिकारियों और राजनीतिज्ञों की दया पर होंगे।

सहकारिता की सफलता का बहुत गर्व से उल्लेख किया जाता है। मैं समझता हूं कि देश में सहकारिता आन्दोलन है ही नहीं। सहकारिता आंदोलन तब हो सकता है जब लोग स्वयं अपनी इच्छा से सरकारी संस्थायें बनायें। इस समय जो सहकारिता आन्दोलन है वह ऊपर से शुरू होती है और सरकारी अधिकारियों द्वारा चलाई जाती है। हमारा सहकारी आन्दोलन केवल एक सरकारी विभाग है। यदि यह सहकारी बैंक राज्य बैंकों की तरह काम करें और ग्रामीण ऋण दे, तो अधिक अच्छा होगा। सहकारी खेतों का भी अभाव है। आप चाहे जितने कानून बनायें, जब तक लोग स्वयं सहयोग करने के लिये आगे न आयें, सहकारी खेती नहीं हो सकती। अलाभकारी खेतों के टुकड़े भी उन्होंने स्वयं बनाये हैं। इस का एक ही इलाज है और वह यह कि ग्रामीण उद्योग शुरू किये जायें। पहले जमाने में ग्रामों में हर तरह के ग्रामीण उद्योग होते थे।

इस समय हालत यह है कि धनवान लोग ग्रामों में डर के मारे रह ही नहीं सकते। वे अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते। योजना बनाने वालों का उद्देश्य यह है कि असमानता और भी बढ़े। वे चाहते हैं कि जो कुछ हमारे पास है, वह भी न रहे। सरकार भूमि के स्वामित्व पर सीमा लगाने का सोच रही है किन्तु आवश्यकता इस बात की है कि वह अपने बुरे बुरे इरादों पर रोक लगाये।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** (शिवसागर): हमारे देश में विदेशी मुद्रा की स्थिति इतनी खराब कभी नहीं थी। १९४८ में हमारे पास १२०० करोड़ विदेशी मुद्रा थी और कोई विदेशी ऋण नहीं थे। अब विदेशी मुद्रा की राशि १०० करोड़ रुपये है और विदेशी ऋणों की राशि ७५०० करोड़ रुपये है इस से हमारी देश की अर्थ-व्यवस्था को धक्का लगा है और

†मूल अंग्रेजी में

तीसरी योजना को असंतुलित किया है । इस कठिनाई का सब लोग यह हल सुझाते हैं कि निर्यात बढ़ाये जायें। निर्यात बढ़ाने की राह में सब से बड़ी बाधा उत्पादन व्यय का अधिक होना है । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने उत्पादन व्यय घटाने के लिए क्या उपाय किये हैं ।

जब तक हम मूल नीति को संशोधित न करें, हमारे लिए निर्यात बढ़ाना संभव नहीं होगा। आयात नीति के सम्बन्ध में भी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिये। एक ओर तो बहुत से उद्योग कच्चे माल की कमी के कारण कठिनाई में हैं, दूसरी ओर बहुत सा कीमती आयात माल बाजारों में देखा जाता है । इस के लिए आवश्यक है कि उन फर्मों को, जिन्होंने आयात या सिक्के के नियमों को तोड़ा है और उन के संचालकों को काली सूची में शामिल किया जाये और उन वस्तुओं के विक्रय को रोका जाये, जो अनधिकृत तरीके से देश में लाई गई हैं ।

गोआ में जो ३५ करोड़ रुपये का सामान आयात किया जाना है, उसे बन्द किया जाये ।

सरकार का दो और राज्य व्यापार निगम स्थापित करने का विचार है । ऐसा करने से पहले यह देख लेना चाहिये कि इस से गैर-सरकारी निर्यातकों या उद्योगपतियों के काम को हानि तो नहीं पहुंचेगी। मेरे विचार में हमें निजी उद्योगपतियों को अपना माल निर्यात करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिये । चाय के निर्यात को राज्य व्यापार निगम को अधीन लाना अत्यन्त हानिकारक होगा । रोमस्वामी मुदालियर समिति की सिफारिशों को तुरन्त स्वीकार कर लेना चाहिये चाय अनुसन्धान संस्था शीघ्र बना देनी चाहिये । हमारा चाय का उत्पादन तो बढ़ रहा है, किन्तु हमारा निर्यात कम हो रहा है । उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें बहुत से उपाय करने होंगे ।

†**श्री क० रा० गुप्त** (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे दस मिनट का समय दिया है। यह जो समय की तलवार लटका दी है, इसके लटकते हुए भी मुझे बोलना है । मैं आपके द्वारा माननीय अर्थ मंत्री महोदय का ध्यान उनके अपने एक भाषण की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो उन्होंने इसी सदन में बहस का जवाब देते वक्त जो कि बजट पर हुई थी, दिया था । उन्होंने कहा था कि उनकी अर्थ नीति का पोषण भारत की जनता करती है क्योंकि उसने उनकी पार्टी को वोट से जिता कर भेजा है । यह एक अजीब दलील थी जो उन्होंने दी। अच्छा होता कि वह इस दलील को न देते। इस देश में जिस प्रकार से चुनाव होते हैं और उनमें रूलिंग पार्टी का जो पार्ट होता है, वह कोई बहुत सुन्दर चीज नहीं है। अगर वह इसको सुन्दर मानते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि वह निष्पक्ष जांच करवा लें। इस देश में चुनाव मैनिफेस्टो के आधार पर होते हैं, क्या प्रोग्राम के आधार पर होते हैं, जो नीति है वह क्या ठीक नीति है, जब इसका पता लगाने की कोशिश की जाएगी तो शायद जो नतीजा निकलेगा वह बिल्कुल उलटा ही निकलेगा । जिस प्रकार से इस देश में पूंजीपतियों को सुविधायें प्राप्त हैं, उसी तरह से उनको भी बहुत सी सुविधायें प्राप्त हैं उनको सिम्बल की सुविधा प्राप्त है, उनको तिकड़मबाजी की सुविधा प्राप्त है, रूलिंग पार्टी होते हुए बहुत से ऐसे काम करवाने की सुविधा प्राप्त है जोकि अनुचित काम हैं, इम्पोर्ट लाइसेंस और दूसरी बातों के प्रलोभन देने की सुविधा प्राप्त है । ये सभी वे सुविधायें हैं जो कि दूसरों को प्राप्त नहीं हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री त्यागी : (देहरादून) : सारे वोटर्ज़ क्या इम्पोर्ट का काम करते हैं।

†**श्री का० रा० गुप्त** : मैनीफेस्टो के आधार पर नहीं बल्कि चूंकि लोग आपसे नाराज हैं इसलिए आपके खिलाफ वोट दे कर के दूसरों को वे जताते हैं। इस वास्ते जब यह कहा जाता है कि मैनीफेस्टो के आधार पर आप जीते हैं, तो यह बिल्कुल गलत बात है।

हमें देखना यह है कि जो नीति चल रही है वह क्या उन बातों के आधार पर चल रही है जोकि हम ने पहले कही थीं। बापू ने एक किताब लिखी थी "शैतान की लकड़ी"। उसमें उन्होंने तम्बाकू, शराब और अफीम इन तीन चीज़ों का जिक्र किया था। इन तीनों के बारे में हमारी नीति क्या है और जो नीति है क्या उसमें हम सफल हुए हैं, यह हमें देखना है।

शराब का जहां तक ताल्लुक है पन्द्रह साल के बाद भी हम यह कहते हैं कि हम शराबबन्दी को सारे देश में लागू करेंगे। पहले हम यह कहते रहे कि यह स्टेट सबजैक्ट है और इस आधार पर शराब के बारे में अपनी नीति को चलाते रहे। इसका नतीजा यह हुआ कि जगह जगह हमारा पतन हुआ, इल्लिसिट शराब ज्यादा बनने लगी, बम्बई में चूंकि शराबबन्दी थी इसलिए वहां राजस्थान की शराब जाती थी, गोआ से आती थी तथा दूसरी जगहों से आती थी। जब कभी प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें रही हैं तो फिर उसको प्रदेश की बात कह कर के और आर्थिक संकट की बात हक कर के टालना हमारे स्वयं के नैतिक धरातल के गिरने का स्पष्ट प्रमाण है। हमारे नाथपाई साहब कह रहे थे कि बम्बई में एक नई क्लास पैदा हो गई है जिसको इसकी सुविधा मिली हुई है। जो आर्थिक संकट की बात है, जो हानि की बात है, वह पहले भी थी और अब भी है। यदि इसको सही तौर से समय पर हाथ में लिया जाता तो जो देश का पतन हुआ है न होता। हमारी सरकार की नीति को हमें इस पर तोलना पड़ता है कि उसके कारनामें क्या रहे हैं। उसके कारनामों से ही हमारा पतन अथवा उत्थान हो सकता है।

अफीम का जहां तक सम्बन्ध है, मैं कहना चाहता हूं कि अफीम की खेती मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में राजस्थान के कुछ हिस्सों में तथा बिहार के कुछ हिस्सों में होती है। किसान को तो ४५ रुपये सेर का दाम मिलता है जबकि ब्लैकमार्किट में लेने वाले लोग उसी वक्त सवा सौ रुपये दे देते हैं। सरकारी लोग तो यह कहते हैं कि एक तिहाई हिस्सा अफीम का जो है, वह ब्लैकमार्किट में जाता है लकिन जो साधारण लोग हैं वे कहते हैं कि पचास प्रतिशत हिस्सा जाता है। हमारी नीति की आज यह हालत है कि एक तरफ तो हम ऊंचे ऊंचे स्वरों में कहते फिरते हैं कि देश में हम अफीम खाना बन्द कर रहे हैं और इस अफीम को हम बाहर भेज रहे हैं ताकि हमें विदेशी मुद्रा मिले और इस कारण से अफीम की खेती बढ़ा रहे हैं लेकिन अगर फारेन एक्सचेंज बढ़ाने का यह मंशा हो कि हमारा पतन हो तथा भ्रष्टाचार का बोलबाला हो जाए, तो इसको कैसे उचित ठहराया जा सकता है। आम आदमी उसको भ्रष्टाचार मानता है और जहां पर चोरी होती हो या चोरी की सम्भावना रहती हो तो वह नीति सफल नीति नहीं कही जा सकती है। अगर कभी यहां पर इस विषय में लम्बी चौड़ी चर्चा करने का मौका मिले और आपको बताया जाए कि किस प्रकार से सिलसिला चल रहा है और हमारा पतन हो रहा है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

तीसरी चीज मैं तम्बाकू के बारे में कहना चाहता हूं। उसकी भी यही दशा है। जो हमारी मूलभूत नीति है नशाबन्दी के बारे में, उसमें अगर हमारे कदम से लोगों का नैतिक पतन होता हो और भ्रष्टाचार को पनपने का मौका मिलता हो और उसकी नशाबन्दी से नई नई बीमारियां पैदा होती हों, तो उसको सफल नीति नहीं कहा जा सकता है फिर चाहे आप उसके बारे में जितनी भी डींग मारे क्यों न मारें।

अब मैं इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इम्पोर्टस को कट किया जा रहा है। मैं इसका समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि उनको कट किया जाए। लेकिन यह इस ढंग से होता है कि अन्दर ही अन्दर भ्रष्टाचार बढ़ता है। मैं अर्ज करता हूं कि मैं ने एक बार स्वयं अपने कानों से सुना है कि राजस्थान के एक मंत्री के यहां टेलीफोन हो रहा था। वह कहते थे कि अमुक आदमी को इम्पोर्ट लाइसेंस दिलवाने की कोशिश करवाओ, वहां से रिपोर्ट भिजवाओ, उससे हमें बहुत बड़ा चन्दा मिलेगा। इस प्रकार की बातें जब कांग्रेस में चलती हों और इम्पोर्ट लाइसेंस के मामले में भी राजनीति आए और पैसा लेने का सवाल आए तो फिर हमारा समाजवाद कहां चला जाता है, इस पर आप विचार करें। इन सब चीजों का नतीजा एक ही होता है कि नारा तो हम कुछ लगाते हैं, कहते तो हम कुछ हैं, लेकिन जब करते हैं तो कुछ और ही करते हैं, उससे बिल्कुल उल्टा करते हैं।

आप दूर न जायें। मैं आपके सामने ग्राम योजनाओं की बात ही रखता हूं। गांवों में जो सब से गरीब आदमी हैं, उसको आपकी योजना से कोई लाभ नहीं हुआ हैं और न होता हैं। गवर्नमेंट उसे कई कर्जा दे नहीं सकती हैं क्योंकि उसके पास रखने के लिये कोई सिक्योरिटी नहीं हैं। किसी काम में भी उसको हिस्सा नहीं मिलता हैं। अगर यह कहा जाता हैं कि गांवों के अन्दर वे लोग पैदावार को बढ़ायेंगे तो वे किस चीज की पैदावार बढ़ा सकते है जबकि उनको खाने को नहीं मिलता हैं, दूध नहीं मिलता हैं, घी नही मिलता हैं। दूसरों के लिये वे सब कुछ पैदा करते है लेकिन उनको अपने को खाने के लिये नहीं मिलता हैं। इसका नतीजा यह हो रहा हैं कि शहर बढ़ते जा रहे है और गांव घटते जा रहे है। मैं चाहता हूं कि आप आंकड़े देखें कि एनीमल हसबैंडरी का क्या हाल हैं, कितना दूध गायों का बढ़ा है, कितना हम नस्लों में सुधार कर पाये है। मैं समझता हूं कि इसके बारे में कुछ भी नहीं किया गया हैं। इंडस्ट्री के बारे में हमारे सामने लम्बे लम्बे आंकड़े रख दिये जाते है लेकिन गांव वालों की कोई परवाह नहीं की जाती हैं,। ८० प्रतिशत आदमी आज भी हमारे, गांवों में रहते है और हम कहते है कि लम्बे अर्से के लिये गांव हमारे बने रहेंगे लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता हैं। खेती हमारी मुख्य आजीविका हैं और गांव मुख्य आजीविका के साधन हैं। उद्योग ढंग से वहां पनपें तो कहां से पनपें। जो ग्राम उद्योग थे वे सभी चौपट हो गए है। जिस अम्बर चर्खे के बहुत गीत गाये जाते हैं, वह अम्बर चर्खा आपको आठ आने और छः आने भी मजदूरी रोज की नहीं दे रहा। कांग्रेस मंत्री कहते है कि डेढ़ रुपया और दो रुपया रोजाना उससे मजदूरी मिल जाती हैं। लोक-सभा के मंत्री है, उनको इतना ज्ञान भी नहीं हैं कि लोगों को क्या मजदूरी किस चीज से मिल रही हैं। यह स्थिति जब हो, इतना कम ज्ञान स्वयं योजना के बारे में हमारा हो तो कैसे काम चल सकता है। अगर दो रुपया अम्बर चर्खे से गांव वालों को मिल जाए तो गांव वाला आपकी परवाह नहीं करेगा और मिलों को फिक्र पड़ जायेगी कि वे अपने कपड़े को कहां बेचें।

[श्री का० रा० गुप्त]

अभी तो एक कमेटी बनायी जा रही है कि गांवों में कौन कौन सी इंडस्ट्री चलें। बिजली कहां पहुंचाई जा रही हैं, बिजली वहां पहुंच जायेगी। लेकिन इंडस्ट्री कौन सी चलाई जायेगी, इसका पता नहीं हैं, उस तरह की इंडस्ट्री को प्राथमिकता दी जायेगी जिसके माल की खपत शहरों में होती हैं या उस तरह की इंडस्ट्री को जिसके माल की खपत स्वयं गांव में ही होती हैं। गांव में खपत होने वाले माल में कपड़े का सब से पहले नम्बर आता हैं। कपड़े की हालत यह हैं कि खादी के बारे में जिनके अच्छे विचार है या तो वे खादी पहनते है या जो पार्टी के लोग होते है जो नियम बनाते है खादी पहनने के बारे में वही खादी को पहनते है। बाकी चाहे ग्राम योजना बने या दूसरी योजना बने, गांव के कपड़े की खपत गांव में बढ़ने वाली नहीं हैं।

चूंकि समय थोड़ा हैं, इसलिये एक बात कह कर मैं समाप्त कर दूंगा। पब्लिक सैक्टर की हम बहुत ज्यादा बात करते है और कहते है कि अमुक में हमने इतने परसेंट मुनाफा कमाया और अमुक में इतने परसेंट कमाया। लेकिन वहा लेबर की क्या हालत हैं ? लेबर को जो सुविधायें मिलनी चाहियें, जितना हक है उन का यूनियन आदि बनाने का, उन की जो दशा हैं उस को देख कर स्पष्ट हो जाता हैं कि स्थिति शोचनीय हैं। ब्यूरोक्रेसी उन पर बैठ कर हुकूमत करना चाहती हैं। संक्षेप में यह बात हैं कि आप उस भले ही समाजवाद कहें, मैं कहूंगा कि उस का एक ही नक्शा है कि एक डिपार्टमेंट खुला हुआ हैं। उस में बड़े बड़े अफसर बैठ जाते है उन का खर्च बढ़ जाता हैं। किसी योजना के नाम पर वे काम करने बैठ जाते है और टैक्सेशन से जो रुपया आता है वह उन्हीं में बांट दिया जाता हैं। इस को आप चाहें तो स्टेट कैपिटलिज्म कह सकते है। इसके अलावा समाजवाद कोई वहां पर नहीं हैं। अगर समाजवाद का तरीका होता तो उन की यह दशा न होती।

श्री त्यागी : आप को कांग्रेस नहीं छोड़नी चाहिये थी।

श्री का० रा० गुप्त : इतना ही मुझे कहना है क्योंकि समय नहीं हैं।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : चूंकि वित्त मंत्रालय की मांगों की चर्चा में आयोजन भी शामिल कर लिया गया है, इस लिये देश की सामान्य अर्थव्यवस्था और योजना के विषय भी उठाये गये हैं। मुझे हर्ष है कि वित्त मंत्रालय के कार्य की इतनी आलोचना नहीं की गई हैं, केवल कुछ बातों की पुनरावृत्ति की गई हैं।

करापवंचन के संबंध में श्री प्रभात कार ने कहा है कि निगम कर से भिन्न आय करों के अन्तर्गत १९५८–५९ की वसूली १७२ करोड़ रुपये थी किन्तु १९६०–६१ में यह १६७.५ करोड़ हो गई थी। मेरे विचार में उन्होंने गलती से १६७ करोड़ की बजाय १२७.५ करोड़ कह दिया हैं। उन्होंने सब पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया। यदि वे आय कर और निगम कर के आकड़े जोड़ दिये जायें तो मालूम होगा कि संयुक्त मदों के आधीन राशियां इस प्रकार थीं : –

	करोड़
१९५८–५९	२२६.३०
१९६०–६१	२७८.४३
१९६१–६२	३१३.१५

†मूल अंग्रेजी में

अतः यह कहना ठीक नहीं हैं कि करों की वसूली कम हो गई हैं। वास्तव मे इस में वृद्धि हो रही हैं, जैसा कि होना चाहिये।

बकाया के बार में कहा गया हैं, कि ये वहीं के वहीं रहे हैं। यह भी सत्य नहीं हैं। १–४–५८ को कुल बकाया २७२.३३ करोड़ रुपये थे। १–४–६१ को यह २५३.४६ करोड़ रुपये थे। देखा गया है कि इस में कमी हुई है। कुल बकाया में यदि वे राशियां निकाल दी जायें जो अपीलों, न्यायालयों न्यायाधिकरणों या सहायक आयुक्तों के पास जाती हैं या जो कम्पनियों या दीवालिया लोगों से वसूल नहीं की जा सकतीं तो बकाया १–४–६१ को १३६·७४ करोड़ रह जायेगा, जबकि यह १–४–५८ को १५६.९३ करोड़ रुपये था। इस लिये देखा जायेगा कि वसूली की गति तेज हो रही हैं और हम अधिकाधिक राजस्व प्राप्त कर रहे हैं। हर साल वसूली हो रही हैं। १९६१–६२ में वसूली ३१३.१५ करोड़ रुपये थी और १३६.७४ करोड़ एक साल की प्राप्तियों का ५० प्रतिशत भी नहीं हैं।

श्री नाथ पाई मुझे से कहीं अच्छे वक्ता हैं। मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता, मैं केवल तथ्यों के आधार पर बोल सकता हूं।

उन्होंने धन के केन्द्रित होने की चर्चा की थी और किसी अर्थशास्त्री द्वारा भारत के निगमित क्षेत्र के अध्ययन का निर्देश देकर कहा था कि भारत में देश के सात परिवारों का ३५ प्रतिशत निगमित आस्तियों पर नियंत्रण है। डा० निगम और डा० चौधरी ने जो अध्ययन किया है, उसमें ऐसा कोई वक्तव्य नहीं है।

१९५५–५६ के अन्त में, सब कम्पनियों की प्रदत्त पूंजी १०२४ करोड़ रुपये थी। इसमें से केवल ६६ करोड़ सरकारी कम्पनियों का था, अर्थात्, ६ प्रतिशत से कुछ अधिक। १९५५–५६ और १९६०–६१ के बीच सब कम्पनियों की कुल पूंजी १७२५ करोड़ रुपये हो गई थी और सरकार का हिस्सा ६६ करोड़ से ५४५ करोड़ हो गया था, अर्थात् ३२ प्रतिशत।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

निगमित क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण बात हुई है। १९५६ में २५ विख्यात प्रबन्ध अभिकर्त्ता ४३० समवायों का प्रबन्ध करते थे, लेकिन १९६० में उनकी संख्या १९८ तक घट गई थी। अध्ययन से यह भी पता चला है कि जो ५० प्रमुख प्रबन्ध अभिकर्त्ता १९५६ में ५०८ समवायों का प्रबन्ध कर रहे थे, १९६० में उनके पास केवल ४५३ समवाय रह गये थे। इस प्रकार १९६० में उनके नियंत्रण का क्षेत्र काफी संकुचित हुआ है।

उन्होंने कहा था कि ३०,००० पंजीयित समवायों में से केवल ०.४ प्रतिशत समवाय ३५ प्रतिशत आस्तियों का नियंत्रण करते थे। लेकिन वह भूल जाते हैं कि सरकारी क्षेत्र की स्थापना के बाद निगमित क्षेत्र अब निजी क्षेत्र नहीं रह गया है। १९६०–६१ में ६२ सरकारी समवाय ऐसे थे जिनकी प्रदत्त पूंजी ५० लाख रुपये और उससे अधिक थी। इस प्रकार उनकी प्रदत्त पूंजी ५४१ करोड़ रुपये बैठती थी। इसलिये निगमित क्षेत्र के केन्द्रीकरण को निजी क्षेत्र का केन्द्रीयकरण नहीं समझ लेना चाहिये।

यदि इन सभी आँकड़ों का सही विश्लेषण किया जाये, तो फिर मथुरा के मेरे मित्र औसतों के नियम का हवाला नहीं देंगे। बिलकुल सही है कि आँकड़ों को विभिन्न तरीकों से पेश किया जाता है। लेकिन हमें उनका प्रयोग समझदारी के साथ यथार्थ को देखते हुये करना चाहिये।

[श्री मोरारजी देसाई]

जिन माननीय सज्जनों ने यह आँकड़े पेश किये हैं, मैं उन सभी का सम्मान करता हूं । मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनको यथार्थ का सम्मान करना चाहिये । आँकड़े तैयार करने वाले भी तो आखिर आदमी होते हैं, उनसे भी गलतियाँ हों सकती हैं । माननीय सदस्य को यह सब याद रखना चाहिये । गलती केवल माननीय सदस्य नहीं, मैं भी कर सकता हूं , और करता हूं । लेकिन मैं यथार्थवादी दृष्टिकोण को नहीं भुलाता, क्योंकि उसके बिना तो सभी कुछ बिगड़ जायेगा , गलत हो जायेगा ।

यहाँ मद्य निषेध को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि चीजें कैसे गलत होती चली जाती हैं । मैं तो मद्य-निषेध के उनके उदाहरण को जनता को गुमराह करने की उनकी क्षमता का उदाहरण मानता हूं । उन्होंने तस्कर व्यापार का उल्लेख किया था। मैं पूछता हूं कि मद्य ही क्यों, क्या सोने, या घड़ियों या अन्य वस्तुओं की तस्करी नहीं होती ?

मद्य का तस्कर व्यापार जितना भी होता हो, अब उन राज्यों में, मद्य निषेध के पहले के दिनों के मुकाबले, मद्य की खपत का केवल एक दसवाँ भाग रह गया है । हमें देखना यह चाहिये कि यदि पहले १०० व्यक्ति मद्यपान करते थे, तो अब २० नहीं तो ३० ही करते हैं। क्या इससे देश का लाभ नहीं होता ? माननीय सदस्य मद्य-पान करने वाले ३० व्यक्तियों पर ही क्यों जोर देते हैं, न पीने वाले शेष ७० व्यक्तियों को क्यों भूल जाते हैं ?

इसी तरह की एक दलील यह है कि इतनी सारी योजना के बाद भी देश की हालत ज्यों की त्यों है । मथुरा के मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि पहले गाँव में अधिक समृद्धि थी । ३००–४०० वर्ष पहले रही होगी । कम से कम इस शताब्दी में तो नहीं थी । मुझे भी ग्राम्य जीवन का थोड़ा अनुभव है ।

इसलिये ऐसी दलीलों से कोई लाभ नहीं । सरकार यह तो नहीं कहती कि उसने धरती पर स्वर्ग उतार दिया है या यह कि देश की सभी बुराइयाँ दूर कर दी हैं । मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि जनता के रहन-सहन में सुधार दिखाई पड़ता है ; परिवर्तन की प्रक्रिया आरम्भ हो गई है । मैं यह नहीं कहता कि इस पर बहस नहीं की जा सकती । की जा सकती ह । लेकिन हमें यह भी तो नहीं भूलना चाहिये कि देश की कायापलट करने का काम हमने शुरू कहाँ से किया था । यदि उसकी याद रहे तो सफलतायें कुछ अधिक दिखेंगी और फिर इतनी कटु आलोचनायें नहीं होंगी ।

मैं आलोचनाओं का बुरा नहीं मानता, क्योंकि उससे यथार्थ की समझ आती है । बार बार उसका ध्यान आता रहता है । माननीय सदस्य ही नहीं, देश के सभी नागरिकों को आलोचना करने का पूर्ण अधिकार है । वे चाहें तो सरकार की त्रुटियों को खुर्दबीन से तलाश-तलाशकर निकालें, पर उनको यह भी ध्यान रखना चाहिये कि उससे कहीं देश की जनता में पस्तहिम्मती की भावना न आ जाये । काँग्रेस के विरूद्ध प्रचार के रूप में जो भी कहा जाये, ठीक है, पर इतना ध्यान तो रहना चाहिये कि देश की जनता पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा । हमने प्रगति नहीं की, यही कहा जाता तो एक बात होती, पर उल्टे यह कहना कि अवनति हुई है, कहाँ तक उचित है ? यह तो राजनीतिक हित साधाने के लिये ऐसा प्रचार हुआ, जो राष्ट्री हित के विरूद्ध है । किसी भी राजनीतिक दल को ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिये जो जनता में निराशा और पस्तहिम्मती की भावनायें पैदा करे । श्री द्विवेदी की तरह यह कहने से लाभ क्या होगा कि १० करोड़ टन खाद्यान्न के उत्पादन का लक्ष्य पूरा नहीं होगा ।

योजना के लक्ष्यों के प्रति सन्देह पैदा करना देश के हित में नहीं होगा। द्वितीय योजना-काल में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य ७५० लाख टन था, और हमने ७९३ लाख टन करके दिखा दिया था। फिर भी प्रचार यही किया जा रहा है कि हम अपने लक्ष्य पूरे नहीं कर पाये। वैसे मैं मानता हूं कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ सकती हैं कि हम अपने लक्ष्य पूरे न कर पायें, पर शुरू से उनकी पूर्ति के बारे में सन्देह पैदा कर देना कहाँ तक उपयोगी रहेगा? चाहिये तो यह कि जनता की शक्ति को और सुदृढ़ बनाया जाये, उनमें उत्कट आत्म-विश्वास पैदा किया जाये। मैं मानता हूं कि हम सभी के लिये जीविका नहीं जुटा पाये हैं। लेकिन यह भी तो सही है कि खाद्यान्न के उत्पादन में ३२ प्रतिशत वृद्धि हुई है, जबकि जनसंख्या में केवल २० प्रतिशत वृद्धि हो पायी है। आखिर शेष १२ प्रतिशत उत्पादन भी तो खपत ही हुई है। जनता ने ही तो उसका उपभोग किया है। लोगों को अधिक-भोजन तो मिला है। खाद्यान्न की हमारी औसत खपत ११ और १३–१४ से १६–१८ औंस तक बढ़ी है। आखिर कुछ प्रगति तो हुई ही है। कहा गया है कि हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति उपभोग १८०० या १६०० कैलोरी है। मैं तो प्रतिदिन १४०० कैलोरी पर पिछले अठारह वर्ष से चल रहा हूं। हमें ऐसे मापदण्ड तो नहीं रखने चाहिये, जिसमें अपव्यय हो।

ठंडे देशों में अधिक भोजन की आवश्यकता पड़ती है। हमारे देश में जितना भोजन आवश्यक होता है, उतना जनता को मिल रहा है।

†**श्री क० रा० गुप्त**: आप तो स्वास्थ्य अधिकारियों को भी चुनौती दे रहे हैं।

†**श्री मोरारजी देसाई**: इसलिये कि मैंने इस विषय का अध्ययन किया है। मुझे इसका व्यक्तिगत अनुभव भी है। इसलिये मैं हर विशेषज्ञ की बात अविवेकपूर्ण ढंग से स्वीकार नहीं कर सकता। इस विषय के अधिकारी विशेषज्ञों की बात का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे अपनी समझदारी पर भी तो कुछ भरोसा है।

और मैं यह नहीं चाहता कि सभी लोग १,५०० या १,८०० कैलोरी को ही स्वीकार कर लें। मैं तो चाहूंगा कि उनको ३,००० कैलोरी मिल सके। लेकिन यह भी देखना चाहिये कि हमारी क्षमता कितनी है और हम कितना कुछ कर सकते हैं। अधिक के लिये तो हम प्रयत्नशील हैं ही।

श्री ढेबर ने सर्वथा उचित कहा है कि हमें सन्तुलन की भावना रखनी चाहिये। लेकिन उन्होंने कृषीय अर्थ-व्यवस्था के संबंध में जो भी कहा है वह आँशिक रूप से ही सत्य है। कृषीय अर्थ-व्यवस्था की उपेक्षा नहीं की गई है। हाँ, मैं यह मानता हूं कि उसे उच्चतर स्तर तक ले जाना आवश्यक है। लेकिन उसमें समय तो लगेगा। हम उसके लिये प्रयत्नशील तो हैं ही।

उनकी यह बात सही नहीं कि हमने देहाती क्षेत्रों की उपेक्षा की है। हमने द्वितीय योजना काल में कृषि और सामुदायिक विकास पर ५३० करोड़ रुपये व्यय किये थे।

उनका अपव्यय हुआ, यह कहना बिलकुल गलत है। हाँ, दुरुपयोग की बात कही जा सकती है। माननीय आलोचकों को अनुपात का ध्यान रखना चाहिये। आखिर तथ्यों को तो झुठलाया नहीं जा सकता।

द्वितीय योजना काल में खाद्यान्न का उत्पादन १९५०–५१ में ५ करोड़ टन से बढ़ कर योजना की समाप्ति तक ८ करोड़ टन हो गया था। आखिर कैसे? हमने भूमि का क्षेत्र भी इस बीच नहीं बढ़ाया था। फिर कैसे वृद्धि हुई? इसलिये मैं यह भी मानने को तैयार नहीं कि उस आवंटित राशि को अधिकाँश भाग का अपव्यय हुआ है। अभी तक किसी ने भी ऐसा कोई तरीका हमें नहीं

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोरारजी देसाई]

बतलाया है कि जिससे अपव्यय की संभावना बिलकुल ही न रहे। हाँ, हम स्वयं प्रयत्नशील हैं कि अपव्यय कम से कम हो।

हमने बड़ी और मझोले दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं पर ४२० करोड़ रुपये व्यय किये हैं। ग्रामों और लघु उद्योगों पर हमने १७५ करोड़ रुपये व्यय किये हैं।

मैं आपके सामने तथ्य रख रहा हूं।

द्वितीय योजना के दौरान, हमने उसके कुल व्यय ४६०० करोड़ रुपये में से देहाती क्षेत्रों पर १९५५ करोड़ रुपये व्यय किये हैं। तृतीय योजना के कुल ७५०० करोड़ रुपये के व्यय में से हम देहाती क्षेत्रों पर ३२८२ करोड़ रुपये व्यय करने जा रहे हैं। फिर कैसे कहा जा सकता है कि हम देहाती क्षेत्रों की उपेक्षा कर रहे हैं। हाँ, सदियों से अब तक उनकी उपेक्षा होती रही थी, और उसी का फल है कि उनमें भयंकर गरीबी है। यह म मानता हूं।

यह बात बिलकुल गलत है कि देहाती क्षेत्रों की उपेक्षा की जा रही है। एक बात मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकारी अधिकारियों को सहकारी संस्थाओं के कामों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लोगों में सहयोग के लिए जागरूकता पैदा की जानी चाहिये। सहकारी कृषि और सहकारी खेती की भावना उन में प्रेम से निर्माण की जानी चाहिए न कि जबरदस्ती। किसी भी प्रकार का सहयोग जबरदस्ती प्राप्त नहीं किया जा सकता। चुनावों के निष्पक्ष सर्वेक्षण की बात कही गयी है। इस बारे में मेरा निवेदन है कि चुनावों के समय बहुत से विदेशी लोग देश में थे उन्होंने भी देखा है कि हमारे चुनाव कैसे हुये हैं।

फिर यह कहा जाता है कि हमने देश को गिरवी रख दिया है। अब आप बताइए कि हमने क्या देश को गिरवी रखा है। संसार भर के सभी देशों ने दूसरे देशों की सहायता और सहयोग से ही प्रगति की है, हम भी कुछ देशों की सहायता ले रहे हैं। रूस जैसे देश ने भी अन्य राष्ट्रों से सहायता ली है। स्वतंत्र होने पर जो स्थिति हमारे देश की थी, क्या कोई अन्य देश ऐसी स्थिति में था। हम गरीब थे और सुसंस्कृत भी। लोकतंत्र में हमारा विश्वास था, हम चाहते थे कि सब की बात सुनी जाय, सभी दिशाओं में प्रगति की जाय। हम चाहते हैं कि देश की औद्योगिक प्रगति हो, तो क्या मशीनें आकाश से गिर कर पड़ेंगी क्या जब तक हम उन के निर्माण के योग्य नहीं हो जाते, हमें उन्हें बाहर से नहीं लाना होगा। हमारी विदेशी विनिमय की स्थिति भी सर्वविदित है। इसके लिये हम ने मित्र देशों से कर्जे लिए तो इस में क्या विभिन्न बात है। ब्रिटेन, अमरीका, जर्मनी और अन्य देशों से जो कर्जे हमने लिए हैं उन के साथ कोई शर्त नहीं है। शर्तों के साथ साथ हम किसी भी देश से कोई सहायता नहीं लेना चाहते। ऐसी सहायता लेने से तो हम गरीब रहना पसन्द करेंगे। जिन मित्र देशों ने हमें कर्जा दिया है, उन के हम बहुत ही आभारी हैं। उन्होंने इस प्रकार की सहायता देने के साथ कोई शर्त नहीं लगाई गई है। परन्तु इतना तो उनका हक हमें मानना ही होगा कि वे देखें कि जो सराहना सहायता उन्होंने दी र उसका उपयोग भी हो रहा है अथवा नहीं। हमें सहायता देने वाले मित्रों की ओर. सन्देह की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए।

इन हालत में देश को गिरवी रखने की बात कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जो देश कर्जा लेकर अपनी समृद्धि में वृद्धि नहीं करता वह शीघ्र ही दिवालिया हो जाता है।

हम दिवालिया नहीं बन रहे प्रत्युत संसाधनों की वृद्धि कर रहे हैं। इनको किसी ने देखना हो तो देख सकता है। इसके अतिरिक्त और कौन सा साधन है जिससे हम गरीब लोगों की दशा को सुधार सकते हैं। यदि हम देश की सब सम्पत्ति छीन कर उसे सब में एक जैसी बांट दे तो हम सब कंगाल हो जायेंगे। और एक ही वर्ष में सब समाप्त हो जायेगा। इस तरह तो हम देश को समृद्ध नहीं बना सकते। हमें अधिक से अधिक धन की व्यवस्था करनी होगी। आज जो हमारे मध्य में आर्थिक विषमता है उसे एक दम तो हटाया नहीं जा सकता। इस बात के प्रति हम पूरी तरह सचेत हैं कि धन एक जगह इकट्ठा न हों। परन्तु यह बात देश की अर्थ व्यवस्था अथवा देश के विकास के रास्ते में रुकावट नहीं बननी चाहिये। इसी उद्देश्य को समक्ष रख कर हमने कानून बनाये हैं और उन पर चलने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। अतः देश को गिरवी रखने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

हम देश का निर्माण कर रहे हैं। इसके लिए जो कर्जा हम लेंगे, वह ब्याज समेत वापिस देंगे। हमने कोई सहायता नहीं मांगी। परन्तु सहायता मिलेगी तो हम इंकार नहीं करेंगे हम सहायता लेंगे। और उस के बदले में जो लोग अथवा देश सहायता प्राप्त करने के योग्य हैं उन्हें सहायता दे देंगे। हम भी अपने पड़ौसियों की धन से सहायता कर रहे हैं। इसी तरह राज्यों की विषमताओं की बात है। मैं इसके बारे में प्रचलित भ्रांति को दूर करने का प्रयत्न करूंगा। मैं यह नहीं कहता कि हमारे देश में विषमता नहीं। हमारा देश ही विषमता का देश है। विषमताओं को दूर करने के लिए अधिक से अधिक धन पैदा करने की आवश्यकता है। यही हमारी योजनाओं का उद्देश्य है, क्योंकि आखिर धन ऊपर से तो गिरेगा नहीं। योजनाओं द्वारा पैदा ही करने का प्रयत्न किया जायेगा। दो योजनाओं के अन्तगत हम ने यह सब कुछ किया है और तीसरी में करने जा रहे हैं।

वैसे विषमता का अनुमान लगाना भी कोई सरल कार्य नहीं है। हमारे पास भी जो आंकड़े हैं उन्हें बहुत अधिक अधिकृत नहीं कहा जा सकता। इस लिए कि राज्यों ने इस दिशा में कोई प्रयत्न नहीं किया है। १९५६-५७ में जो अनुमान किया गया उससे पता लगा कि १० राज्यों में ६ तुलनात्मक दृष्टि से अधिक गरीब थे। सामुहिक तौर पर तो सारे ही गरीब हैं। बाकी राज्यों में से दो कुछ अच्छी है और तीन बहुत ही खराब है। मतलब यह हुआ कि ६ राज्यों की दशा तो अच्छी है और ९ राज्यों की दशा खराब है। यदि मैं यह कह दूं कि ये ९ राज्य पिछड़े हुए राज्य हैं तो किसी को बुरा नहीं मनाना चाहिए। ये ९ राज्य इस प्रकार हैं। आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू और काश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इन राज्यों में प्रति व्यक्ति आय बहुत थोड़ी है। इन राज्यों में योजना का व्यय तुलनात्मक तौर पर अधिक होगा। वैसे व्यय ९५ प्रतिशत होगा। परन्तु बिहार में व्यय १०४ प्रतिशत बढ़ा है, जम्मू और काश्मीर में २०० प्रतिशत बढ़ा है, १२१ प्रतिशत केरल में बढ़ा है, मध्य प्रदेश, और राजस्थान में वृद्धि क्रमशः १०७, और १४१ प्रतिशत है। उत्तरप्रदेश की वृद्धि ११७ प्रतिशत है। अधिक व्यय का उद्देश्य यही है कि इन प्रदेशों में विकास की गति तीव्र हो। इस कारण केन्द्रीय सहायता भी १३१ प्रतिशत बढ़ गयी है। बिहार, जम्मू और काश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, में केन्द्रीय सहायता में जो वृद्धि हुई है वह क्रमशः १६३, २१०, २२०, २३९, १८९ और १७८ प्रतिशत है। प्रगतिशील राज्यों में

[श्री मोरारजी देसाई]

यह वृद्धि कम है । बंगाल, पंजाब और मद्रास में प्रति व्यक्ति वृद्धि क्रमशः ७६, ५९, और ६६ है, परन्तु केन्द्रीय सहायता में वृद्धि ११३, ४६, और १०९ प्रतिशत है।

तीसरी योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता राज्यों के कुल व्यय का भाग निम्नलिखित प्रकार है । आसाम में ७३ प्रतिशत जम्मू और काश्मीर में ८३ प्रतिशत, आंध्र प्रदेश में ६६ प्रतिशत, बिहार में, केरल में ६६ प्रतिशत मध्य प्रदेश, में ६९ प्रतिशत, उड़ीसा में ८३ प्रतिशत और राजस्थान में ६६ प्रतिशत । परन्तु महाराष्ट्र में यह ४४ प्रतिशत है, गुजरात में ४८ प्रतिशत है, पंजाब में ५८ प्रतिशत है । ये राज्य तुलनात्मक तौर पर अधिक प्रगतिशील हैं। राज्यों की योजनाओं पर राज्यों का जो व्यय होगा वह योजना के कुल व्यय का आधा है । केन्द्र का खर्च का पूरा ब्योरा तो मेरे पास नहीं परन्तु अधिकतर केन्द्र का व्यय परिवहन, संचार और औद्योगिक विकास पर होता है । सरकारी औद्योगिक अथवा व्यापारिक उपक्रमों में भी जो सरकार की पूंजी लगती है, उस में से भी अधिक पूंजी पिछड़े हुए राज्यों में ही लगी है ।

स्पष्ट है कि हम पिछड़े हुए राज्यों को उठाने का पूरा प्रयत्न कर हैं । जो राज्य आगे बढ़े हुये हैं उन्हें और आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर र हैं। मैं अपने महाराष्ट्र के माननीय मित्र से कहूंगा कि उन्हें अपने राज्य को पिछड़ा हुआ राज्य नहीं कहना चाहिए । परन्तु यथार्थ स्थिति का मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। योजना आयोग में इसी तरह की दृष्टि से हम मामले हल करने का प्रयन्न करते हैं। मुझे आशा है कि मेरे माननीय मित्रों के समक्ष यथार्थ स्थिति आ गई होगी । इसको समक्ष रखते हुए मैं उनकी आलोचना और सुझावों का स्वागत करूंगा और उसकी ओर पूरा ध्यान दूंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं सभी कटौती प्रस्तावों को मतदान के लिये रखूंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।**

अध्यक्ष महोदय द्वारा वित्त मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुईं !

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपय
२३	वित्त मंत्रालय	१,३५,२४,०००
२४	सीमा-शुल्क	३,००,६६,०००
२५	संघ उत्पान शुल्क	७,३६,६२,०००
२६	निगम कर आदि सहित आय पर कर	४,६६,७५,०००
२७	स्टाम्प	२,०६,११,०००
२८	लेखा-परीक्षा	९,३२,१६,०००
२९	चल मुद्रा और मुद्रा	१३,३७,८१,०००

†मूल अंग्रेजी में

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपया
३०	टकसाल	१,९२,२९,०००
३१	निवृति वेतन और सेवा-निवृत्ति सम्बन्धी अन्य लाभ	३,७४,९९,०००
३२	प्रादेशिक तथा राजनैतिक पेंशनें	१८,५७,,०००
३३	अफीम	४४,३३,०००
३४	वित्त मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	४१,५५,९६,०००
३५	योजना आयोग	७१,४२,०००
३६	राज्यों को सहायतार्थ अनुदान	१,१६,९१,०४,०००
३७	संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	१९,०९,०००
३८	विभाजन–पूर्व के भुगतान	८,६६,०००
११७	इंडिया सिक्यूरिटी प्रेस पर पूंजी व्यय	३१,२५,०००
११८	चल––मुद्रा और मुद्रा पर पूंजी व्यय	७,४०,४८,०००
११९	टकसालों पर पूंजी अयय	४,८५,०००
१२०	सेवा––निवृत्ति वेतन का राशि कृत्य मूल्य	१,७३,३९,०००
१२१	वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	५०,१०,९२,०००
१२२	विकास के लिये राज्यों को दिये जाने वाले अनुदानों पर पूंजी व्यय	१८,९९,००,०००
१२३	केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम धन	९९,७३,०६,०००

अध्यक्ष महोदय द्वारा अणुशक्ति विभाग, संसद्-कार्य विभाग लोक सभा, राज्य सभा तथा उप-राष्ट्रपति के सचिवालय की निम्नलिखित मांगे मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं:––

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
१०५	अणु शक्ति विभाग	१२,०५,०००
१०६	अणु शक्ति अनुसंधान	५,६२,२७,०००
१४४	अणु शक्ति विभाग का पूंजी व्यय	६,२०,७४,०००
१०७	संसद्-कार्य विभाग	२,२१,०००
१०८	लोक-सभा	७४,९७,०००
११०	राज्य-सभा	२९,२७,०००
१११	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	६१,०००

विनियोग (संख्या २) विधेयक

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष १९६२–६३ में प्रयोग के लिये भारत की संचित निधि में से राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९६२–६३ में प्रयोग के लिये भारत की संचित निधि में से राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष १९६२–६३ में प्रयोग के लिये भारत की संचित निधि में से राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

मुझे इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना क्योंकि यह सब मांगों से सम्बन्धित है जिन्हें सदन ने मंजूरी दे दी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९६२–६३ में प्रयोग के लिये भारत की संचित निधि में से राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ?"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १ से ३, अनुसूची अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १ से ३ अनुसूची, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये "

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

---

†मूल अंग्रेजी में

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

वित्त ~~(संख्या २)~~ विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : सदन अब विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६२ पर विचार करेगा। विधेयक के सभी प्रक्रमों के लिये १४ घण्टे नियत किए हैं। इस सम्बन्ध में सदन की राय लेना चाहता हूं ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : १० घण्टे और ४ घण्टे।

†**अध्यक्ष महोदय** : १० घण्टे विचार के लिये और चार घण्टे खण्डों के लिये।

†**श्री अ० क० गोपालन** (कासरगोड) : १ घण्टा तृतीय प्रक्रम के लिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : चार घंटों में से ? दस घण्टे और तीन घण्टे खण्डों के लिये और एक घण्टा तृतीय प्रक्रम के लिये।

†**माननीय सदस्य** : हां ।

†**अध्यक्ष महोदय** : समय अवधि सदस्यों के लिये १५ मिनट होगी। दलों के नेताओं के लिये २५ या ३० मिनट।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष १९६२–६३ के लिये केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को कार्यान्वित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

इस विधेयक के सम्बन्ध में जनता के विचारों का पता चल गया है ।

इतना कराधान करने की आवश्यकता को सब ने मान लिया है। इस से लोगों के देश के सुनियोजित विकास के लिये बलवती इच्छा और इस के लिये आवश्यक कुर्बानी देने के लिये दृढ़ निश्चय स्पष्ट होता है। धीमी सी आलोचनात्मक आवाजों का भी मुझे पता है।

यहां आलोचना का एक पहलू यह रहा है कि जो व्यय विकास के लिये नहीं है उस में मितव्ययता की जाए। मैं ने सदन को पहले भी आश्वासन दिया है और फिर भी आश्वासन देता हूं कि यह हमारा ध्येय रहेगा। सरकार वर्तमान और नए सभी खर्चों की कड़ी परिनिरीक्षा जारी रखेगी ।

दूसरी आलोचना यह हुई कि योजना के कार्यान्वयन में कोई व्यर्थ व्यय न हो। यह भी सरकार को पूर्णतया मंजूर है। इस सम्बन्ध में व्यक्तिगत भेद हो सकता है। ऐसे मामलों की ओर यदि ध्यान आकर्षित किया गया तो जानकारी की जाएगी।

न केवल करों के सम्बन्ध में हमारी कोशिशें मान ली गई हैं, परन्तु प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में इस का आवण्टन भी स्वीकार कर लिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोरारजी देसाई]

कुछ व्यक्तिगत करों की कठिनाइयों के बारे में इस सदन में और दूसरे सदन में कुछ सुझावय दिए गए हैं। मैं ने विश्वास दिलाया था कि सब ऐसे सुझावों और आलोचनाओं की ओर ध्यान दिया जाएगा। दोनों सदनों के सदस्यों, कुछ राज्य सरकारों, कुछ व्यक्तियों और संस्थाओं न कुछ बहुमूल्य आलोचनाएं की हैं। मैंने उन की विस्तार से जांच की है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कुछ मामलों में कुछ छूट उचित होगी।

प्रत्यक्ष करों में प्रारूप की ३ या ४ बिन्दुओं पर परिवर्तन करना चाहता हूं और पूंजी सम्बन्धी हानियों के सम्बन्ध में एक परिवर्तन करना चाहता हूं।

आयकर अधिनियम, १९२२ की धारा २४ (२ख) के अन्तर्गत पूंजी सम्बन्धी हानियां ८ वर्षों तक बकाया रखे जा सकते थे। जिन हानियों का निर्धारण वर्ष १९६१–६२ तक हो चुका है या हो चुकेगा उनको यह अधिकार मिल चुका है और मैं यह अधिकार नहीं छीनना चाहता। शेष अवधि के लिये उन्हें बकाया रहने दिया जाएगा। वित्त विधेयक के खण्ड ७ में अल्पावधि की हानियों की व्यवस्था की है। दीर्घावधि हानियों को इसमें शामिल करने के लिये मैं एक संशोधन की सूचना दे रहा हूं। मेरे विचार में दीर्घावधि पूंजी परिसम्पत् के सम्बन्ध में होने वाली हानियों को भी बकाया रहने देने की इजाजत दे दी जाएगी। वर्तमान परिस्थितियों में ८ वर्ष की अवधि बहुत लम्बी है और केवल ४ वर्षों की अवधि के लिये उन्हें बकाया रखे रहने की इजाजत देने का मेरा इरादा है। पुनरीक्षित खण्ड ७ में इसकी व्यवस्था होगी। इससे १० लाख रुपए की हानि होगी।

प्रत्यक्ष करों के बारे में दूसरे संशोधन स्पष्ट करने के लिये हैं। खण्ड २(७) में प्रस्तावित संशोधन इस बात को स्पष्ट करता है कि पंजीबद्ध फर्म द्वारा दिए गए कर में साझेदार का भाग को न कमाई गई आय नहीं समझना चाहिए। अगला संशोधन खण्ड ६ से सम्बन्ध रखता है और यह स्पष्ट करता है कि व्यापार का सारा नुकसान आगे के वर्षों के लाभ से पूरा करने के लिये आगे ले जाया जाएगा, जहां कि करदाता को हानि के वर्ष में और कोई आय नहीं है। आय करके बारे में आखिरी संशोधन यह स्पष्ट करता है कि सहायक कम्पनी की परिभाषा न केवल नियमित निर्धारण पर लागू होगी परन्तु सूत्रधारी समवाय को सहाय समवाय द्वारा दिए गए लाभांशों में से कर कम कर दिये जाने के उद्देश्य के लिये भी लागू होगा।

प्रत्यक्ष आय करों के बारे में एक और संशोधन है और इसमें सम्पत्ति कर अधिनियम की अनुसूची के नियम २में दिये गये २ प्रतिशत के आंकड़े के बढ़ा कर २.५ प्रतिशत करने की प्रस्तावना की गई है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में सबसे अधिक सुझाव सूती वस्त्रों के बारे में है।

जैसा मैंने पहले भी कहा है कि नए शुल्कों के कारण या शुल्कों में परिवर्तन के कारण राजस्व के प्राक्कलनों का आधार उपलब्ध आंकड़ों पर होता है। इन मामलों के सम्बन्ध में बजट बनाते समय खुशली जानकारी वाला करना असम्भव है। कराधान सम्बन्धी कुछ अध्ययन सारे वर्ष होते रहते हैं और सम्बन्धित तथ्य पाने के लिये उनका आश्रय लिया जा सकता है। जब किसी एकक पर नया कर लगाना होगा है तो उपलब्ध आंकड़ों का आश्रय लेना आवश्यक हो जायगा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं यथार्थ खादी के कपड़े को जिसे अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग आयग ने प्रमाण पत्र दे दिया हो तैयार करने के शुल्क से छूट देना चाहता हूं।

हथकरघों के सम्बन्ध में बजट प्रस्ताव में यह निश्चय किया गया था कि हथकरघ के सूत पर १० नए पैसे प्रति किलोग्राम का "डिफरैंसल मार्जन" उसी तरह कायम रखा जाए। फिर भी यह अभ्यावेदन किया गया है कि इस थोड़े से शुल्क के भी हथकरघा बुनकरों पर गहरा असर पड़ेगा। मैं मानता हूं कि खास कर इन की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। इस लिये अब मैंने यह तय किया है कि सभी रूई के एक सूत पर (सिंगल काटन यार्न), ४० काउंट तक वाले वह किसी किस्म का हो, उसे पर कोई शुल्क न लिया जाए। इस से सूती कपड़ा उद्योग के इस विशिष्ट क्षेत्र को काफी सहायता मिलेगी।

जहां तक शक्तिशाली करघों का सम्बन्ध है मैं ने तय किया है कि उनको २८ फरवरी, १९६३ तक की अवधि के लिये आधे प्रमाप दर पर शुल्क देने की इंजाजत दी जाए और २९ फरवरी, १९६४ तक समाप्त होने वाले वर्ष में प्रमाप दर के ३–४ भाग पर शुल्क देने की इजाजत दी जाए। यह छूट उन्हें अर्थ व्यवस्था ठीक करने के लिये जरूरी है। इस के साथ साथ ५ से ४९ करघों तक के एककों के लिये अभिसंधान के दर में 'मार्जनल' छूट देने की प्रस्तावना है।

वित्त विधेयक में मरसराईज और ऐसे वस्त्रों के सम्बन्ध में जिनमें से पानी न जा सके विशेष कर घटिया किस्मों में उत्पादन शुल्क के दर कम करना अभीष्ट है। ऐसा कहा जाता है कि इस से ऐसे कपड़े की मांग पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। मोटे और मध्यम 'बी' कोटि के कपड़े के सम्बन्ध में मरसराइज करने और वाटर प्रूफ (रबड़ युक्त करने सहित) बनाने की दर २५ नये पैसे से घटा कर १० नये पैसे प्रति वर्ग मीटर और मध्यम 'ए' बारीक और बहुत बारीक श्रेणी के कपड़ों पर १५ नए पैसे करने का विचार है।

हथकरघों और बिजली के करघों से तैयार करवाने के लिये स्वतंत्र संचालकों के पास ले जाना पड़ता है, कुछ रियायत देने के लिये चालू दरें घटा कर नियत दरों का चार बटा पांच करने का विचार है। ऐसे स्वतन्त्र तैयार करने वाले (प्रोसेसिंग) कारखानों को, जो २४ अप्रैल, १९६२ को विद्यमान थे, किन्तु उन्हें केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं थी अब किसी भी महीने में उनके द्वारा साफ किए गए, रंगे गये या छापे गए पहले २०,००० वर्ग मीटर कपड़े को कर से मुक्त किया जाए। इन रियायतों के बाद भी मरसराज कपड़े से १२.१० करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व पूरा मिल जाएगा।

ऊनी कपड़ों पर जो हाथकरघे या बिजली के करघे से, अर्थात्, ऐसे कारखानों में तैयार (प्रोसेस) कारवाया जाए, जिन का कताई या बुनाई मिल से कोई सम्बन्ध न हो, तो उन पर नियत दर का केवल दो-तिहाई शुल्क लिया जायेगा। इससे ऊनी कपड़ा तयार करने वाले छोटे उत्पादकों को काफी छूट मिलेगी।

अखबारी कागज पर २२ नये पैसे से घटा कर ५ नये पैसे प्रतिकिलोग्राम किया जा रहा है। साथ ही आयात किए जाने वाले अखबारी कागज पर इसी दर से प्रतितुलन कर लगाने का विचार किया जा रहा है। वित्त विधेयक में पेटेन्ट तथा एकायन्त्र (प्रोप्राइटरी) औषधियों पर कर की दर १० प्रतिशत से घटा कर ७.५ प्रतिशत कर दी गई है। टीकों तथा सीरम पर पूर्ण छूट दे दी गई है। पैनीसिलीन, स्ट्रेप्टोमाईसीन, कुनीन, इन्स्युलिन

[श्री मोरारजी देसाई]

तथा कुछ अन्य औषधियों के सम्बन्ध में कर की दर कम करके मूल्यानुसार २.५ प्रतिशत की जा रही है ।

एक ही कारखाने में उर्वरकों के उत्पादन के लिये काम में लाये जाने वाले अमोनिया और कार्बन डाईआक्साइड पर २५ रुपये प्रतिटन का नाम मात्र का कर लगाने का निर्णय किया गया है। ऐसे कारखानों में काम में लाये जाने वाले नाईट्रिक एसिड को भी छट देने का निर्णय किया गया है यदि तेजाब तैयार करने के लिये प्रयोग किये जाने वाले अमोनिया पर उपरोक्त दरों पर कर दिया गया हो। इन दरों से रासायनिक उर्वरकों पर इन शुल्कों के आखिरी बोझ में काफी कमी होगी। कोलतार को फिलहाल उत्पादन शुल्क से पूर्णतः मुक्त किया जा रहा है।

दूर संचार के तारों (केबल्स) और घुमावदार (वाईंडिग) तारों पर कर में मूल्यानुसार ५ प्रतिशत कमी करने का विचार किया गया ?

बिना बिजली के प्रयोग के ५० टन प्रति वर्ष तक हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड का उत्पादन करने वाले एककों को कर के भुगतान से छूट दी जा रही है यदि वे अपने उत्पादन में कर भुगतान किए हुये सलफ्यूरिक एसिड को काम में लायें ।

नाइट्रिक एसिड की मात्रा, जो कि इस ५० टन में शामिल है, अब घटा कर केवल १५ टन प्रति वर्ष ही रखी जायेगी । मेरा विचार दरमियानी किस्म की उस प्लाईवुड को भी कर से मुक्त करने का है जो पेकिंग के काम आती है और जिसका उत्पादन ४,००० वर्ग मीटर से अधिक नहीं होता। तथा जिसका उत्पादन भी बिजली से नहीं किया जाता। लोहे के कबाड़ का पुनर्बेलन करने वाले बेलनों को भी कर भार से युक्त करने का विचार है ।

इनके अलावा ऐसी वस्तुओं या कारारोपण करने की विधि को सरलीकरण करने की व्यवस्था की जा रही है। जिन पर यथामूल्य के अनुसार शुल्क लगाया जाता है। छूट सम्बन्धी अधिसूचना जारी करके कर सम्बन्धी दरें निर्धारित की जायेगी । इस प्रकार की व्यवस्था लोहा तथा इस्पात के बहुत से उत्पादों तथा एसिड और गैसों के बारे में की गई है। हथकरघा द्वारा तैयार ऊन प्लाईवुड तथा अन्य लकड़ी के बोर्ड, तरल पेट्रोल गैस सीमेंट की चादरें बहुत से बिजली की तार आदि के बारे में भी अधिसूचना जारी की जायेगी । मेरा यह प्रयत्न रहेगा कि इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद भी कराधान प्रक्रिया को और भी सरल बनाया जाये । ताकि कर बहुत कुशलता एवं प्रभावी ढंग से इकट्ठा किया जा सके। छोटे कुटीर उद्योग धंधों द्वारा निर्मित बैटरी प्लेट के बारे में मिश्रित दरों के बारे में भी विचार करने की सोच रहा हूं। इनमें भी अधिसूचना जारी करके परिवर्तन किया जायेगा। सामान्यतः इस प्रकार की अधिसूचनाओं को भूतल क्षी प्रभावी नहीं बनाया जाता। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि इन वस्तुओं पर इस वर्ष के पिछले कुछ समय के लिये भी छूट दूं। आयातित अखबारी कागज पर यह अभी से शुरू होगा ।

कुल वित्तीय वर्ष में इन छूटों से १.१९ करोड़ रुपये का फर्क पड़ेगा। जिसमें से शेष वर्ष में १.०९ करोड़ रुपये का फर्क होगा। प्रत्यक्ष करों से होने वाली हानि तथा आयातित अखबारी कागज पर लगाई गई कर दर से कुल अतिरिक्त राजस्व में कुल ७७ लाख रुपये की कमी होगी ।

इन शब्दों के बाद मैं मैं प्रस्ताव करूंगा कि विधेयक पर विचार किया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री श्याम लाल सराफ़** (जम्मू तथा काश्मीर) : क्या ऊनी मालों, चाहे सादा अथवा कढ़े हुए, पर छूट मिलेगी ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : यह बाद में बताया जायेगा ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मंदसौर) : हम चाहते हैं कि हमें इसका अध्ययन करने के लिये कुछ समय दिया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सब कुछ तो आप के ऊपर ही है । जैसा सदन निर्णय करे वही मुझे भी मंजूर है ।

इस के पश्चात् लोक सभा बुधवार १३ जून, १९६२/२३ ज्येष्ठ १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मंगलवार, १२ जून, १९६२
२२ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		४६९९–४७२८
तारांकित		
प्रश्न संख्या		
१४०६	रांची एक्स्प्रैस दुर्घटना के पीड़ितों को प्रतिकर	४६९९–४७००
१४०७	पैकेज प्रोग्राम	४७०१–०२
१४०९	विदेशों के पर्यटक	४७०३–०४
१४११	भूमि अर्जन	४७०४–०५
१४१२	"इण्डियन शिपर" में आग	४७०५–०६
१४१३	जल संभरण योजनाएं	४७०६–०८
१४१५	छूत के रोगों का अस्पताल, दिल्ली	४७०९
१४१६	दिल्ली श्रीनगर दूर संचार सेवा	४७१०
१४१९	चिकित्सा के स्नातक	४७११
१४२०	भुवनेश्वर स्टेशन	४७१२–१३
१४२१	दिल्ली के अस्पताल	४७१३–१५
१४२२	पर्यटक कारों का आयात	४७१५–१७
१४२३	हावड़ा स्टेशन पर सन्दूक में व्यक्ति का मिलना	४७१७–१९
१४२४	उड़ीसा से रेलवे द्वारा अयस्क का परिवहन	४७१९–२०
१४२६	हिन्द महासागर अभियान	४७२०
१४२८	भारत में टेलीफोन सेवा	४७२०–२३
अल्प सूचना		
प्रश्न संख्या		
१४	कलकत्ता में उत्पत्ति शास्त्र तथा आयु-विज्ञान सम्बन्धी अनुसन्धान एकक	४७२३–२४
१५	कलकत्ता अगरतला माल सेवा	४७२५–२६
१६	पूना-बंगलौर एक्सप्रेस का पटरी से उतरना	४७२६–२८
प्रश्नों के लिखित उत्तर		४७२८–८०
तारांकित		
प्रश्न संख्या		
१४०८	राजस्थान में जल संभरण	४७२८–२९

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--जारी		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१४१०	कोयला वैगन	४७२९
१४१४	टेलीफोन एक्सचेंज में स्वचालित समय सूचक यंत्र	४७२९
१४१७	मद्रास और रंगून के बीच चलने वाले जहाज	४७२९—३०
१४१८	गंगा क्षेत्र बाढ़ नियंत्रण गोष्ठी	४७३०
१४२५	पोस्टल सील्स इंडस्ट्रियल को-आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, अलीगढ़	४७३०—३१
१४२७	पत्तन न्यास	४७३१
१४२९	दिल्ली में रेल संग्रहालय	४७३१—३२
तारांकित प्रश्न संख्या		
२९३६	स्टेशनों पर पीने का पानी	४७३२
२९३७	अखिल भारतीय केन्द्रीय मसाला और काजू समिति	४७३२
२९३८	केन्द्रीय प्रादेशिक तथा नगरीय आयोजन संगठन	४७३२—३३
२९३९	त्रिवेन्द्रम शहर के विकास के लिये वृहद् योजना	--३३
२९४०	विदेश भेजे गये डाक्टर	४७३३
२९४१	उत्तर प्रदेश में मध्यम सिंचाई परियोजनाएं	४७३३
२९४२	बनारस के लोकोशेड के कर्मचारी	४७३४
२९४३	कुड्डलूर में ऊपरी पुल	४७३४
२९४४	मद्रास राज्य में पुल	४७३४—३५
२९४५	सेंट थामस माउंट और मीनमबक्कम के नये स्टेशन	४७३५
२९४६	मछली पकड़ने की नावें	४७३५—३६
२९४७	लेवल क्रासिंग	४७३६
२९४८	मूंगफली के आटे के लिये संयंत्र	४७३६
२९४९	पूर्व रेलवे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की नियुक्ति	४७३७
२९५०	तीसरे सामान्य निर्वाचनों में डाक तथा दूर संचार की सुविधायें	४७३७
२९५१	रेलवे लाइनों को पार करने वाली सार्वजनिक सड़कों का बन्द किया जाना	४७३८
२९५२	त्रिपुरा भूमि सुधार और लगान अधिनियम	४७३८
२९५३	त्रिपुरा में भूमिहीन किसान	४७३८—३९

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखितउत्तर—जारी

अतारांकित प्रश्न संख्या		
२६५४	कर्णफुली बांध	४७३६
२६५५	द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान उखाड़ी गई रेल लाइनें	४७३६–४०
२६५६	नई दिल्ली नगरपालिका	४७४०
२६५७	व्यास परियोजना	४७४०
२६५८	वी० एम० हास्पिटल, अगरतल्ला	४७४०–४१
२६५६	अमृतसर और राजकोट में दुग्धचूर्ण के कारखाने	४७४१
२६६०	बीज फार्म	४७४१
२६६१	त्रिपुरा में सामुदायिक परियोजनाएं	४७४२
२६६२	त्रिपुरा में विपणन सहकारी समितियां	४७४२
२६६३	रेलवे में कल्याण पदाधिकारी और निरीक्षक	४७४२–४३
२६६४	दक्षिण जाने वाली यात्री	४७४३
२६६५	रेलवे में चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी	४७४३–४४
२६६६	त्रिपुरा में सड़कें	४७४४
२६६७	खोवाई नदी पर पुल	४७४४
२६६८	अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना	४७४५
२६६६	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था	४७४५–४६
२६७०	स्वर्गीय डा० जो सेफ के परिवार को सहायता	४७४६
२६७१	रंगपुर में कृष्ण नदी पर पुल	४७४६–४७
२६७२	मध्य प्रदेश में सड़क	४७४७
२६७३	मद्रास को उर्वरक का संभरण	४७४७
२६७४	मंगलौर बन्दरगाह के पास नौका दुर्घटना	४७४७–४८
२६७५	कच्चे पटसन का सहकारी विपणन	४७४८
२६७६	अमरपुर गांव (पश्चिम रेलवे) में रेलवे फाटक	४७४८–४६
२६७७	उड़ीसा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	४७४६
२६७८	जागपुर—क्योंझर रोड स्टेशनों (दक्षित पूर्व रेलवे) पर पुल	४७४६
२६७६	चिपलिका बिजली घर परियोजना	४७५०
२६८०	टेक्सी ड्राइवर	४७५०–५१
२६८१	स्कूटर ड्राइवर	४७५१
२६८२	पान की बेल को लगाने वाला रोग	४७५१

विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२९८३	मत्स्य पालन सहकारी समितियां . .	४७५२
२९८४	दिल्ली में रिंग रोड . . .	४७५२
२९८५	राज्य कृषि विभाग के कर्मचारियों का वेतन	४७५२
२९८६	मध्य प्रदेश से गेहूं की खरीद . . .	४७५३
२९८७	बन्दरगाहों में मिट्टी निकालने के लिये रेडियोधर्मी आइसोटोप	४७५३
२९८८	दूध देने वाले ढोर . . .	४७५३–५४
२९८९	दिल्ली में क्षय रोगियों के शव	४७५४
२९९०	भोपाल रेलवे स्टेशन .	४७५४–५५
२९९१	उड़ीसा के गांवों में बिजली लगाना .	४७५५
२९९२	हस्तिनापुर को रेल द्वारा मिलाना .	४७५५
२९९३	त्रिपुरा में पंचायती राजप्रशिक्षण केन्द्र .	४७५५
२९९४	भोजन बनाने की शिक्षा . . .	४७५५
२९९५	उत्तर प्रदेश के इटावा जिले को बिजली का संभरण .	४७५६
२९९६	टिड्डी दलों का आक्रमण . . .	४९५६–५७
२९९७	दिल्ली मैटरनिटी हास्पिटल, पूसा रोड . .	४७५७–५८
२९९८	फीलपांव रोग . .	४७५८–५९
२९९९	परिवार नियोजन सम्बन्धी सम्मेलन . .	४७५९–६१
३०००	भारतीय चिकित्सा परिषद्	४७६१
३००१	त्रिपुरा में विपणन सहकारी समितियां .	४७६१–६२
३००२	दिल्ली में चिकित्सा अधिकारी . . .	४७६२–६३
३००३	खाद्य अपमिश्रण अधिनियम . . .	४७६३
३००४	पाण्डु अमीनगांव में रेलवे के मेरीन डिपार्टमेंट के कर्मचारी .	४७६४
३००५	नई दिल्ली के विलिंगडन अस्पताल में केयुअल्टी मेडिकल आफिसर	४७६४
३००६	विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली में डाक्टर .	४७६४
३००७	गुप्त रोग .	४७६५
३००८	गलगंड	४७६५
३००९	कच्छ की छोटी रन का कृष्यकरण . .	४७६६
३०१०	रेलवे बोर्ड में स्थानापन्न सहायक .	४७६६
३०११	गोहाटी के लिये मास्टर प्लान (वृद्ध योजना) .	४७६६–६७
३०१२	दिल्ली में जल संभरण . . .	४७६७
३०१३	लू लगने के कारण मौतें	४७६७–६८

प्रश्नों के लिखित उत्तर---जारी

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
३०१४	उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में आउट-एजेंसियां	४७६८
३०१५	दक्षिण पूर्व रेलवे कर्मचारी संघ से प्राप्त ज्ञापन	४७६८
३०१६	मुरादाबाद में रेलवे पुल दुर्घटना	४७६९
३०१७	सहकारी समितियां	४७६९
३०१८	एयर इंडिया इंटरनेशनल द्वारा जैट विमानों की उड़ानें	४७६९–७०
३०१९	'सी आईलैंड' कपास	४७७०
३०२०	मालगाड़ियों की दुर्घटना	४७७०–७१
३०२१	हावड़ा स्टेशन पर यात्रियों पर लाठी चार्ज	४७७१
३०२२	टालीगंज रेलवे कालोनी में बसे हुये विस्थापित व्यक्ति	४७७१–७२
३०२३	पंजाब में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	४७७२
३०२४	कीरतपुर साहब स्टेशन पर पीने का पानी	४७७२
३०२५	हूबली–बंगलौर और बीजापुर–गंडक लाइनों पर रेलगाड़ियां	४७७२–७३
३०२६	कोचीन शिपयार्ड की भूमि पर पेड़ों का पट्टा	४७७३
३०२७	केरल में समुद्र से भूमि का कटाव	४७७३
३०२८	मेहसाना स्टेशन पर लेबल क्रासिंग	४७७३
३०२९	परिवार नियोजन केन्द्र	४७७४
३०३०	राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रशासन एवं शिक्षा संस्था	४७७४–७५
३०३१	भूदान यज्ञ आन्दोलन	४७७५
३०३२	गांधी सागर बांध से बिजली संभरण	४७७६
३०३३	कोटा स्थित रेलवे डाक सेवा कार्यालय	४७७६
३०३४	रेलवे कार एक्सिल और पहियों का संभरण	४७७६
३०३५	मद्रास में क्षयरोग के रसायन चिकित्सा केन्द्र	४७७७
३०३६	पूर्वोत्तर रेलवे में शारदा नदी पर रेलवे पुल	४७७७
३०३७	बरली से लखनऊ तक चलने वाली पैसेंजर गाड़ियां	४७७७–७८
३०३८	पानी का जमा होना	४७७८
३०३९	टिड्डी दल संकट	४७७८–७९
३०४०	गोविन्द बल्लभ पन्त अस्पताल, अगरतला	४७७९
३०४१	महाराजगंज बाजार के आसपास पानी का जमाव	४७७९
३०४२	उड़ीसा मे रेलवे स्टेशन	४७७९–८०
३०४३	दिल्ली के चिड़ियाघर में महामारी	४७८०

विषय पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ४७८०—८४

(१) **डा० सारादोश राय** ने गूंटूर में तम्बाकू के लिये आग मार्क (चिह्न) की पर्चियां देने में सरकार की असफलता से उत्पन्न स्थिति की ओर **खाद्य** तथा कृषि मंत्री का ध्यान दिलाया।

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया।

(२) **श्री काजी** ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण बेरूबाड़ी के भारतीय राज्य-क्षेत्र के बहुत बड़े इलाके पर पाकिस्तानी सशस्त्र सेनाओं द्वारा कब्जा करने और उन के द्वारा इस भारतीय प्रदेश में बंकर तथा खाइयां बनाने के कथित समाचार की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

(३) **श्री वासुदेवन् नायर** ने जयपुर के निकट एक सवारी गाड़ी और परिवहन बस के बीच हुई टक्कर की ओर, जिस से २६ व्यक्ति मर गये और कई अन्य घायल हुये रेलवे मंत्री का ध्यान दिलाया।

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ४७८४

मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अन्तर्गत त्रिपुरा मोटर गाड़ी नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २५ नवम्बर, १९६१ के त्रिपुरा गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० ८ (६) एम० वी०/६१ की एक प्रति सभा पटल पर रखी गई।

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य . . . . . ४७८४—८६

(एक) **खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** सेन्ट्रल प्रोविसेस मैंगनीज़ और कम्पनी लिमिटेड के साथ हुए करार के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(दो) **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनु भाई शाह)** ने ब्रिटेन और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच चल रही वार्ता के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन—स्वीकृत ४७८६

दूसरा प्रतिवेदन स्वीकृत किया गया।

अनुदानों की मांगें . . . . . ४७८६—४८०९

(१) वित्त मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई तथा मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुईं।

विषय पृष्ठ

(२) अणुशक्ति विभाग, संसद् कार्य विभाग, लोक सभा, राज्य-सभा तथा उपराष्ट्रपति के सचिवालय को अनुदानों की मांगें भी पूरी पूरी स्वीकृत हुई ।

विधेयक पुरःस्थापित तथा पारित ४८१०–११

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ने विनियोग (संख्या २) विधेयक १९६२ को पुरस्थापित किया उन्होंने यह भी प्रस्ताव किया कि विनियोग संख्या (संख्या २) विधेयक, १९६२ पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंडवार विचार के पश्चात् विधेयक पारित किया गया।

विधेयक विचाराधीन ४८११–१५

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ने प्रस्ताव किया कि वित्त (संख्या २) विधेयक, १९६२ पर विचार किया जाये। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

बुधवार, १३ जून, १९६२/२३ ज्येष्ठ १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि

वित्त (संख्या २) विधेयक १९६२ पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा तथा विधेयक का पारित किया जाना ।

GMGIPND—LS III—1226 (Ai) LSD—2-11-62—150